किसान मोर्चा प्रशिक्षण प्रारूप

किसान मोर्चा

प्रशिक्षण प्रारूप

पं. दीनदयाल उपाध्याय
प्रशिक्षण महाभियान 2018

भारतीय जनता पार्टी

किसान मोर्चा प्रशिक्षण प्रारूप

किसान मोर्चा
प्रशिक्षण प्रारूप

पं. दीनदयाल उपाध्याय
प्रशिक्षण महाभियान 2018

भारतीय जनता पार्टी
6 ए, दीनदयाल उपाध्याय रोड, नई दिल्ली- 110002
फोन : 011-23500000 फैक्स : 011-23500190

किसान मोर्चा प्रशिक्षण प्रारूप

© भारतीय जनता पार्टी
6 ए, दीनदयाल उपाध्याय रोड, नई दिल्ली-110002

2018

मुद्रकः
एक्सलप्रिंट
सी-36, फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स
झण्डेवालान, नई दिल्ली-110055

आमुख

सर्वाधिक सदस्य संख्या के विश्व रिकॉर्ड के साथ भारतीय जनता पार्टी भारत में सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में उभरी है। सिर्फ केन्द्र में ही नहीं, बल्कि देश के आधे से अधिक राज्यों में भी आज यह सत्ता में है। ऐसे विशाल जनादेश के साथ आज देश की राजनीतिक व्यवस्था में पार्टी का अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान है।

हमारा मानना है कि पार्टी के प्रति देशवासियों का जितना अधिक भरोसा बढ़ता है उतनी ही अधिक पार्टी और पार्टी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। इसलिए कार्यकर्ताओं की क्षमता में वृद्धि तथा नेतृत्व को भावी जिम्मेदारियां संभालने हेतु तैयार करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसी विचार को केन्द्र में रखकर पार्टी ने कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों के समुचित प्रशिक्षण हेतु ठोस पहल की है। कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की बात करें तो अपने शुरूआती दिनों से ही भाजपा की यह खास पहचान रही है। इससे पूर्व जनसंघ के रूप में भी कार्यकर्ता प्रशिक्षण पर सदैव जोर रहा। सभी प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के पीछे मूल सोच यही रही है कि कैसे पार्टी में जमीनी स्तर तक लोकतंत्र को मजबूत किया जाए और किस प्रकार ऐसे प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की एक मजबूत टीम खड़ी हो जो सेवा एवं समर्पण भाव के साथ देशवासियों की आकांक्षाओं पर खरी उतरे।

भाजपा में राजनीतिक कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण को वर्ष 2015 में उस समय नया आयाम मिला जब ''पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान'' की शुरूआत हुई। इस अभियान की सफलता का आंकलन महज इसी बात से लगाया जा सकता है कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का यह दुनिया का पहला एवं सबसे बडा अभियान है। प्रथम चरण में मंडल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हजारों प्रशिक्षण कार्यक्रम

देशभर में आयोजित किये गये।

प्रशिक्षण के द्वितीय चरण में अब पार्टी के विभिन्न मोर्चों, विभागों एवं स्तरों पर कार्यरत राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम का यह नया आयाम है। द्वितीय चरण में प्रभावी ढंग से मीडिया को संभालने तथा अलग-अलग प्रकार के मीडिया माध्यमों से व्यवहार करने हेतु कार्यकर्ताओं को विशिष्ट प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान करने की भी योजना बनी है।

भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकताओं के मूल में हमेशा से किसान रहे हैं। केन्द्र में पहली गैर-कांग्रेस सरकार जनता पार्टी के गठन के समय, जब भारतीय जनसंघ सरकार का मुख्य घटक दल था तब भी भारतीय जनसंघ की नीतियों के केंद्र में किसान ही था। यदि आप जनता पार्टी के चुनाव चिह्न को याद करें तो स्मरण होगा कि पार्टी का प्रतीक एक हलधर किसान था। वाजपेयी सरकार के समय में भी किसान और कृषि भाजपा की प्राथमिकताओं में शीर्ष पर थे।

2014 में सत्ता में आने के बाद, भा.जा.पा. ने एक बार फिर से कृषि क्षेत्र को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में लिया और सर्वसमावेशी दृष्टि के साथ इस क्षेत्र में सुधार शुरू कर दिया। इतने सालों से कांग्रेस सरकार की निरंतर उपेक्षा और बुरी नीतियों के चलते भारतीय कृषि अत्यंत संकट की स्थिति में थी। पिछले चार वर्षों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने किसान और कृषि की दशा को बदलने के लिए जी-जान से काम किया।

गुजरात के मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान श्री नरेंद्र मोदी के पास कृषि सुधार का एक अद्‌भुत ट्रैक रिकॉर्ड है। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने गुजरात अनुभवों के आधार पर कृषि सुधार कार्य जारी रखा। कृषि क्षेत्र में भा.जा.पा. जो काम कर रही है वह कुछ ही वर्षों में जमीनी स्तर पर और व्यापक रूप से दिखाई देगा और भारत को फिर से वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था के केंद्र में प्रस्थापित

करने का काम करेगा।

इस पुस्तिका में मुख्य रूप से किसानो से जुड़ी हमारी मूल दृष्टि, क्षमता विकास एवं आत्मावलोकन, कृषि का हमारी जीवन-धारा में योगदान, ऋषि और कृषि की परंपरा, किसानों के लिये राज्य एवम् केन्द्र की योजनायें, खाद्य सुरक्षा और व्यवसायिक कृषि के बारे में हमारा चिंतन, भारत में कृषि का इतिहास, भारतीय किसानों की समस्याएं और समाधान, भावी योजनाएं, राजनीतिक गतिविधियों हेतु सोशल मीडिया का उपयोग आदि के सम्बन्ध में जानकारी संकलित की गयी है। अनुभवी प्रशिक्षकों के साथ विचार-विमर्श के पश्चात् तैयार की गयी इस पुस्तिका में जो जानकारी दी गयी है वह कार्यकर्ताओं और निर्वाचित पदाधिकारियों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ उनके ज्ञानवर्धन एवं कौशल विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस प्रक्रिया में इस पुस्तिका को एक शुरूआत ही मानना चाहिए।

मुझे उम्मीद है कि पार्टी के निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने में यह पुस्तिका सहायक सिद्ध होगी।

-पी. मुरलीधर राव
(राष्ट्रीय महासचिव)
प्रभारी, प. दीनदयाल उपाध्याय
प्रशिक्षण महाभियान

विषय सूची

1. भारतीय जनता पार्टी का इतिहास एवं विकास 13

I. पृष्ठभूमि 13

II. भारतीय जनसंघ का जनता पार्टी में विलय 15

III. भाजपा का गठन 16

IV. विचार एवं दर्शन 17

V. उपलब्धियाँ 18

VI. वर्तमान स्थिति 20

VII. भारतीय राजनीति में भाजपा का योगदान 21

VIII. लोकतंत्रः विकास एवं रक्षा 22

IX. विचारधारा 22

X. सुशासन 23

2. सैद्धांतिक अधिष्ठान 24

I. राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकात्मता 25

II. लोकतंत्र 25

III. सामाजिक व आर्थिक विषयों पर गाँधीवादी दृष्टिकोण 27

IV. सकारात्मक पंथ-निरपेक्षता एवं सर्वपंथसमभाव 28

V. मूल्य आधारित राजनीति 29

3. विचार परिवार 30

4. राष्ट्र के समक्ष चुनौतियों 33

I. बाहरी चुनौतियाँ 34

II. आंतरिक चुनौतियाँ 36

III. जबरन धर्मांतरण 37

IV. आर्थिक चुनौतियाँ 37

V. अर्थव्यवस्था से संबंधित सामाजिक मुद्दे 38

VI. सामाजिक मुद्दे 39

5. कार्यकर्ता विकास 41

6. हमारी कार्यपद्धति 43

I. व्यवहार पद्धति के मुख्य अंग 43

II. कार्यपद्धति के उपकरण 46

III. कार्यपद्धति के बुनियादी सूत्र 47

7. कृषि एक जीवन-धारा 49

I. जैव विविधता 49

II. कृषि और कृषि की परंपरा 50

III. हमारी जलवायु 51

IV. हमारी बसुंधरा 52

V. कृषि - उत्कृष्ट कर्म 53

VI. जल संचय की परम्परा 54

VII. पशुधन 55

VIII. बीज 55

IX. खाद्य सुरक्षा बनाम व्यवसायिक कृषि 55
X. कृषि हमारा धर्म 57
8. भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान 59
I. अंग्रेजों ने पहुँचाया भारतीय खेती को नुकसान 59
II. साठ के दशक में रहा खाद्यान्न संकट 60
III. रोजगार का बड़ा साधन खेती 61
IV. अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा खेती 62
V. किसानों की भलाई के लिए वाजपेयी सरकार के कदम 62
VI. केंद्र सरकार के अनूठे कदम 66
VII. नीति आयोग के नए सुधार 67
VIII. भारतीय खेती से जुड़े कुछ ऐतिहासिक तथ्य 68
9. भारत में कृषि का इतिहास 71
I. खेती की पौराणिक कहानी 71
II. वेदों में खेती का उल्लेख 71
III. सिंधु सभ्यता में खेती के अवशेष 73
IV. कौटिल्य के अर्थशास्त्र में खेती 75
10. भारतीय किसानों की समस्याएँ और समाधान 77
I. अत्यधिक जनसंख्या निर्भरता 78
II. कृषि आयात में संतुलन जरूरी 79
III. कारोबारी बाधाओं की भरमार 81
IV. मानसून का जुआ 83

V. कर्ज का जाल 84
VI. गलत प्राथमिकताएँ 85
VII. कॉर्पोरेट खेती का बढ़ता चलन 86
VIII. बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कब्जे में खेती, बदहाल भारती किसान 87
IX. उम्मीद जगाती बागवानी 88
11. भाजपा राज्य सरकारों की किसान कल्याण योजनाएँ 92
I. **गुजरात** 92
राज्य सरकार की कुछ प्रमुख योजनाएँ
सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई (SAUNI) योजना 93
सुजलाम सुफलाम योजना 93
किसानों के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज ऋण योजना 93
बजट में किसानों का विशेष ध्यान 94
II. **हरियाणा** 95
किसान आयोग का गठन 95
सब्जियों के लिए भावांतर योजना 95
कृषि कर्ज की आसान व्यवस्था 95
II. **उत्तर प्रदेश** 96
दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना 96
किसानों के कर्ज माफ 97
गाँव-किसान केंद्रित बजट 98

III. **उत्तराखंड** 98
पंडित दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता
किसान कल्याण योजना 98
IV. **मध्य प्रदेश** 99
भावांतर योजना 99
मुख्यमंत्री कृषि उत्पादकता प्रोत्साहन योजना 100
रूपे कार्ड की सहायता 100
आचार्य विद्यासागर गौ-संवर्धन योजना 100
किसानों को बिना ब्याज के कर्ज का ऐलान 101
V. **छत्तीसगढ़** 101
किसानों को ब्याजमुक्त कर्ज 101
किसान केंद्रित बजट 102
VI. **राजस्थान** 102
तकनीकी और अन्य सहायता 103
परंपरागत कृषि विकास योजना 103
राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन (एन.एम.एस.ए.) 104
किसानों का कर्ज माफ 104
VII. **महाराष्ट्र** 105
किसानों का कर्ज माफ 105
12. किसानों के लिए केंद्र सरकार की योजनाएँ 106
I. 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य 107

II. मिट्टी की सेहत के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड 107
III. न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि 108
IV. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 108
V. गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान 109
VI. धान की खरीद में लेवी प्रणाली 110
VII. नीम कोटिंग यूरिया से कालाबाजारी पर रोक 110
VIII. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और ग्राम ज्योति योजना 110
IX. किसानों के लिए आर्थिक योजनाएँ 111
X. डिजिटल इंडिया की पहल- ई-नाम 112
XI. कृषि में तकनीकी इस्तेमाल पर जोर 112
XII. जैविक खेती पर जोर 113
XIII. मत्स्य उत्पादन के लिए नीली क्रांति 113
XIV. राष्ट्रीय गोकुल मिशन 114
XV. खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा 114
XVI. किसानों के लिए खासतौर पर किसान चैनल 115
XVII. कृषि मौसम विज्ञान सेवा की शुरुआत 115
13. भावी योजनाएँ: अगला कदम 116
I. खेती की कीमत पर औद्योगीकरण को बढ़ावा 116
II. उपज बढ़ती गई, खेती से आमदनी घटती गई 117
III. खेती को मजबूत करने की जगह खेतों का शोषण 117

IV. जमीन को माँ की जगह साधन मानने की ट्रेनिंग 118
V. पारिस्थितिक संतुलन के लिए अनिवार्य हैं किसान व जमीन 120
VI. मोदी सरकार ने की बुनियादी सुधारों की शुरुआत 120
VII. एकीकृत खेती 124
VIII. जियो-मैपिंग/प्रेसिजन फार्मिंग 125
IX. सोलर ड्रायर तकनीक 125
X. प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना 126
सारांश 127
14. मीडिया/सोशल मीडिया संवाद 128
I. नियमित संपर्क में रहें 128
II. पत्रकारों से वार्ता में सतर्कता बरतें 129
III. तथ्यों पर ध्यान दें 129
IV. डिजिटल मीडिया पर करें फोकस 130
V. ग्रामीण इलाकों पर ध्यान देने की जरूरत 131
VI. शहरी क्षेत्रों को केंद्र बनाएँ 132

1. भारतीय जनता पार्टी का इतिहास एवं विकास

भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है जो भारत को एक सुदृढ़, समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए कृतसंकल्प है। भारत को एक समर्थ राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ भाजपा का गठन 6 अप्रैल, 1980 को नई दिल्ली के कोटला मैदान में आयोजित एक कार्यकर्ता अधिवेशन में किया गया जिसके प्रथम अध्यक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी निर्वाचित हुए। अपनी स्थापना के साथ ही भाजपा ने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं लोकहित के विषयों पर मुखर रहते हुए भारतीय लोकतंत्र में अपनी सशक्त भागीदारी दर्ज की तथा भारतीय राजनीति को नए आयाम दिए। कांग्रेस की एकाधिकार वाली एक-दलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था के रूप में जानी जाने वाली भारतीय राजनीति को भारतीय जनता पार्टी ने दो ध्रुवीय बनाकर एक गठबंधन-युग के सूत्रपात में अग्रणी भूमिका निभाई है। देश में विकास आधारित राजनीति की नींव भी भाजपा ने विभिन्न राज्यों में सत्ता में आने के बाद तथा पूरे देश में भाजपा नीत राजग शासन के दौरान रखी। आज तीन दशक बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में किसी एक पार्टी को देश की जनता ने पूर्ण बहुमत दिया है तथा भारी बहुमत से भाजपा नीत राजग सरकार केन्द्र में विद्यमान है।

पृष्ठभूमि

हालांकि भारतीय जनता पार्टी का गठन 6 अप्रैल, 1980 को हुआ, परन्तु इसका इतिहास भारतीय जनसंघ से जुड़ा हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति तथा देश विभाजन के साथ ही देश में एक नई राजनीतिक परिस्थिति

उत्पन्न हुई। गाँधीजी की हत्या के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाकर देश में एक नया राजनीतिक षड्यंत्र रचा जाने लगा। सरदार पटेल के देहावसान के पश्चात् कांग्रेस में नेहरू का अधिनायकवाद प्रबल होने लगा। गाँधी और पटेल दोनों के ही नहीं रहने के कारण कांग्रेस 'नेहरूवाद' की चपेट में आ गई तथा अल्पसंख्यक तुष्टिकरण, लाइसेंस-परमिट-कोटा राज, राष्ट्रीय सुरक्षा पर लापरवाही, राष्ट्रीय मसलों जैसे कश्मीर आदि पर घुटनाटेक नीति, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारतीय हितों की अनदेखी आदि अनेक विषय देश में राष्ट्रवादी नागरिकों को उद्विग्न करने लगे। 'नेहरूवाद' तथा पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में हिन्दू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर भारत के चुप रहने से क्षुब्ध होकर डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने नेहरू मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। इधर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ स्वयंसेवकों ने भी प्रतिबंध के दंश को झेलते हुए महसूस किया कि संघ के राजनीतिक क्षेत्र से सिद्धांतत: दूरी बनाये रखने के कारण वे अलग-थलग तो पड़े ही, साथ ही संघ को राजनीतिक तौर पर निशाना बनाया जा रहा था। ऐसी परिस्थिति में एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल की आवश्यकता देश में महसूस की जाने लगी। फलत: भारतीय जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर, 1951 को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में दिल्ली के राघोमल आर्य कन्या उच्च विद्यालय में हुई।

भारतीय जनसंघ ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में कश्मीर एवं राष्ट्रीय अखंडता के मुद्दे पर आंदोलन छेड़ा तथा कश्मीर को किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार देने का विरोध किया। नेहरू के अधिनायकवादी रवैये के फलस्वरूप डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कश्मीर की जेल में डाल दिया गया, जहाँ उनकी रहस्यपूर्ण स्थिति में मृत्यु हो गई। एक नई पार्टी को सशक्त बनाने का कार्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कंधों

पर आ गया। भारत-चीन युद्ध में भी भारतीय जनसंघ ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा राष्ट्रीय सुरक्षा पर नेहरू की नीतियों का डटकर विरोध किया। 1967 में पहली बार भारतीय जनसंघ एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नेतृत्व में भारतीय राजनीति पर लम्बे समय से बरकरार कांग्रेस का एकाधिकार टूटा, जिससे कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की पराजय हुई।

भारतीय जनसंघ का जनता पार्टी में विलय

सत्तर के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी के नेतृत्व में निरंकुश होती जा रही कांग्रेस सरकार के विरुद्ध देश में जन-असंतोष उभरने लगा। गुजरात के नवनिर्माण आन्दोलन के साथ बिहार में छात्र आंदोलन शुरू हो गया। कांग्रेस ने इन आंदोलनों के दमन का रास्ता अपनाया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया तथा देशभर में कांग्रेस शासन के विरुद्ध जन-असंतोष मुखर हो उठा। 1971 में देश पर भारत-पाक युद्ध तथा बांग्लादेश में विद्रोह के परिप्रेक्ष्य में बाह्य आपातकाल लगाया गया था जो युद्ध की समाप्ति के बाद भी लागू था। उसे हटाने की भी मांग तीव्र होने लगी। जनान्दोलनों से घबराकर इंदिरा गाँधी की कांग्रेस सरकार ने जनता की आवाज को दमनचक्र से कुचलने का प्रयास किया। परिणामत: 25 जून, 1975 को देश पर दूसरी बार आपातकाल भारतीय संविधान की धारा 352 के अंतर्गत 'आंतरिक आपातकाल' के रूप में थोप दिया गया। देश के सभी बड़े नेता या तो नजरबंद कर दिये गए अथवा जेलों में डाल दिए गये। समाचार पत्रों पर 'सेंसर' लगा दिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित अनेक राष्ट्रवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हजारों कार्यकर्ताओं को 'मीसा' के तहत गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। देश में लोकतंत्र पर खतरा मंडराने लगा। जनसंघर्ष को तेज किया जाने

लगा और भूमिगत गतिविधियाँ भी तेज हो गयीं। तेज होते जनान्दोलनों से घबराकर इंदिरा गाँधी ने 18 जनवरी, 1977 को लोकसभा भंग कर दी तथा नये जनादेश प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर एक नये राष्ट्रीय दल 'जनता पार्टी' का गठन किया गया। विपक्षी दल एक मंच से चुनाव लड़े तथा चुनाव में कम समय होने के कारण 'जनता पार्टी' का गठन पूरी तरह से राजनीतिक दल के रूप में नहीं हो पाया। आम चुनावों में कांग्रेस की करारी हार हुई तथा 'जनता पार्टी' एवं अन्य विपक्षी पार्टियाँ भारी बहुमत के साथ सत्ता में आई। पूर्व घोषणा के अनुसार 1 मई, 1977 को भारतीय जनसंघ ने करीब 5000 प्रतिनिधियों के एक अधिवेशन में अपना विलय जनता पार्टी में कर दिया।

भाजपा का गठन

जनता पार्टी का प्रयोग अधिक दिनों तक नहीं चल पाया। दो-ढाई वर्षों में ही अंतर्विरोध सतह पर आने लगा। कांग्रेस ने भी जनता पार्टी को तोड़ने में राजनीतिक दांव-पेंच खेलने से परहेज नहीं किया। भारतीय जनसंघ से जनता पार्टी में आये सदस्यों को अलग-थलग करने के लिए 'दोहरी-सदस्यता' का मामला उठाया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध रखने पर आपत्तियाँ उठायी जानी लगीं। यह कहा गया कि जनता पार्टी के सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य नहीं बन सकते। 4 अप्रैल, 1980 को जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति ने अपने सदस्यों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य होने पर प्रतिबंध लगा दिया। पूर्व के भारतीय जनसंघ से संबद्ध सदस्यों ने इसका विरोध किया और जनता पार्टी से अलग होकर 6 अप्रैल, 1980 को एक नये संगठन 'भारतीय जनता पार्टी' की घोषणा की। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई।

विचार एवं दर्शन

भारतीय जनता पार्टी एक सुदृढ़, सशक्त, समृद्ध, समर्थ एवं स्वावलम्बी भारत के निर्माण हेतु निरंतर सक्रिय है। पार्टी की कल्पना एक ऐसे राष्ट्र की है जो आधुनिक दृष्टिकोण से युक्त एक प्रगतिशील एवं प्रबुद्ध समाज का प्रतिनिधित्व करता हो तथा प्राचीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति तथा उसके मूल्यों से प्रेरणा लेते हुए महान 'विश्वशक्ति' एवं 'विश्व गुरू' के रूप में विश्व पटल पर स्थापित हो। इसके साथ ही विश्व शांति तथा न्याययुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को स्थापित करने के लिए विश्व के राष्ट्रों को प्रभावित करने की क्षमता रखे।

भाजपा भारतीय संविधान में निहित मूल्यों तथा सिद्धांतों के प्रति निष्ठापूर्वक कार्य करते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित राज्य को अपना आधार मानती है। पार्टी का लक्ष्य एक ऐसे लोकतान्त्रिक राज्य की स्थापना करना है जिसमें जाति, सम्प्रदाय अथवा लिंगभेद के बिना सभी नागरिकों को राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, समान अवसर तथा धार्मिक विश्वास एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो।

भाजपा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित 'एकात्म-मानवदर्शन' को अपने वैचारिक दर्शन के रूप में अपनाया है। साथ ही पार्टी का अन्त्योदय, सुशासन, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, विकास एवं सुरक्षा पर भी विशेष जोर है। पार्टी ने पाँच प्रमुख सिद्धांतों के प्रति भी अपनी निष्ठा व्यक्त की, जिन्हें 'पंचनिष्ठा' कहते हैं। ये पाँच सिद्धांत (पंच निष्ठा) हैं-राष्ट्रवाद एवं राष्ट्रीय अखंडता, लोकतंत्र, सकारात्मक पंथ-निरपेक्षता (सर्वधर्मसमभाव), गाँधीवादी समाजवाद (सामाजिक-आर्थिक विषयों पर गाँधीवादी दृष्टिकोण द्वारा शोषण मुक्त समरस समाज की स्थापना) तथा मूल्य आधारित राजनीति।

उपलब्धियाँ

श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष निर्वाचित हुए। अपनी स्थापना के साथ ही भाजपा राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हो गई। बोफोर्स एवं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पुनः गैर-कांग्रेसी दल एक मंच पर आये तथा 1989 के आम चुनावों में राजीव गाँधी के नेतृत्व में कांग्रेस को भारी पराजय का सामना करना पड़ा। वी.पी. सिंह के नेतृत्व में गठित राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार को भाजपा ने बाहर से समर्थन दिया। इसी बीच देश में राम मंदिर के लिए आंदोलन शुरू हुआ। तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक के लिए रथयात्रा शुरू की। राम मंदिर आन्दोलन को मिले भारी जनसमर्थन एवं भाजपा की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर आडवाणी जी की रथयात्रा को बीच में ही रोक दिया गया। फलतः भाजपा ने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार से समर्थन वापस ले लिया और वी.पी. सिंह सरकार गिर गई तथा कांग्रेस के समर्थन से चन्द्रशेखर देश के अगले प्रधानमंत्री बने। आने वाले आम चुनावों में भाजपा का जनसमर्थन लगातार बढ़ता गया। इसी बीच नरसिम्हाराव के नेतृत्व में कांग्रेस तथा कांग्रेस के समर्थन से संयुक्त मोर्चे की सरकारों का शासन देश पर रहा, जिस दौरान भ्रष्टाचार, अराजकता एवं कुशासन के कई 'कीर्तिमान' स्थापित हुए।

1996 के आम चुनावों में भाजपा को लोकसभा में 161 सीटें प्राप्त हुईं। भाजपा ने लोकसभा में 1989 में 85, 1991 में 120 तथा 1996 में 161 सीटें प्राप्त कीं। भाजपा का जनसमर्थन लगातार बढ़ रहा था। श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पहली बार भाजपा सरकार ने 1996 में शपथ ली, परन्तु पर्याप्त समर्थन के अभाव में यह सरकार मात्र 13 दिन ही चल पाई। इसके बाद 1998 के आम चुनावों में भाजपा ने 182

सीटों पर जीत दर्ज की और श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने शपथ ली। परन्तु जयललिता के नेतृत्व में अन्नाद्रमुक द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण सरकार लोकसभा में विश्वासमत के दौरान एक वोट से गिर गई, जिसके पीछे वह अनैतिक आचरण था, जिसमें उड़ीसा के तत्कालीन कांग्रेसी मुख्यमंत्री गिरधर गोमांग ने पद पर रहते हुए भी लोकसभा की सदस्यता नहीं छोड़ी तथा विश्वासमत के दौरान सरकार के विरुद्ध मतदान किया। कांग्रेस के इस अवैध और अनैतिक आचरण के कारण ही देश को पुनः आम चुनावों का सामना करना पड़ा। 1999 में भाजपा 182 सीटों पर पुनः विजय मिली तथा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 306 सीटें प्राप्त हुईं। एक बार पुनः श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपानीत राजग की सरकार बनी।

भाजपा नीत राजग सरकार ने श्री अटल बिहारी के नेतृत्व में विकास के अनेक नये प्रतिमान स्थापित किये। पोखरण परमाणु विस्फोट, अग्नि मिसाइल का सफल प्रक्षेपण, कारगिल विजय जैसी सफलताओं से भारत का कद अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ऊँचा हुआ। राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य में नयी पहल एवं प्रयोग, कृषि, विज्ञान एवं उद्योग के क्षेत्रों में तीव्र विकास के साथ-साथ महंगाई न बढ़ने देने जैसी अनेकों उपलब्धियाँ इस सरकार के खाते में दर्ज हैं।

भारत-पाक संबंधों को सुधारने, देश की आंतरिक समस्याओं जैसे नक्सलवाद, आतंकवाद, जम्मू एवं कश्मीर तथा उत्तर पूर्व के राज्यों में अलगाववाद पर कई प्रभावी कदम उठाए गये। राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को सुदृढ़ कर सुशासन एवं सुरक्षा को केन्द्र में रखकर देश को समृद्ध एवं समर्थ बनाने की दिशा में अनेक निर्णायक कदम उठाये गए।

तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं उपप्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में राजग शासन ने देश में विकास की एक नई राजनीति का सूत्रपात किया।

वर्तमान स्थिति

आज भाजपा देश में एक प्रमुख राष्ट्रवादी शक्ति के रूप में उभर चुकी है एवं देश के सुशासन, विकास, एकता एवं अखंडता के लिए कृतसंकल्प है।

10 साल पार्टी ने विपक्ष की सक्रिय और शानदार भूमिका निभाई। 2014 में श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में पहली बार भाजपा की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी, जो आज 'सबका साथ, सबका विकास' की उद्घोषणा के साथ गौरव सम्पन्न भारत का पुनर्निर्माण कर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा लगभग 11 करोड़ सदस्यों वाली विश्व की सबसे बड़ी राजनैतिक पार्टी बन गयी है।

26 मई, 2014 को श्री नरेंद्र दामोदरदास मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने कम समय में ही अभूतपूर्व उपलब्धियाँ हासिल की हैं। उन्होंने विश्व में भारत की गरिमा को पुन:स्थापित किया, राजनीति पर लोगों के विश्वास को फिर से स्थापित किया। अनेक अभिनव योजनाओं के माध्यम से नए युग की शुरुआत की। अन्त्योदय, सुशासन, विकास एवं समृद्धि के रास्ते पर देश बढ़ चला है। आर्थिक और सामाजिक सुधार सुरक्षित जीवन जीने का मार्ग उपलब्ध करा रहे हैं। किसानों के लिये ऋण से लेकर खाद तक की नयी नीतियाँ जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सॉयल हेल्थ कार्ड, आदि ने कृषि के तीव्र विकास की अलख जगायी है। ये नया युग है सुशासन का। चाहे आदर्श ग्राम योजना हो, स्वच्छता अभियान या फिर योग के सहारे भारत को स्वस्थ बनाने का

अभियान, इन सभी कदमों से देश को एक नयी ऊर्जा मिली है। भाजपा की मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, अमृत मिशन, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं से भारत को आधुनिक और सशक्त बनाने की दिशा में मजबूत कदम उठाया है। जन धन योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना जैसी अनेक योजनाएं देश में एक नयी क्रांति का सूत्रपात कर रही हैं। भाजपा सरकार ने देशवासियों को विश्व की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजना का उपहार दिया है।

भारतीय राजनीति में भाजपा का योगदान

- राष्ट्रीय अखण्डता, कश्मीर के भारत में पूर्ण विलय, कबाइली वेश में पाकिस्तानी आक्रमण के प्रतिकार, परमिट व्यवस्था एवं धारा 370 की समाप्ति व पृथकतावाद से निरन्तर संघर्ष करने वाली एकमात्र पार्टी भारतीय जनसंघ या भाजपा है, अन्यथा कश्मीर का बचना कठिन था।

- गोवा मुक्ति आंदोलन, सत्याग्रह एवं बलिदान। बहुत दबाव के बाद ही सरकार ने सैनिक कार्यवाही की।

- बेरुबाड़ी एवं कच्छ समझौते हमारी राष्ट्रीय अखण्डता के लिए चुनौती थे। भाजपा ने इस चुनौती का सामना किया।

- आज भी देश में राष्ट्रीय अखण्डता के मुद्दे उठाना, पृथकतावाद से जूझना एवं इस निमित्त समाज को निरन्तर जाग्रत रखने का काम भाजपा ही कर रही है।

- देश को परमाणु शक्ति सम्पन्न कर भारत पर हमलों की हिमाकत करने वालों को अटलजी की सरकार ने सीधा संदेश दिया।

लोकतंत्रः विकास एवं रक्षा

- प्रथम चरण में जब स्वतंत्रता आंदोलन के सभी नेता सत्ता पक्ष में जा बैठे थे, विपक्ष या तो था ही नहीं या राष्ट्रभक्ति से शून्य वामपंथियों के पास था तब जनसंघ ने चुनौती को स्वीकार किया तथा भारत के लोकतंत्र को भारतीय जनसंघ के रूप में सबल विपक्ष दिया। 1967 में जनसंघ दूसरा बड़ा दल बन गया था।
- चुनाव सुधार के मुद्दे उठाने वाला एकमात्र राजनीतिक दल जनसंघ या भाजपा ही है। लोकतांत्रिक मर्यादाओं को हमारी पार्टी ने बल दिया और उनका उल्लंघन नहीं होने दिया।
- आपातकाल के प्रतिकार की कहानी हमारी लोकतंत्रात्मक निष्ठा को पुष्ट करती है।
- पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नेतृत्व में जो विपक्ष उभरा, वही विकल्प बनने में भी सक्षम था। श्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं श्री नरेन्द्र मोदी भारतीय लोकतंत्र में विकल्प के नियामक हैं। भारतीय लोकतंत्र के लिए अपेक्षित अखिल भारतीय संगठन एवं नेतृत्व आज केवल भाजपा के पास है।

विचारधारा

- राजनीति केवल सत्ता प्राप्त करने का साधन नहीं है। समाज को अपेक्षित दिशा में प्रगति पथ पर ले जाना भी उसका कार्य है। इसके लिये संगत दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जो संगत विचारधारा से प्राप्त होता है। आज भारत के सभी राजनैतिक दल विचारधारा शून्यता के शिकार हैं। भाजपा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, एकात्म मानववाद तथा पंचनिष्ठाओं की संगत विचारधाराओं के आधार पर संगठन का नियमन कर रही है। शासन की नीति में भी इनका समुचित प्रतिबिम्बन होगा।

सुशासन

- ध्येयनिष्ठ कार्यकर्ताओं की शक्ति एवं सरकार का सुनियमन सुशासन की गारंटी है। छः साल का केन्द्रीय शासन एवं प्रदेशों में भाजपा की सरकारों ने अन्य दलों की सरकारों की तुलना में अच्छा शासन दिया है। गत तीन वर्षों से श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सकारात्मक सुशासन की प्रक्रिया तीव्र गति से चल रही है। व्यवस्थाओं की पुरानी विकृतियों का शमन करने में अभी भी कुछ वक्त लगेगा।

❍

2. सैद्धांतिक अधिष्ठान

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सिद्धांतों और आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल है। यह किसी परिवार, जाति या वर्ग विशेष की पार्टी नहीं है। भाजपा कार्यकर्ताओं को जोड़ने वाला सूत्र है–भारत के सांस्कृतिक मूल्य, हमारी निष्ठाएँ और भारत के परम वैभव को प्राप्त करने का संकल्प और साथ ही यह आत्मविश्वास कि अपने पुरुषार्थ से हम इन्हें प्राप्त करेंगे।

भाजपा की विचारधारा को एक पंक्ति में कहना हो तो वह है 'भारत माता की जय'। भारत का अर्थ है 'अपना देश'। देश जो हिमालय से कन्याकुमारी तक फैला है और जिसे प्रकृति ने एक अखंड भूभाग के रूप में हमें दिया है। यह हमारी माता है और हम सभी भारतवासी उसकी संतान हैं। एक माँ की संतान होने के नाते सभी भारतवासी सहोदर यानि भाई-बहन हैं। भारत माता कहने से एक भूमि और एक जन के साथ हमारी एक संस्कृति का भी ध्यान बना रहता है। इस माता की जय में हमारा संकल्प घोषित होता है और परम वैभव में है माँ की सभी संतानों का सुख और अपनी संस्कृति के आधार पर विश्व में शांति व सौख्य की स्थापना। यही है 'भारत माता की जय'।

भाजपा के संविधान की धारा 3 के अनुसार एकात्म मानववाद हमारा मूल दर्शन है। यह दर्शन हमें मनुष्य के शरीर, मन, बृद्धि और आत्मा का एकात्म यानि समग्र विचार करना सिखाता है। यह दर्शन मनुष्य और समाज के बीच कोई संघर्ष नहीं देखता, बल्कि मनुष्य के स्वाभाविक विकास-क्रम और उसकी चेतना के विस्तार से परिवार, गाँव, राज्य, देश और सृष्टि तक उसकी पूर्णता देखता है। यह दर्शन प्रकृति और मनुष्य में माँ का संबंध देखता है, जिसमें प्रकृति को स्वस्थ बनाए रखते हुए अपनी

आवश्यकता की चीजों का दोहन किया जाता है।

भाजपा के संविधान की धारा 4 में पाँच निष्ठाएँ वर्णित हैं। एकात्म मानववाद और ये पाँचों निष्ठाएँ हमारे वैचारिक अधिष्ठान का पूरा ताना-बना बुनती हैं।

(१) राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकात्मता: हमारा मानना है कि भारत राष्ट्रों का समूह नहीं है, नवोदित राष्ट्र भी नहीं है, बल्कि यह सनातन राष्ट्र है। हिमालय से कन्याकुमारी तक प्रकृति द्वारा निर्धारित यह देश है। इस देश-भूमि को देशवासी माता मानते हैं । उनकी इस भावना का आधार प्राचीन संस्कृति और उससे मिले जीवनमूल्य हैं। हम इस विशाल देश की विविधता से परिचित हैं। विविधता इस देश की शोभा है और इन सबके बीच एक व्यापक एकात्मता है। यही विविधता और एकात्मता भारत की विशेषता है। हमारा राष्ट्रवाद सांस्कृतिक है केवल भौगोलिक नहीं। इसीलिए भारत भू-मंडल में अनेक राज्य रहे, पर संस्कृति ने राष्ट्र को बाँधकर रखा, एकात्म रखा।

(२) लोकतंत्र: विश्व की प्राचीनतम ज्ञात पुस्तक ऋग्वेद का एक मंत्र 'एकं सद विप्रा: बहुधा वदन्ति' उल्लेखनीय है। इसका अर्थ है, सत्य एक ही है, विद्वान इसे अलग-अलग तरीके से व्यक्त करते हैं। भारत के स्वभाव में यह बात आ गई है कि किसी एक के पास सच नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ वह भी सही है, आप जो कह रहे हैं वह भी सही है। विचार स्वातंत्र्य (फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन) का आधार यह मंत्र है।

संस्कृत में एक और मंत्र है- 'वादे वादे जयाते तत्त्व बोध:'। इसका अर्थ है चर्चा से हम ठीक तत्त्व तक पहुँच जाते हैं। चर्चा से सत्य तक पहुँचने का यह मंत्र भारत में लोकतंत्रीय स्वभाव बनाता है। इन दोनों मन्त्रों ने भारत में लोकतंत्र का स्वरूप गढ़ा-निखारा है। भारतीय समाज ने इसी लोकतंत्र का स्वभाव ग्रहण किया है। लोकतंत्र भारतीय समाज के अनुरूप व्यवस्था है।

भाजपा ने अपने दल के अंदर भी लोकतंत्रीय व्यवस्था को मजबूती से अपनाया है। भाजपा संभवत: अकेला ऐसा राजनीतिक दल है, जो हर तीसरे साल स्थानीय समिति से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के नियमित चुनाव कराता है। यही वजह है कि कभी चाय बेचने वाला युवक देश का प्रधानमंत्री बना है और इसी तरह सभी प्रतिभावान लोगों का पार्टी के अलग-अलग स्तरों से लेकर चोटी तक पहुँचना संभव होता रहा है।

सत्ता का किसी एक जगह केन्द्रित होना लोकतंत्रीय स्वभाव के विपरीत है। इसीलिए लोकतंत्र विकेन्द्रित शासन व्यवस्था है। केन्द्र, राज्य, नगरपालिका और पंचायत सभी के काम और जिम्मेदारियाँ बँटी हुई हैं। सब को अपनी-अपनी जिम्मेदारियाँ भारत के संविधान से प्राप्त होती हैं। संविधान द्वारा मिली अपनी-अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए सभी (केंद्र, राज्य, नगरपालिका और पंचायत) स्वतंत्र हैं। इसीलिए गाँव के लोग पंचायत द्वारा गाँव का शासन स्वयं चलाते हैं और यही इनके चढ़ते हुए क्रम तक होता है।

लोकतंत्र के प्रति हमारी निष्ठा आपातकाल में जगजाहिर हुई। 25 जून, 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी ने भारत में आपातकाल घोषित कर दिया था। नागरिकों के संविधान-प्रदत्त मौलिक अधिकार भी निरस्त कर दिए गए थे। यहाँ तक कि जीवन का अधिकार भी छीन लिया गया था। तत्कालीन जनसंघ (अब भाजपा) नेताओं को जेलों में डाल दिया गया था और पार्टी दफ्तरों पर सरकारी ताले डाल दिए गए थे। अखबारों पर भी सेंसरशिप लागू हो गई थी।

लोकतंत्र के प्रति अपनी निष्ठा के कारण ही हम (यानि तत्कालीन जनसंघ के कार्यकर्ता) भूमिगत अहिंसक आंदोलन खड़ा कर सके। समाज को संगठित करके एक बड़ा संघर्ष किया। असंख्य कार्यकर्ताओं ने पुलिस का दमन, जेल यातना और काम धंधे (रोजी-रोटी) का नुकसान सहा। इसी संघर्ष का परिणाम था 1977 के आम चुनावों में

जनता जनार्दन की शक्ति सामने आई और इंदिरा जी की तानाशाह सरकार धराशायी हो गई।

(३) सामाजिक व आर्थिक विषयों पर गाँधीवादी दृष्टिकोण जिससे शोषणमुक्त और समतायुक्त समाज की स्थापना हो सके: गाँधीवादी सामाजिक दृष्टिकोण भेदभाव और शोषण से मुक्त समतामूलक समाज की स्थापना है। दुर्भाग्य से एक समय में, जन्म के आधार पर छोटे या बड़े का निर्धारण होने लगा, अर्थात् जाति व्यवस्था विषैली होकर छुआछूत तक पहुँच गई। भक्ति काल के पुरोधाओं से लेकर महात्मा गाँधी व डॉ. अम्बेडकर को इससे समाज को मुक्त कराने के लिए संघर्ष करना पड़ा। आज भी यह विषमता पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है।

यही वजह है कि अनुसूचित जाति के साथ अनेक प्रकार से भेदभाव होते हैं और उन्हें यह अहसास कराया जाता है कि वे बाकी जातियों से कमतर हैं। शिक्षित और धनवान हो जाने से भी यह विषमता दूर नहीं होती। भारतीय संविधान के रचयिता डॉ. अम्बेडकर ने विदेश से पीएचडी कर ली थी। फिर भी वह जिस कॉलेज में पढ़ाते थे वहाँ उनके पीने के पानी का घड़ा अलग रखा जाता था। भाजपा इसे स्वीकार नहीं करती। हम मानते हैं कि सभी में एक ही ईश्वर समान रूप से विराजता है। मनुष्य मात्र की समानता और गरिमा का यह दार्शनिक आधार है। देश को सामाजिक शोषण से मुक्त कराकर समरस समाज बनाना हमारी आधारभूत निष्ठा है।

किसी एक राज्य या कुछ व्यक्तियों के हाथ में सत्ता के केन्द्रीकरण के अपने खतरे होते हैं और यह स्थिति सत्ता में भ्रष्टाचार को बढ़ाती है। लेकिन गाँधीजी की मांग सही साधनों पर भरोसा करने की भी थी। उन्होंने किसी 'वाद' को जन्म नहीं दिया, बल्कि उनके दृष्टिकोण जीवन के प्रति एकात्म प्रयास को उजागर करते हैं।

महात्मा गाँधी के दृष्टिकोण के आधार पर भाजपा भी आर्थिक शोषण के खिलाफ है और साधनों के समुचित बंटवारे की पक्षधर है। हम इस बात पर विश्वास नहीं रखते कि कमाने वाला ही खाएगा। हमारी दृष्टि में कमा सकने वाला कमाएगा और जो जन्मा है वह खाएगा। हमारा मानना है कि समाज और राज्य सबकी चिन्ता करेंगे। दीनदयालजी मनुष्य की मूल आवश्यकताओं में रोटी, कपड़ा और मकान के साथ शिक्षा और रोजगार को भी जोड़ते थे। आर्थिक विषमताओं की बढ़ती खाई को पाटा जाना चाहिए। अशिक्षा, कुपोषण और बेरोजगारी से एक बड़ा युद्ध लड़कर ''सर्वे भवन्तु सुखिनः'' का आदर्श प्राप्त करना हमारी मौलिक निष्ठा है। हमारे गाँधीवादी दृष्टिकोण ने यह सिखाया है कि इसके लिए हमें विचार या तंत्र बाहर से आयात करने की जरूरत नहीं है। अपने सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर अपनी बुद्धि, प्रतिभा और पुरुषार्थ से हम इसे पा सकते हैं।

(४) सकारात्मक पंथ-निरपेक्षता एवं सर्वपंथसमभावः एक समय पश्चिमी देशों में पोप और पादरियों का राजकाज में अत्यधिक नियंत्रण हो गया था। अगर कोई अपराध करता था तो चर्च में एक निर्धारित राशि का भुगतान करके वह अपराधमुक्त होने का प्रमाणपत्र ले सकता था। नतीजा यह हुआ कि शासन में धर्म के असहनीय हस्तक्षेप का विरोध शुरू हो गया। विरोधियों का तर्क था कि धर्म घर के अंदर की वस्तु है। इस विरोध आन्दोलन से धर्मनिरपेक्षता का प्रादुर्भाव हुआ।

भारत में धर्म किसी पुस्तक, पैगम्बर या पूजा पद्धति में निहित नहीं है। हमारे यहाँ धर्म का अर्थ है जीवन शैली। अग्नि का धर्म है दाह करना और जल का धर्म है शीतलता। राजा को कैसे रहना और व्यवहार करना है यह है उसका राज-धर्म, पिता की क्या जिम्मेदारियाँ हैं, उसे क्या करना चाहिए, यह है पितृ-धर्म। इसी तरह पुत्र-धर्म और पत्नी-धर्म हैं। इसीलिए भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्म से निरपेक्ष हो जाना नहीं है।

भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ सर्व पंथ समादर भाव है। शासक किसी पंथ को, किसी भी पूजा पद्धति को राज-पंथ, राज-धर्म या राज-पद्धति नहीं मानेगा। वह सभी धर्मों, पंथों एवं पद्धतियों को समान आदर देता है। हमारा उद्देश्य है, न्याय सबके लिए और तुष्टिकरण किसी का नहीं। इसका व्यावहारिक अर्थ है 'सबका साथ सबका विकास'। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हिन्दुओं को मुसलमानों से और मुसलमानों को हिन्दुओं से नहीं लड़ना है, बल्कि दोनों को मिल कर गरीबी से लड़ना है।

(५) मूल्य आधारित राजनीतिः भाजपा ने जो पांचवाँ अधिष्ठान अपनाया है वह है 'मूल्य आधारित राजनीति'। एकात्म मानववाद मूल्य आधारित राजनीति पर विश्वास करता है। नियमों और मूल्यों के निर्धारण के वायदे के बिना राजनीतिक गतिविधि सिर्फ निज स्वार्थपूर्ति का खेल है। भाजपा 'मूल्य आधारित राजनीति' के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है और इस तरह सार्वजनिक जीवन का शुद्धिकरण एवं नैतिक मूल्यों की पुनःस्थापना उसका लक्ष्य है।

आज देश का संकट मूल रूप से नैतिक संकट है और राजनीति विशुद्ध रूप से ताकत का खेल बन गई है। यही वजह है कि देश नैतिक ताकत के लुप्तिकरण से जूझ रहा है और मुश्किलों का सामना करने की अपनी क्षमता को खोता जा रहा है। जब हम इन पांचों निष्ठाओं की बात करते हैं तो अपने आसपास या देश में घटे कुछ ऐसे प्रसंग ध्यान में आते हैं, जिनसे लगता है कि हम हर स्तर पर पूरी तरह सभी निष्ठाओं का पालन करते हैं, यह नहीं कहा जा सकता। पर, हम यह विश्वास से कह सकते हैं कि ये निष्ठाएँ हमारे लिए प्रकाश-स्तम्भ की तरह हैं। हम सबको यह प्रयत्न करते रहना जरूरी है कि हम अपना जीवन और अपनी पार्टी को इन निष्ठाओं के आधार पर चलाएँ। ❍

3. विचार परिवार

- 1947 में देश स्वतंत्र हुआ, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का विचार अधिक सघनता से करने का शुभ अवसर आया।
- रा.स्व.संघ के व्यक्ति निर्माण का कार्य संघ स्वयंसेवकों द्वारा समाज जीवन के विविध क्षेत्रों में साकार करने का विचार संघ में गतिमान होने का यह समय था।
- 1950 के दशक से इस प्रक्रिया का प्रारम्भ हुआ और संघ कार्यकर्ता धीरे-धीरे सामाजिक जीवन के एक क्षेत्र में स्वायत्त रचना खड़ी करते हुए चलते गये।
- आज की स्थिति में लगभग सभी क्षेत्रों में समान ध्येय एवं विचार-व्यवहार की प्रक्रियायें केंद्र में रखते हुए ऐसे संगठन कार्यरत ही नहीं बल्कि प्रभावी रूप से इस पुनर्निर्माण के कार्य को प्रबल बना रहे हैं।
- इसकी भूमिका बहुत ही स्पष्ट है - राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के व्यापक संदर्भ में ऐसे किसी एक क्षेत्र में - उस क्षेत्र की आवश्यकता तथा स्वरूप के अनुसार जन संगठन खड़ा करके उस क्षेत्र में अपेक्षित परिवर्तन साध्य करने का यह प्रयास है।
- 1949 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना हुई - यह प्रारंभिक प्रयास रहा - उसके पश्चात् एक-एक संगठन का निर्माण हुआ - आज की स्थिति में लगभग 40/42 ऐसे संगठन इस श्रृंखला में विद्यमान हैं।
- रा.स्व.संघ के विचार की पृष्ठभूमि इन संगठनों के सिद्धांत का आधार है-राष्ट्र जीवन का विचार एकात्म भाव से हो, समाजहित सर्वोपरि हो, समर्पित कार्यकर्ता का निर्माण हो, भारतीय परंपरा,

इतिहास राष्ट्रपुरुष इनके प्रजा सम्मान और आदर की भावना हो और जिस क्षेत्र में कार्य खड़ा करना है उस क्षेत्र की समस्याओं को मिटाकर स्वस्थ समाज को साकार करे ऐसी समान भूमिका इस विचार परिवार की आधारशिला है।

- इस विचार परिवार से अपना भावनात्मक संबंध रखकर कार्य करने वाले ऐसे सभी संगठन स्वतंत्र हैं। स्वायत्त है। सबकी कार्यपद्धति संगठन के स्वरूप के अनुसार है और उनका कार्य विस्तार भी बढ़ती मात्रा में दिखाई देता है।
- वास्तव में यह एक अनोखी रचना है – व्यापक रूप से विचारधारा समान है परन्तु भिन्न कार्यपद्धति है। विचार परिवार एक ही है परन्तु नियंत्रण, नियमन और कार्यकर्ताओं का बल अपने-अपने संगठन ने अपने प्रयास से खड़ा किया है।
- शिक्षा, सेवा तथा वंचित समाज के स्थान को कार्यरत संगठनों ने समाजोत्कर्षक बहुत बड़ा कार्य खड़ा किया है। विद्या भारती, वनवासी कल्याण आश्रम, सेवा भारती ऐसे उदाहरण प्रेरक हैं। छोटे-बड़े सेवाकार्य, एकल विद्यालय यह परिवर्तन के प्रतिमान बन चुके हैं।
- विचार परिवार के घटक के रूप में जुड़े हुए विविध संगठन स्वतंत्र और स्वायत्त होते हुए भी सभी में समन्वय रहे, परस्पर-पूरकता रहे और मूल विचार के परिप्रेक्ष्य में विसंगती न रहे ऐसी आज की विद्यमान रचना है।
- बहुत ही प्रभावी रूप से विविध क्षेत्र में सारे संगठन समाज हित में कार्य कर रहे हैं और नेतृत्व की भूमिका में रहे हैं। जैसे कि भारतीय मजदूर संघ आज विश्वभर में होने वाली गणना से क्रमांक एक का संगठन है। अ.भा.वि. परिषद छात्रों के क्षेत्र में सबसे बड़े, अनुशासित संगठन के रूप में विद्यमान है। हिंदुत्व के विचार को क्षेत्र में बड़ा

संगठन विश्व हिन्दू परिषद ने खड़ा किया है।

- ऐसे संगठनों की भूमिका राजनैतिक सत्ता संपादन की नहीं। राजनैतिक क्षेत्र में राष्ट्रवाद से प्रतिबद्धता रखने वाले दल प्रति मानस तैयार होता है। यह स्वाभाविक परिणाम होगा। लेकिन किसी संगठन के हित तथा कार्यकर्ताओं का उपयोग दलगत राजनैतिक हितों के लिये करने की परंपरा नहीं है।
- कार्य क्षेत्र भिन्न-भिन्न होते हुये भी समाज जीवन की दृष्टि से समान दृष्टिकोण विचार परिवार में स्वाभाविकत: दिखाई देता है जैसे कि समाज का विचार एकात्मभाव से ही हो, समाज जीवन टुकड़ों में बंटा नहीं है तो सभी अंग परस्पर-पूरक है, समरसता यह समाज जीवन के स्वास्थ्य का आधार है, विविधता में एकता का अनुभव है, वर्ण-वर्ग-जाति संघर्ष समाजहित में नहीं है। एक जन-एक राष्ट्र-एक संस्कृति यह समाज जीवन की अनुभूति है, भारतीय समाज मानस मूलत: आध्यात्मिक होने के कारण समष्टि के लिये त्याग की अभिव्यक्ति व्यक्ति मात्र में हो, धर्म कल्पना व्यापक ही है और समाज की धारणा करने वाली है-ऐसे सारे सिद्धांत विचार परिवार के सभी संगठनों ने धारण किये हैं।
- विचार परिवार का यह आविष्कार राष्ट्र के परम वैभव से ही प्रेरित है। मूल प्रेरणा यही है। संगठन के सारे अंतर्गत व्यवहार और कार्यकर्ताओं के परस्पर संबंध सदा स्नेहपूर्ण रहने का मूल कारण समाज ध्येयवाद के प्रति समर्पण का भाव यही है।
- आज समाज जीवन के लगभग सारे क्षेत्रों में ऐसे संगठन कार्य करके एक शक्ति के रूप में संपन्न है। यह शक्ति किसी के विरोध में नहीं, प्रतियोगिता में नहीं या वर्चस्व प्रस्थापित करने के लिये बल्कि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण से ही प्रेरित है।

4. राष्ट्र के समक्ष चुनौतियों

कभी सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत आज चारों ओर से अनेक चुनौतियों से घिरा है। बेरोजगारी, अशिक्षा, कुपोषण, कन्या भ्रूणहत्या, गरीबी जैसी आंतरिक चुनौतियों से जहाँ एक ओर देश को जूझना है वहीं बाहरी चुनौतियाँ भी कम नहीं है। बाहरी चुनौतियाँ पड़ोसी देशों से ज्यादा है, खासकर सामरिक दृष्टिकोण से चीन बड़ी चुनौतियाँ पेश कर रहा है। तो हमारी एकता, अखंडता एवं अर्थव्यवस्था पर पाकिस्तान लगातार चोट कर रहा है।

पड़ोस के देशों से अवैध घुसपैठ भी हमारी राजनीतिक व आर्थिक स्थिरता के लिए बड़ा खतरा है। यूरोप में जिस तरह से शरणार्थी के नाम पर तेजी से घुसपैठ हो रहा है, उससे भारत को सबक लेते हुए संभल जाना चाहिए। ऐसा कुछ देश या आतंकवादी संगठन जान बूझकर करते हैं ताकि हमारी जनसंख्या संतुलन बिगड़े और वे अलगाववाद को हवा दें। बंगाल की सीमा से लगे असम के कुछ हिस्सों में ऐसी ही स्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं।

पाकिस्तान से बड़ी मात्रा में आ रही नकली मुद्रा भी हमारे लिए बड़ी चुनौती है। इससे हमारी अर्थव्यवस्था को सीधा खतरा है। हमारे पड़ोसी मुल्कों की सहायता से चलाए जा रहे हवाला रैकेट के प्रति भी सावधान रहना होगा। हाल ही में देशव्यापी छापों से यह रहस्य खुला कि देश के दुश्मन हवाला कारोबारियों के जरिए हजारों करोड़ रुपये यहाँ से भेज रहे हैं। आतंकवादी समूहों, हवाला का कारोबारियों और कुछ देश विरोधी गैर सरकारी संगठनों के बीच सांठ-गांठ के सबूत सामने आए हैं। यह हमारी अर्थव्यवस्था को अस्थिर बनाने की साजिश है।

साइबर आतंकवाद का खतरा हमारे लिए बढ़ गया है। आज दुनिया उसी की मुठ्ठी में है, जो पूरी तरह से वायु तंरगों पर नियंत्रण रखता है। चीन और अमरीका लगातार सेटेलाइट आधारित ऐसे-ऐसे यंत्रों का आविष्कार कर रहे हैं जिनके जरिए दूसरे देशों की हर गतिविधि पर नजर रखी जा सकती है। भारत को अमरीका से कम चीन से ज्यादा खतरा है, क्योंकि चीन हाल के वर्षों में कई बार हमारे वेबसाइट को हैक कर चुका है। चीन की आईटी कंपनियों पर अमरीका और यूरोप की जासूसी करने का भी आरोप लग चुका है। आने वाले दिनों में सूचना प्रौद्योगिकी को भी एक दूसरे पर हावी होने के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।

विदेशों से सहायता प्राप्त आतंकवाद संगठन, उनके आत्मघाती दस्ते और आतंकवाद के खड़े होते नये प्रारूप भी हमारे लिए खतरे की घंटी हैं।

देश में स्थाई विकास की योजना बने, इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी जनसंख्या वृद्धि का सही प्रबंधन करें। बिना किसी योजना या राजनीतिक कारणों से यदि हम जनसंख्या को यूं ही नजरंदाज तो एक दिन स्थिति विस्फोटक हो जाएगी। देश में युद्ध की स्थिति बन जाएगी।

बाहरी चुनौतियाँ

- चीन और पाकिस्तान, दोनों के साथ हमारा सीमा विवाद है और ये दोनों पड़ोसी देश हमारे लिए सीमा व घरेलू मोर्चों पर परेशानियां खड़ी कर सकते हैं।
- चीन और पाकिस्तान दोनों परमाणु संपन्न देश हैं और इन दोनों ने एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरते भारत को चोट पहुँचाने के उद्देश्य से आपस में गहरे राजनयिक संबध स्थापित कर लिए हैं।
- दोनों में से कोई भी देश पहले परमाणु अस्त्र के इस्तेमाल नहीं करने

की घोषणा करने को तैयार नहीं है, जबकि भारत इसके लिए वचनबद्ध है।

- पाक प्रायोजित आतंकवाद के कारण भारत में हजारों लोगों की जानें जा चुकी हैं और अभी भी हमारे देश में पाकिस्तान द्वारा चलाए जा रहे सैकड़ों आतंकवादी मॉडल सक्रिय हैं। पूरा विश्व आज जान चुका है पाकिस्तान आतंकवादियों को उद्गम स्थल है और यहाँ से पूरी दुनिया में आतंकियों को भेज रहा है। भारतीय सीमा के आस-पास आज भी पाकिस्तान आतंकवादी कैंप चला रहा है। वह दाउद इब्राहिम और टाइगर मेनन जैसे भारत विरोधी आतंकवादियों को न सिर्फ अपने यहाँ पनाह दे रहा है, बल्कि वह शांति प्रक्रिया के लिए हुए हर तरह के समझौते से मुकर जा रहा है।
- पाक प्रायोजित आतंकवाद मॉडयूल पर सतर्कता बरतने 26/11 हमले के गुनहगारों को भारत लाने जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा चलाई जा रही आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने जैसी कई चुनौतियों के कारण भारत को काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। हमारी राष्ट्रीय संपत्ति यूं ही जाया हो रही है।
- भारत द्वारा पाकिस्तान को लगातार आर्थिक सहयोग देने और मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिए जाने के बावजूद पाकिस्तान कभी भारत को यह दर्जा नहीं देता, जिसके कारण भारत का व्यापार बाधित होता है।
- चीन के साथ हमारा सीमा विवाद काफी समय से चला आ रहा है। यद्यपि पहले ऐसा प्रतीत होता था कि चीन इस समस्या का समाधान नही चाहता परन्तु मई 2018 में प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद कुछ सकारात्मक संकेत मिले हैं। कभी कोई गोली बारी नहीं हुई और ना ही कोई विशेष तनाव ही फैला, उसके बावजूद चीन लगातर हथियारों का जखीरा

भारतीय सीमा पर इकठ्ठा कर रहा है और हमेशा हमारे विरुद्ध एक प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाए हुए है। अभी हाल ही में कुछ मामलों में यूएनए में आए प्रस्ताव पर चीन ने भारत विरोधी तेवर बनाए रखा।

- यद्यपि भारत ने चीन के साथ हमेशा आर्थिक सहयोग की भावना रखी, लेकिन चीन लगातार हमारी आर्थिक हितों को अनदेखा करता रहा, राजनयिक स्तर पर भी और हिंद महासागर के एक देश के रूप में भी।
- चीन लगातार अपनी नौसेना को मजबूत कर रहा है और भारत के सामुद्रिक हितों के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है। यह हमारे लिए एक और बड़ी चिंता की बात है।
- चीन सीमा पर सड़कों को जाल बिछा कर एक तरह से पाकिस्तान और श्रीलंका को मदद कर रहा है। इससे हिंद महासागर में भारत के प्रभुत्व को कड़ी चुनौती मिल रही है।
- जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, तब से भारत सोची-समझी रणनीति के तहत नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इन देशों की यात्रा से एक उचित वातावरण भारत के पक्ष में बना है। भारत अब चीन और पाकिस्तान द्वारा संभावित खतरे से निबटने के लिए अपनी सुरक्षा और खुफिया स्रोतों को मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम असरदार तरीके से उठा रहा है।

आंतरिक चुनौतियाँ

माओवाद

- पाकिस्तान और चीन से लगातार सहायता प्राप्त कर रहे माओवादी

भारत के आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं।

- माओवादियों द्वारा की गई हिंसा के कारण अब तक हजारों सुरक्षा बल के जवान और आम नागरिक मारे जा चुके हैं। भारत के लगभग 200 जिलों में फैले अति वामपंथी विचारधारा के इन अतिवादियों के कारण देश का विकास अवरुद्ध हो रहा है।
- ये माओवादी अब पूर्वोत्तर राज्यों के उग्रवादी समूहों के साथ सांठ-गांठ कर साझा हमले की कोशिश कर रहे हैं।
- पूर्वोत्तर में सक्रिय अलगाववादी संगठन म्यांमार और बांग्लादेश के अपने गुप्त ठिकाने से भारत विरोधी गतिविधियाँ चला रहे हैं और उग्रवादी हमले का संचालन कर रहे हैं।

जबरन धर्मांतरण

- धन और बल के सहारे मसीही और जिहादी गतिविधियाँ चलाकर देश की जनसांख्यिकी ढांचे को बिगाड़ने का षड्यंत्र भारत में कई वर्षों से चल रहा है। यह हमारे लिए एक गंभीर आंतरिक खतरा है।
- धर्मांतरण के खेल में देश के बाहर की एजेंसियाँ भी लगी हैं, जो मुक्त हाथ से धन का और गुंडों का प्रयोग कर रही हैं।
- जबरिया धर्मांतरण एक गंभीर विषय है, क्योंकि इससे हमारा भाईचारा और सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका है।
- धर्मांतरण हमारे यहाँ राजनैतिक रूप से एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि भारत की कई राजनैतिक पार्टियाँ या तो धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दे रही हैं, या फिर खामोश समर्थन दे रही हैं।
- हमारे कई राज्यों में धर्मांतरण इतना ज्यादा हुआ है कि वहाँ की पूरी तरह बदल गया है। ऐसे राज्यों के लोगों में आक्रोश और गुस्सा है जो कभी भी फट सकता है।

आर्थिक चुनौतियाँ

- वर्ष 2015 का सामाजिक–आर्थिक एवं जातिगत जनगणना सर्वेक्षण यह बताता है कि देश की एक बहुत बड़ी आबादी किस तरह से गरीबी की जिंदगी जी ने को विवश है।
- 60 साल के कांग्रेस के शासन में 60 फीसदी से अधिक ग्रामीण आबादी बदहाली की स्थिति में है।
- देश की लगभग 75 फीसदी आबादी की मासिक आय 5000 रुपये से भी कम है।
- 30 फीसदी आबादी के लिए आज भी खेती ही एकमात्र जीविका का साधन है।
- परंतु 56 फीसदी ग्रामीण आबादी के पास आज भी कोई भूमि नहीं है।
- लाखों लोग भीख मांग कर गुजारा कर रहे हैं।
- 13 फीसदी से अधिक लोग आज भी कच्चे मकान में रहते हैं।
- 11 करोड़ लोग फटेहाली की स्थिति में हैं।

अर्थव्यवस्था से संबंधित सामाजिक मुद्दे

- भारत में कुपोषित महिलाओं और बच्चों की संख्या काफी अधिक है।
- प्रसव के दौरान मृत्यु की दर भी भारत में काफी अधिक है जो यह बताती है कि लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएँ अभी भी नहीं पहुँच रही हैं।
- भ्रूण हत्या एवं शिशु मृत्यु के कारण लैंगिक औसत में बालिकाओं की संख्या कमती जा रही है। हरियाणा, पंजाब और उत्तरप्रदेश में यह औसत खतरनाक स्थिति तक पहुँच गई है।

- इस लैंगिक असंतुलन को दूर करने के लिए भाजपा ने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, का अभियान चलाया है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएँ आज भी दूर की कौड़ी बनी हुई हैं।
- हमें यह ध्यान रखना होगा कि आधुनिकीकरण का मतलब पश्चिमीकरण नहीं है।
- वैश्वीकरण के नाम पर भारत के उद्योगों और यहाँ की परंपरा व संस्कृति को दांव पर लगाया जा रहा है।
- भारत को विदेशी सामानों का गोदाम बनाने के कारण हमारे परंपरागत उद्योग व लघु उद्योग खतरे में पड़ गए हैं।
- परंपरागत रूप से भारत के दस कुशल समुदाय जिन्हें हम सामूहिक रूप से विश्वकर्मा कहते थे और जिनमें बढ़ई, बुनकर, सुनार, लुहार, कुम्हार, चर्मकार, निर्माण मिस्त्री और ठठेरा कहते थे, उनके हाथ से काम छिन रहे हैं और अब वे किसी और रोजगार की तलाश में भटकने को मजबूर हो गए। आवश्यकता है कि फिर से इन्हें प्रशिक्षित किया जाए और भारत सरकार के स्कील इंडिया कार्यक्रम में इन्हें शामिल किया जाए।
- युवाओं के कौशल विकास के द्वारा रोजगार की ओर उन्मुखकर बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए गंभीर प्रयास हो रहे हैं। मुद्रा बैंक भी युवाओं में उद्यमशीलता बढ़ाकर इस समस्या के समाधान के रूप में सामने आया है।

सामाजिक मुद्दे

- भाजपा सरकार ने स्वच्छ भारत के लिए क्लीन इंडिया मिशन की शुरूआत की है।
- स्वच्छता के जरिए कई जानलेवा बीमारियों से हम बच सकते हैं।

- गंगा सफाई योजना हमारे देश के लिए गर्व की बात है।
- इस अभियान को देश की अन्य नदियों से जोड़ने की जरूरत है।
- हमारे ऐतिहासिक और पौराणिक शहरों को अतिक्रमण और गंदगी से सुरक्षित रखने की आवश्यकता है।
- ऐतिहासिक और पौराणिक महत्त्व के भवनों और स्थलों की सुरक्षा के प्रति स्थानीय लोगों को जागरूक करना आवश्यक है।
- देश के प्रत्येक नागरिक के लिए स्वच्छ जल पीने के लिए मुहैया हो।
- हर घर बिजली और स्वच्छ पानी भाजपा सरकारों का लक्ष्य हो।
- देश को शत-प्रतिशत साक्षर बनाना भी भाजपा का लक्ष्य है।
- समस्याओं का समाधान सिर्फ कानून बना देने भर से नहीं हो सकता बल्कि इस पर असरदार तरीके से अमल और जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना ज्यादा महत्त्वपूर्ण है।

❍

5. कार्यकर्ता विकास

- हमारी पार्टी 'कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है। कार्यकर्ताओं का समुचित विकास ही, स्वस्थ नेतृत्व की गारंटी है।
- सत्तावादी राजनीति कार्यकर्ताओं को परस्पर स्पर्धी बना देती है। इससे कार्यकर्ताओं के संस्कारों का क्षय एवं विचारों का वर्धन होता है। भाजपा का कार्यकर्ता परस्पर सहयोगी है, जिस महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये हमारा संगठन बना है, उसे कार्यकर्ताओं की सामूहिकता एवं टीम भावना से ही प्राप्त किया जा सकता है।
- अत: कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण हो, उदाहरणस्वरूप व्यवहार हो तथा उसे समाजशास्त्र व मनोविज्ञान की समुचित जानकारी हो, इसकी व्यवस्था होनी चाहिये।
- कार्यकर्ता के विकास में दायित्व के निर्वहन की निर्णायक भूमि का होती है। इसलिये हर कार्यकर्ता के लिये संगठन में काम होना चाहिये तथा हर काम के लिये कार्यकर्ता उपलब्ध होना चाहिये।
- पूर्व योजना एवं पूर्ण योजना की बैठक कार्यकर्ता की चिन्तन प्रक्रिया एवं निर्णय प्रक्रिया को चालना देती है। अत: हर कार्यक्रम के बाद समीक्षा बैठक होनी चाहिये इससे कार्यकर्ता में आत्मालोचन का भाव जगता है।
- हर कार्यकर्ता कहीं न कहीं टीम का हिस्सा हो तथा कुछ न कुछ उसको स्वतंत्र दायित्व हो, इससे उसमें सामूहिकता एवं नेतृत्व के गुणों का विकास होगा।
- हम 'जन संगठन' हैं कार्यकर्ता को जनभिमुख होने के पर्याप्त अवसर होने चाहिये। आम सभाओं व नुक्कड़ सभाओं को सम्बोधित

करना, आंदोलनों को संचालित करना आदि।

- अध्ययन का कोई विकल्प नहीं है। कार्यकर्ता को अध्ययन के लिए प्रेरित करना तथा अध्ययन की व्यवस्था करना जरूरी है। कार्यालय में पुस्तकालय एवं वाचनालय की व्यवस्था कार्यकर्ता के विकास की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है।
- जिज्ञासा, सहिष्णुता, सामूहिकता एवं सक्रियता कार्यकर्ता के व्यक्तित्व विकास की कुंजी है।

6. हमारी कार्यपद्धति

कार्यपद्धति हमारी विचारधारा की परिचायक है। कार्यपद्धति हमारे संगठन को सन्नद्ध और सशक्त बनाने की एक सुविचारित प्रक्रिया है।

विचारधारा के क्रियान्वयन का एक साधन है हमारी कार्यपद्धति। अगर कार्यपद्धति में कुछ कमियाँ रहती हैं, कार्यपद्धति अपनाने में हमारी कुछ भूल होती है तो उसका परिणाम हमारी विचारधारा के प्रभाव पर भी होता है। इसलिए हमारी कार्यपद्धति हमारी कालजयी विचारधारा को जन-जन तक पहुँचाने की वाहक है।

कार्यपद्धति के दो अंग:

I. सांगठनिक व्यवहार-पद्धति

II. व्यक्तिगत व्यवहार-पद्धति

सांगठनिक और व्यक्तिगत पद्धति का स्वाभाविक उद्देश्य है, संगठन को ताकत देना, बलशाली करना।

विचारधारा संगठन का उद्देश्य है, हमारी प्रेरणा भी है, मगर एक व्यापक, उच्चतर मिशन के लिए हम काम करते हैं तो वह मुख्यत: संगठन के लिए और संगठन के सहारे करते हैं। इसलिए सांगठनिक व्यवहार पद्धति अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है।

व्यवहार पद्धति के मुख्य अंग निम्नानुसार है-

I. **मनुष्यों का संगठन:** स्नेह और परस्पर मित्रता के आधार पर व्यक्तियों को जोड़ने का कार्य। जो जुड़ता है वह जुड़ा रहे इसके लिए करणीय प्रयास। हर सदस्य को कार्यकर्ता और कार्यकर्ता को संगठन का सक्रिय कार्यकर्ता बनाना, यह इन प्रयासों की दिशा है।

इस प्रयास में हमें सभी के प्रति स्वीकार का दृष्टिकोण रखते हुए

उनके अंदर कार्य की प्रेरणा विशुद्ध रूप में सजग रहे और उसी विचारधारा और संगठन के प्रति प्रतिबद्धता बरकरार रहे, यह सुनिश्चित करना पड़ेगा।

एक कार्यकर्ता के नाते हमारी सोच और हमारा आचरण कैसा हो?

- सहज उपलब्धता, सादगी, निर्भीकता, अनुशासित आचरण, विश्वसनीयता, संवेदनशीलता समयानुशासन, वाक्कुशल।
- परनिन्दा, आत्मस्तुति, व्यक्तिगत दुराग्रह, पूर्वाग्रह से बचना।
- पद नहीं, दायित्व का भाव।
- पुराने कार्यकर्ताओं का सम्मान, नए का स्वागत।
- कथनी और करनी में सामंजस्य।
- सफलता और श्रेय सबको, असफलता का दायित्व अपने को।
- स्वयं के प्रति कठोर और दूसरों के प्रति नम्र।
- ज्यादा बोलने व चेहरा देखकर बोलने से बचना।
- अपनी ही न सुनाएँ, दूसरों को भी बोलने दें और उन्हें भी सुनें।

II. **परस्परता:** एक दूसरे के सहारे ही संगठन आगे बढ़ता है। इसलिए मधुर परस्पर संबंध संगठन की पूर्वावश्यकता है। दूसरे के प्रति विश्वास, निरंतर और खुलकर संवाद और हमें एक-दूसरे की सहभागिता मूल्यवान है यह धारणा, यह सब परस्परता के लिए अति आवश्यक है। प्रतिस्पर्धा राजनीति में हमेशा हावी होती है, मगर परस्परता के माध्यम से हम प्रतिस्पर्धा की दाहकता कम कर सकते हैं। स्नेह, सद्भावना और सहयोग परस्परता के मूलाधार हैं।

III. **सामूहिकता:**संगठन के मजबूत नींव का दूसरा नाम है, सामूहिकता। सामूहिकता का मतलब है एक समूह के रूप में हमारे क्रियाकलापों के क्रियान्वयन का विचार। सामूहिकता का सूत्र है 'सबको साथ

लेकर' यानि संगठन के सभी को सहभागिता का अवसर देते हुए। संभवतः हर काम के लिए अलग कार्यकर्ता और हर किसी कार्यकर्ता के लिए एक विशिष्ट कार्य, यह दृष्टिकोण हमें रखना होगा। सामूहिकता का आग्रह हमारे व्यवहार से झलके। 'मत अनेक -निर्णय एक' यह हमारे सामूहिकता का सार है।

IV. संवादः

- मतभेदों के बावजूद, संवाद मतभेदों से बचाता है।
- अनेक मतों के बावजूद एक मत विकसित करने में संवाद की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।
- ऊपर की और नीचे की ओर से बराबर के स्तर पर सामान रूप से संवाद।
- संवाद औपचारिक निर्णय लेने में सहायक होता है।
- संवादहीनता अनेक बार भ्रम, अविश्वास व दूरियाँ बढ़ाता है।
- अस्तु, समस्याओं का समाधान संवाद से, संवाददाता से नहीं।
- वार्तालाप, बैठकें, पत्राचार, गोष्ठियाँ आदि संवाद के माध्यम हैं।

V. संपर्कः

- नियमित कार्यालय आना।
- नियमित व नियोजित प्रवासी कार्यकर्ताओं की योजन व व्यवस्था।
- कार्य के लिए संपर्क के साथ-साथ अनौपचारिक एवं पारिवारिक संपर्क की आवश्यकता।
- प्रवास एवं बैठकें संपर्क के साधन।
- प्रभावी व्यक्तित्व तथा राजनीतिक गतिविधियों का ज्ञान रखने वाला प्रवासी कार्यकर्ता ही समाज में जोड़ सकता है।

VI. अनुशासनः

- अनुशासन का उद्देश्य कार्यकर्ता को संगठन से अलग करना नहीं है। अनुशासन का उद्देश्य उसे संभालना है
- अनुशासनहीनता को रोकने के लिए दल के संविधान में प्रदत्त नियमों का पालन।
- स्वानुशासन का प्रशिक्षण, पालन और सम्मान।

कार्यपद्धति के उपकरण

I. कार्यक्रमः

- संगठनात्मक, रचनात्मक, आंदोलनात्मक।
- सूखा, बाढ़, भूकंप आदि प्राकृतिक आपदाओं में समाज सेवा।
- आम आदमी की आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए संघर्ष।
- समाज के स्वयंसेवी संगठनों का गठन और उनमें भागीदारी।
- गोष्ठियों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन।
- ऊपर की इकाई द्वारा जिलाधारित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।
- अपनी इकाई क्षेत्र की जन समस्याओं को लेकर आंदोलन।
- धरना, प्रदर्शन आदि प्रजातांत्रिक एवं अहिंसात्मक आंदोलन।
- सत्तापक्ष एवं विपक्ष की भूमिका के अनुसार कार्यक्रम।
- संगठन, स्थानीय निकायों, प्रान्तीय एवं राष्ट्रीय निर्वाचनों के लिए चुनाव प्रबंधन।
- कार्यक्रमों में कार्य विभाजन, अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी, कार्यक्रम संपन्न होने के बाद समीक्षा और आवश्यकतानुसार सुधार।

II. बैठकें:

कार्यसमिति एवं अन्य समितियों की बैठकों का सकारात्मक वातावरण बना रहे, इस बारे में व्यवहार की आवश्यक सावधानियाँ रखना, बैठक की पूर्व तैयारी, बैठक में लिए गए विषयों को निर्णयों तक पहुँचाना। पार्टी की विभिन्न इकाइयों की बैठकें सामान्यत: कम से कम निम्नलिखित अवधि में होगी–

- राष्ट्रीय परिषद् तथा प्रदेश परिषद – वर्ष में एक बार।
- राष्ट्रीय कार्यकारिणी तथा प्रदेश कार्यकारिणी – तीन महीने में एक बार।
- क्षेत्रीय समिति, जिला समिति, मंडल समिति – दो महीने में एक बार।
- स्थानीय समिति – एक महीने में एक बार।

बैठकों में सादगी हो, समय निर्धारित हो, विषय तय हो, बैठक लेने वाले के नाम व बैठक में भाग लेने वालों का स्तर तय हो।

कार्यपद्धति के बुनियादी सूत्र

- संगठन के स्वस्पर्शी, सर्वव्यापी, सर्वग्राह्य – सर्वग्राही बनाना।
- प्रत्येक स्तर पर नेतृत्व में सभी वर्गों को योग्य स्थान देना।
- सामाजिक संगठनों, बुद्धिजीवियों, समाज सेवकों, मीडिया आदि से सतत संपर्क व संवाद।
- मीडिया से संपर्क आवश्यक किंतु मात्र छपने के लिए मीडिया के हाथों में खिलौना न बनें।
- कार्यकर्ता का स्थान कर्मचारी और नेता का स्थान मैनेजर न ले।
- प्रत्येक कार्यकर्ता को काम और कार्य के लिए कार्यकर्ता की व्यवस्था।

- हमारे कार्यों में न धन का अभाव रहे और न धन का प्रभाव
- संगठन में पसीना और पैसे में संतुलन रखा जाए वैचारिक एवं सांगठनिक प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन।
- संगठन की गतिविधियों में लोकतांत्रिक पद्धति का अनुसरण सर्वानुमति के लिए प्रयास।
- प्रत्येक बूथ में जाना, प्रत्येक गली में घूमना, प्रत्येक दरवाजे पर दस्तक देना तथा प्रत्येक मतदाता से बात करना।
- संगठन, स्थानीय निकायों, प्रान्तीय एवं राष्ट्रीय चुनावों के प्रबंधन की समुचित व्यवस्था।
- चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित नियमों का पालन।
- प्रत्याशी चयन के पूर्व व्यापक विचार – विमर्श किंतु प्रत्याशी की घोषणा के बाद विजय हेतु निष्ठापूर्वक प्रयास करना।
- संगठन तथा सरकार में 'एक व्यक्ति एक पद' के सिद्धांत का यथासंभव पालन।

❍

7. कृषि एक जीवन-धारा

कृषि भारतीय संस्कृति की आत्मा है। यह हमारे जीवन की धारा है। हमारा देश कई मामलों मे अनूठा है। यह एक सर्वज्ञात बात है कि भारत एक प्राचीनतम देश है परन्तु प्रकृति ने जिस उदारता और करुणा से इसकी रचना की है वह उल्लेखनीय है।

I. जैव विविधता

भारत में मौसम की सम्यकता अद्वितीय है। सर्दी, गर्मी और बरसात के चार-चार माह के तीन मौसम, दो-दो महीनों की छह ऋतुएँ, इसी सम्यकता का जीता-जागता प्रमाण है। हमारे देश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र चेरापूंजी भी है और वहीं दूसरी ओर मरुभूमि भी अपनी सुन्दरता से प्रकृतिप्रेमियों को लुभाती है। बर्फ की सफेद चादरों से ढका हिमालय है तो हरियाली से आच्छादित कई पर्वत श्रृंखलाएँ नयनों को आनंद देने के लिए सदियों से खड़ी हैं। कन्याकुमारी के समुद्रीतट से लेकर हिमालय तथा अरब की खाड़ी से बंगाल के सुंदरवन के डेल्टा तक जैव विविधता की अनूठी सम्पदा से संपन्न विशाल क्षेत्र के क्षेत्रफल का मात्र 2.4 प्रतिशत भू-भाग भारत के पास है परन्तु वैश्विक जैव और वानस्पतिक विविधता में भारत की भागीदारी 8 प्रतिशत है। पर्वत श्रृंखलायें अनेक तरह की झीलें, रेगिस्तान, वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय वन, डेल्टा, घास के मैदान, बर्फ की चोटियाँ, कलकल बहती छोटी, मध्यम और बड़ी हजारों नदियाँ, प्रवाल की खुबसूरत चट्टानें और विशाल लम्बा समुद्र तट हमारे देश में है। इसी तरह राजस्थान में रेतीला रेगिस्तान है और लेह में बर्फीला रेगिस्तान अपनी अनूठी छटा बिखेरता है। केरल में सघन वर्षा वन (साइलेंट वेली सहित) हैं तो अरुणाचल में दुर्गम गहन वन हैं जो दुर्लभ वन्य जीवों और वनस्पतियों की धरोहर को संजोए हुए हैं। भारत में सूक्ष्म और अति सूक्ष्म जीव-जंतुओं की

इतनी प्रजातियाँ हैं कि अभी तक इनकी पूरी खोज और पहचान तक नहीं की जा सकी है। दुनियां में जैव विविधता के चिह्नित अठारह स्थलों में से दो भारत में है-वेस्टर्न घाट और इस्टर्न हिमालय। हमारे यहाँ वनस्पतियों की सैंतालीस हजार से भी ज्यादा प्रजातियाँ हैं तो जन्तुओं की 89 हजार से भी अधिक प्रजातियों की पहचान की जा चुकी हैं। कई सूक्ष्म और अति सूक्ष्म जीव-जंतु जमीन के नीचे रह कर धरती को पौष्टिक और ह्यमुस युक्त बनाने में अपना जीवनदान भी देते हैं। ऐसी अनुपम प्राकृतिक सम्पदा समूचे विश्व में अन्य किसी देश के पास नहीं है। इसी तारतम्य में यह बताना समीचीन होगा की जो परम्पराएं रीति-रिवाज या मान्यताएं हमारी सांस्कृतिक धरोहर के रूप में पीढ़ियों को हस्तांतरित होती रहीं हैं वे एक के बाद एक वैज्ञानिक रूप से निरंतर सत्यापित भी हो रही हैं।

II. ऋषि और कृषि की परंपरा

ऋषि मुनियों द्वारा प्रतिपादित भारतीय जीव पद्धति न केवल मानव जाति बल्कि प्राणी मात्र को सर्वांगीण रूप से स्वस्थ और निश्चित रखने वाली वैज्ञानिक पद्धति है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और गो-आधारित कृषि भविष्य में एक सुदृढ़ और सुनिश्चित अर्थव्यवस्था सिद्ध होगी, यह एक सहज भविष्य कथन है। भारवर्ष ऋषि और कृषि परंपरा का देश है। प्राचीन भारत की कृषि ऋषियों के मार्गदर्शन पर ही संचालित होती रही है। वेदों की ऋचाओं में कृषि का वर्णन इसका साक्षात उदहारण है। इसीलिए कृषि हमारी जीवनधारा है। इसी जीवनधारा से हमारे समाज में परिवार की रचना बनती है। हमारे देश की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनितिक जीवनधारा की रचना भी कृषि से ही होती है। इसके परंपरा के मूल में कर्मकांड हैं। हमारे देश की यही पूरी सनातन परंपरा है जो कर्मकांडों के कार्यक्रमों में सीधे परिलक्षित होती है। सनातन परंपरा के शाश्वत सशक्तिकरण का मूल आधार है कर्मकांड।

सनातन परम्पराओं के क्षरण और उससे जुड़े समाज की गिरावट को रोकने का मार्ग भी कर्मकांडों से होकर निकलेगा। कृषि का विस्तार एवं सशक्तिकरण, स्वाभिमान व स्वावलंबी समाज की रचना, ग्राम स्वराज, स्वदेशी अर्थव्यवस्था का संकल्प भी कर्मकांड की सक्रियता से संभव हो सकता है।

भारत में खेती और कृषि कर्म बहुत ही उच्च दर्जे का काम माना गया है और भारतीय समाज में कृषि कर्म और किसानों के लिए खेती करना केंद्र बिंदु रहा है। ऐसा कहा जाए कि भारतीय समाज कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर टिका हुआ है तो यह ठीक ही है और जो समाज कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर टिका हुआ होता है उस समाज की अपनी कुछ खास तरह की प्राथमिक्ताएँ होती हैं। खास तरह की जरूरतें होती हैं।

III. हमारी जलवायु

भारत का समाज पिछले हजारों सालों से कृषि कर्म को केंद्र में मानकर चलता रहा, तो इसलिए भारत का समाज कुछ विशिष्ट तरह का समाज है। हमारे यहाँ कृषि की जो प्रधानता रही है उसके पीछे एक तथ्य यह भी है कि भारतीय मौसम और जलवायु कृषि के काफी अनुकूल है। खेती के बहुत अनुकूल है। यहाँ जो मौसम है बहुत सातत्य वाला है जैसे उदहारण के लिए आज सूरज निकला है तो कल भी निकलेगा, परसों भी निकलेगा, तीन महीने बाद भी निकलेगा, तीन साल बाद भी निकलेगा, बीस साल बाद भी निकलेगा, तीन सौ साल बाद भी निकलेगा, तीन हजार साल भी हो जायेंगे तो भी निकलेगा। सूरज के निकलने में कहीं कोई कमी नहीं आने वाली भारतीय जलवायु में, लेकिन यूरोप में यह बात सच नहीं है। यूरोप में आज सूरज निकला है, कल नहीं भी निकलेगा। यूरोप में कल सूरज निकला है, हो सकता है नौ महीने तक लगातार सूरज नहीं निकलेगा। क्योंकि यूरोप के देशों में

सामान्य रूप से साल में सिर्फ तीन महीने ही धूप निकलती है। बाकी नौ महीने तो वहाँ धूप निकलती ही नहीं है। सूर्य के दर्शन ही नहीं होते। तो जितना सातत्य भारत की जलवायु में है, भारत के मौसम में है, उतना सातत्य यूरोप में नहीं है।

IV. हमारी वसुंधरा

भारत की जो भूमि है, वो बहुत नरम है। यूरोप के खेतों की मिट्टी नरम नहीं है बहुत कठोर है। तो जिन देशों के खेत की मिट्टी बहुत कठोर होती है वहाँ कृषि प्रधान व्यवस्था संभव नहीं होती है। खेती के लिए मिट्टी का नरम होना बहुत जरुरी है। इसलिए भारत में कृषि कर्म बहुत प्रधान रहा। भारत का कृषि कर्म केंद्र बिंदु रहा पूरे समाज का तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ की जलवायु बहुत अच्छी है। यहाँ की खेती की मिट्टी बहुत अच्छी है।

दूसरा, यहाँ के लोगों को मौसम, जलवायु और मिट्टी से जुड़े हुए जितने कारक हैं उनका बहुत अच्छा ज्ञान है। अगर यह कहा जाए कि भारत का किसान बहुत विद्वान आदमी हैं तो इसमें कोई शक नहीं है। वो जानता है की बारिश कब आने वाली है। किसान को मालूम होता है गर्मी कब पड़ने वाली है। किसान को यह भी मालूम होता है कि सर्दी का समय जो आने वाला है वो कब आने वाला है और किसान उसके हिसाब से अपनी खेती की चर्या को बदल लेता है। बारिश में क्या करना है। गर्मी में क्या करना है। सर्दियों में क्या करना है। यह सब बातें सामान्य रूप से इस देश का हर किसान जानता है।

तीसरा, मिट्टी बहुत अच्छी है। चौथा, यहाँ की जो जलवायु है समसीतोष्ण है। न तो बहुत गर्मी है न तो बहुत बारिश है। यूरोप के देशों में कभी-कभी तो बहुत सर्दी पड़ती है। माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेट तापमान हो जाता है। भारत में इस तरह से कभी तापमान बहुत नीचे भी नहीं जाता और कभी ऊपर भी नहीं जाता। पानी की व्यवस्था इस देश

में बहुत प्रचुरता में है। हजारों सालों से इस देश में पानी की मात्रा काफी रही है। बारिश का होने वाला पानी, बारिश से मिलने वाला पानी, जमीन के अन्दर मिलने वाला पानी और जमीन के ऊपर तालाबों के माध्यम से मिलने वाला पानी। इन सभी की प्रचुरता भारतीय समाज में काफी लम्बे समय से रही है। इसलिए भारत की खेती बहुत उन्नत रही है और भारत का किसान बहुत उन्नत रहा।

करीब आज से 300 साल पहले भारत की खेती यूरोप के किसी भी देश की खेती से बहुत अच्छी मानी जाती थी। उदहारण ले इंग्लैंड का। आज से 300 साल पहले इंग्लैंड के एक एकड़ खेत में जितना अनाज पैदा होता था उसकी तुलना में आज से 300 साल पहले भारत के एक एकड़ खेत में उसका तीन गुना ज्यादा अनाज पैदा होता था।

V. कृषि - उत्कृष्ट कर्म

1757 से अंग्रेजों का शासन भारत में शुरू माना जाता है। 1757 के बाद लगातार अंग्रेजों ने भारत की खेती पर ऐसे कानून लगाए, ऐसे अंकुश लगाए कि लगातार भारत की खेती बर्बाद होती चली गई। 1757 के बाद 1820 के साल तक अंग्रेजों ने भारत की खेती को काफी नुकसान की स्थिति में पहुँचा दिया अपने कानूनों की मदद से। पूरी दुनिया में भारत और चीन की खेती का कुल उत्पादन और खेती से जुडे हुए उद्योगों का उत्पादन लगभग 60 प्रतिशत के आस-पास रहा। इस बात से अंदाजा लगता है कि कितनी उन्नत खेती और खेती से जुड़े हुए उद्योग रहे होंगे इस देश में। इसके अलावा खेती और किसानों से जुडे हुए लोगों की समृद्धि बहुत रही है इस देश में। आज से 200-300 साल पहले तक की स्थिति यह है कि समाज का सबसे ज्यादा पैसे वाला वर्ग किसान ही माना जाता रहा और समाज में सबसे अच्छा कर्म खेती का माना जाता रहा।

एक कहावत इस देश में कही जाती है-'उत्तम खेती, मध्यम वान

करे चाकरी कुकुर निदान। उत्तम खेती माने खेती सबसे महत्त्वपूर्ण व्यवसाय है। मध्यम वान माने जो व्यापार है वो दूसरे नंबर पर है और करे चाकरी कुकुर निदान माने नौकरी करना तो कुत्ते के जीवन बिताने जैसा माना जाता है।

VI. जल संचय की परम्परा

जब अंग्रेज भारत में आए और सरकार बनाकर उन्होंने भारत में राज्य करना शुरू किया तब तक इस देश में खेती की उन्नति और खेती की स्थिति बहुत अच्छी थी। भारत के किसानों के और खेती की स्थिति अच्छी होने के कुछ प्रमाण हैं दस्तावेज में, जो यह बताते हैं की हमारे देश में करीब-करीब 1750 के आस-पास मैसूर नाम के राज्य में एक लाख से ज्यादा तालाब हुआ करते थे। हिंदुस्तान में आजादी के पहले करीब साढ़े सात लाख गाँव होते थे और आश्चर्य इस बात का निकलता है कि दस्तावेजों के आंकड़ों के अनुसार कि इस देश का कोई भी गाँव ऐसा नहीं था जिसमें तालाब न बना होता और आंकड़े तो यह भी बताते हैं कि बहुत सारे गाँव इस देश में ऐसे रहे हैं जहाँ एक से ज्यादा तालाब एक ही गाँव में रहे हैं।

कुएं बहुत बड़ी संख्या में रहे हैं। बावडियाँ बहुत बड़ी संख्या में रही हैं। बारिश की होने वाली एक-एक बूंद को हिंदुस्तान में पूंजी की तरह से बचाने की परंपरा रही है। जिस राजस्थान को आज हम जानते हैं और उसके बारे में मानते हैं कि यहाँ बहुत मरुभूमि है। बारिश की गिरने वाली एक-एक बूंद को संचित रखने की सबसे बड़ी परंपरा अगर इस देश में कहीं है तो वो राजस्थान में। जैसलमेर के इलाके में जहाँ यह माना जाता है कि सबसे ज्यादा सूखा पड़ता है, उस जैसलमेर के इलाके में आजू-बाजू के गाँव में तालाब मिल जायेगा और जैसलमेर शहर के नजदीक ही सबसे बड़ा तालाब मौजूद है, जो करीब चार-पाँच सौ साल पुराना है और आज भी उसमें पानी है। कभी वहाँ बड़े-बड़े लहराते

तालाब हुआ करते थे। यह तो अंग्रेजों के कुछ कानून और व्यवस्थाएँ थीं जिससे भारत के तालाबों को सुखा कर बरबाद कर दिया।

VII. पशुधन

भारत में खेती के साथ पशुधन भी बहुत बड़ी तादाद में रहा है। पशु की संख्या इस देश में बहुत बड़ी मात्रा में रही है और कृषि कर्म को टिकाये रखने के लिए पशुओं का बड़ा योगदान रहा है। करोड़ों-करोड़ों की संख्या में जानवरों को पालने की परम्परा इस देश के लोगों में बहुत गहरे से बैठी हुई है। गाय इस देश में रही है। बैल रहे हैं इस देश में, उनका गोबर है। गोबर से होने वाली खाद है। गाय का मूत्र है। उससे बनने वाले जो कीटनाशक बन सकते हैं इस देश में उनकी परम्परा रही है।

VIII. बीज

यहाँ पर बीजों की संख्या भी बहुत अच्छी रही है। हमारे देश में आज से 150-200 साल पहले तक चावल की, धान की, एक लाख से ज्यादा प्रजातियाँ होती थी। जो दस्तावेज उपलब्ध हैं वो बताते हैं कि भारत के किसानों के पास एक लाख से ज्यदा चावलों की किस्में होती थी। इस देश में सैकड़ों किस्म के बाजरे के बीज थे। सैकड़ों किस्म के मक्के के बीज थे। सैकड़ों किस्म के ज्वार के बीज थे। सैकड़ों किस्म की प्रजातियाँ इस देश में रही हैं अनाजों की और यहाँ की सम्पन्नता बहुत ज्यादा रही है। बायोडायवरसिटी यहाँ की बहुत ऊँची रही है, इसलिए कृषि कर्म भी ऊँचा रहा है इस देश का।

IX. खाद्य सुरक्षा बनाम व्यवसायिक कृषि

हमारी अन्न सुरक्षा के घेरे को तोड़कर अंग्रेज शासन ने हमारे किसानों से फूल (इत्र), मसाले, गन्ना, कपास, नील, रबर और अफीम की खेती कर अपने देश को आबाद किया और हमारे किसानों को नकदी फसलों का चस्का लगाया। हमारी अन्न व्यवस्था चरमरा गयी।

1864 के आसपास ओडिशा और बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। अंग्रेज सरकार ने 'रॉयल सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर' के जॉन अगस्तिस वोलकेयर को भारत में कृषि सुधार के लिए भेजा। वे दो साल यहाँ रहे और पूरे देश का दौरा किया। उससे पहले अलेक्जेंडर वाकर ने भारत की खेती का अभ्यास किया था। उसके बाद 1905 में अंग्रेज सरकार ने यहाँ के किसानों को रासायनिक खेती सिखाने के लिए अलबर्ट हावर्ड को भेजा था। इन तीनों महानुभावों ने भारत के बारे में जो राय दी है, उस पर एक ग्रन्थ लिखा जा सकता है। अलेक्जेंडर वाकर कहते हैं कि मालाबार में मैंने जितने प्रकार की धान देखी, विश्व में कहीं न देखी न सुनी। गुजरात के किसान अपने खेतों को जितना साफ सुथरा रखते हैं, वह अभ्यास करने लायक है। उन्होंने कहा कि इस देश के किसान यदि गोबर के कंडे बनाकर जलाते हैं तो गलत नहीं करते हैं। क्योंकि वे इधर उधर बेकार पड़ा गोबर ही काम में लेते हैं और गोबर खेत में ही डालते है।

वालकेयर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यहाँ किसान कई प्रकार की फसलें एक साथ बोते हैं और इनका फसल चक्र बहुत गुणकारी और लाभकारी है। उन्होंने यह भी कहा की विश्व की सर्वश्रेष्ठ कपास की खेती यहाँ पर होती है। अगर यहाँ के किसान चाहते तो अपने कपास के बीजों का निर्यात कर खूब पैसा कमा सकते हैं, मगर उन्होंने वह बीज अपने आने वाकी पीढ़ी के लिए रखा है। 'जियो और जीने दो' यह दर्शन मुझे यहाँ देखने को मिला। होवार्ड तो यहाँ 1905 में भारत के किसानों को रासायनिक खेती सिखाने आये थे, लेकिन यहाँ की जैविक खेती देख कर वे दंग रह गए। उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और पूरे 29 साल भारतीय खेती पर अध्ययन कर गोबर खाद, गौमूत्र और फसल अवशेषों से जैविक खाद कैसे बनाई जाती है, इस पर अनुसन्धान किया और पूरे विश्व को बताया कि अगर जैविक खेती

सीखनी है तो भारत आईये।

X. कृषि हमारा धर्म

भारतीय ग्रामों के भीतर कृषि ने प्राचीन काल से ही धर्म का एक रूप धारण कर लिया है। उसने नगर से पृथक कृषि की एक विशेष सभ्यता निर्मित कर दी है। भारतवर्ष में धार्मिक भाव की प्रेरणा से भिन्न-भिन्न ऋतुओं में जो उत्सव मनाये जाते है, उनमें प्राय: सभी उसी कृषि सभ्यता के सूचक है। वर्ष के आरंभ में नवरात्र की जो पूजा होती है, उसमें गेहूँ के छोटे-छोटे पौधों में जगदात्री की सच्ची श्रद्धा देखी जाती है और उसी की आराधना से वर्ष का प्रारंभ किया जाता है। उसके बाद वर्षा के आरंभ में भगवान् की रथयात्रा के साथ कृषि आरंभ होती है और वर्षा ऋतु की समाप्ति हो जाने पर जब धारित्री शस्य श्यामला हो जाती है, तब फिर जगदात्रे की पूजा की जाती है। तभी लक्ष्मी का आगमन होता है। बसंत में जब वसुंधरा का सारा वैभव संचित हो जाता है, तब सरस्वती की आराधना के बाद बसंत का उत्सव मनाया जाता है। अपनी समस्त कलुषित भावनाओं का दग्ध कर हम लोग प्रेम के रंग में ऐसे रंग जाते हैं कि फिर छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं रह जाता। संपत्ति की वृद्धि के साथ यदि ज्ञान का विकास नही हुआ और ज्ञान के विकास के साथ सच्चे प्रेमभाव का प्रचार नहीं हुआ, तो मानव समाज की उन्नति संभव नहीं। भारतवर्ष के प्राचीन युगों में तपोवनों के भीतर जिस सभ्यता का उद्‌गम हुआ है, उसको जीवन में अक्षुण बनाये रखने के लिए प्राचीन काल से कृषि के आधार पर एक राष्ट्र-धर्म प्रचलित किया गया। उसने सभी मतों को अतिक्रमण कर राष्ट्रीय उत्सवों का रूप धारण कर लिया। कितने ही धार्मिक उत्सवों में ग्रामोद्योग की छोटी-छोटी वस्तुओं को लेना इतना आवश्यक है कि उनके बिना पूजा ही संपन्न नहीं हो सकती। उन्हीं के कारण भारतवर्ष में भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों और जातियों का व्यवधान रहने पर भी राष्ट्र की भावना विलुप्त नहीं हुई।

कर्तव्यों का समावेश धर्म से कर देने से सभी वर्गों में अपने धर्म के भीतर एक गौरव का भाव आप से आप उदित हो गया। यही कारण है कि आर्थिक विषमता होने पर भी लोगों ने स्वधर्म को छोड़ना स्वीकार नहीं किया। सच्चा परिश्रम ही धर्म है और उसी के कारण राजनीति के क्षेत्र में परिवर्तन होने पर भी ग्रामों के भीतर जातीय जीवन की धार्मिक धारा नष्ट नहीं हुई और कृषि के साथ ग्राम उद्योगों की उन्नति बराबर होती रही।

कृषि सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसके कारण श्रम विभाग के साथ सहकारिता का भाव भी सामाजिक जीवन में प्रविष्ट हो जाता है।

○

8. भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान

भारतीय खेती का आर्थिक व्यवस्था से संबंध मध्यकाल से कहीं ज्यादा रहा है। भारतीय कृषि उपज की ख्याति और साख यूरोप और पश्चिमी एशिया में इतनी थी कि उसका कारोबार करने के लिए लोग खूब आते थे। हालात ऐसे थे कि मुगल काल आते-आते भारतीय कपास, चीनी और रसीले फलों को दुनिया के दूसरे हिस्सों-उत्तरी अमेरिका, इस्लामिक देशों, मध्य पूर्व के देशों-में भेजा जाने लगा था। इतिहासकार लिखते हैं कि ब्रिटिश शासन काल के पहले तक भारतीयों की प्रति व्यक्ति आमदनी यूरोप से ज्यादा थी। बेहतर उत्पादन की वजह से भारत में खाने-पीने के सामानों की महंगाई ब्रिटेन से बहुत कम थी।

I. अंग्रेजों ने पहुँचाया भारतीय खेती को नुकसान

अंग्रेजों ने भारतीय चावल, दाल, कपास और अफीम दुनिया के दूसरे देशों में बेचा। अंग्रेजों के राज में नहरों के विस्तार की बात भी खूब जोर-शोर से कही जाती है। लेकिन, आंकड़े बताते हैं कि अंग्रेजों ने भारतीय पारम्परिक खेती तंत्र को आगे नहीं बढ़ाया। इसका नतीजा यह रहा कि 1918-1939 के दौरान भारतीय खेती में वृद्धि की दर लगभग शून्य रही। 1891-1946 के दौरान सभी फसलों की उत्पादन दर 0.4% रही जबकि, अनाज का उत्पादन बिल्कुल ही स्थिर रहा। इसकी वजह से अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान ही, भारत में खाद्यान्न की समस्या की शुरुआत हुई। जनसंख्या बढ़ती रही और खाद्यान्न उत्पादन घटता गया।

बंगाल में 1921-1946 के दौरान जनसंख्या बढ़ने की दर रही 1% जबकि, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ने के बजाय 0.7% की दर से गिरा।

अंग्रेजों ने देश के जाने के पहले के 20 सालों में भारतीय

अर्थव्यवस्था को पूरी तरह चौपट कर दिया था। भले ही यह कहा जाता है कि अंग्रेजों ने उद्योगों को बढ़ावा दिया लेकिन, सच यही था कि भारतीय अर्थव्यवस्था उस समय तक पूरी तरह से खेती पर ही आश्रित थी और अंग्रेजों ने भारतीय कृषि को चोट पहुँचाकर भारतीय अर्थव्यवस्था को ही बुनियादी चोट पहुँचा दी थी।

आजाद भारत में खेती की तरक्की एक बड़ी चुनौती थी। क्योंकि, देश की अर्थव्यवस्था का आधा से ज्यादा हिस्सा खेती से ही आता था। देश की अर्थव्यवस्था में 61% हिस्सेदारी कृषि की ही थी।

देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने खाद्यान्न उत्पाद बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए। पंचवर्षीय योजना के मूल में भी कृषि उत्पादन बढ़ाना था। उसके परिणाम भी अच्छे मिले।

1940 में ग्रो मोर फूड कैम्पेन चलाया गया। खेती में मशीन और रसायनिक खाद के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। लेकिन, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही खाद्यान्न संकट बढ़ता गया। 1958-59 तक खाद्यान्न संकट गहराने लगा।

II. साठ के दशक में रहा खाद्यान्न संकट

1960 से 1966 तक भारत में खाद्यान्न संकट गम्भीर हो गया था। हालांकि, 1964-65 में देश में खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 89 मिलियन टन रहा। लेकिन, 1965-66 में फिर से पैदावार गिरकर 72 मिलियन टन ही रह गई।

1960 से 1990 के दौरान सरकार ने कई कार्यक्रम चलाए। इसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन (1960), यलो रिवॉल्यूशन (तिलहन-1986-90), ऑपरेशन फ्लड (1970-96) और ब्लू रिवॉल्यूशन (1973-2002) प्रमुख रहा। लेकिन, भारतीय कृषि में जबरदस्त बदलाव 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद देखने को मिला।

1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारतीयों के आर्थिक स्तर और उनकी जीवनशैली में गजब का बदलाव देखने को मिला। अनाज की खपत में कमी देखने को मिली। 1977 में प्रति भारतीय अनाज की खपत 192 किलोग्राम की थी जो, 1999 में 152 किलोग्राम प्रति व्यक्ति रह गई। लेकिन, फल, सब्जी, दूध से बने उत्पाद और मांसाहार की खपत तेजी से बढ़ी।

ग्रामीण इलाकों में ही 1977 से 1999 के दौरान फल की खपत 553%, सब्जी की खपत 167%, दूध से बने उत्पादों की खपत 105% और नॉन वेज उत्पाद की खपत 85% बढ़ गई। शहरी इलाके में यह खपत और तेजी से बढ़ी।

1991 के आर्थिक सुधारों का एक बुरा असर यह भी रहा कि कैश क्रॉप कपास उगाने वाले किसान तेजी से बढ़े और बीटी कपास की सही कीमत न मिलने से कर्ज में डूबे किसानों की आत्महत्या के मामले भी तेजी से बढ़े।

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान कितना महत्त्वपूर्ण रहा है, इसका अन्दाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 1961 में भारतीय पुरुष कामगारों में से 75.9% खेती में ही लगे हुए थे।

1999–2000 तक भी 60% से ज्यादा पुरुष खेती में ही रोजगार पा रहे थे। जब कहा जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है तो, उसकी पुष्टि इन आंकड़ों से होती है।

III. रोजगार का बड़ा साधन खेती

1999–2000 में 4.5 करोड़ परिवार खेत मजदूर थे। लेकिन, आर्थिक सुधारों का खेती पर बुरा असर पड़ा। इसी का नतीजा रहा कि 1993 से 2000 के दौरान खेती में मजदूरी पर आश्रित परिवारों को गरीबी की मार झेलनी पड़ी।

देश की आजादी के समय देश की अर्थव्यवस्था में कृषि की हिस्सेदारी 55% थी जो, 2001 में घटकर 24% रह गई। जो 2014 में आते-आते 13.5 प्रतिशत रह गई। 1998 से 2004 के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में खेती की दशा सुधारने के लिए कई बड़े फैसले लागू किए गए।

2003-04 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में खेती की हिस्सेदारी 22% थी। उस समय देश में रोजगार पाने वाले 58% लोगों को खेती में ही रोजगार मिला हुआ था।

1998-2004 के दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कृषि की दशा सुधारने के लिए 5 मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया।

सस्ता कर्ज, पारदर्शी और कुशल बाजार, विज्ञान-तकनीक का प्रयोग, गाँवों में खेती की जरूरत के लिहाज से खेती पर आधारित उद्योगों को तैयार करना और बेहतर किसान तैयार करना।

IV. अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा खेती

खेती हमेशा से ही भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्त्वपूर्ण हिस्सा रही है लेकिन, कृषि को लेकर एक समग्र नीति बनना चाहिए, यह समझ वाजपेयी सरकार में बनी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 2000 में देश की पहली राष्ट्रीय कृषि नीति का एलान किया।

किसानों को सस्ता कर्ज मिल सके, इसके लिए एनडीए सरकार ने 3.5 करोड़ किसानों को क्रेडिट कार्ड दिया। इसका नतीजा यह रहा कि किसानों को दिया जाने वाला कर्ज तीन गुना बढ़ गया। 30000 करोड़ रुपए से किसानों को मिलने वाला कर्ज सीधे 90000 करोड़ रुपए पहुँच गया।

V. किसानों की भलाई के लिए वाजपेयी सरकार के कदम

- वाजपेयी सरकार ही किसानों के लिए पहली बार बीमा योजना

लेकर आई। इसके तहत किसान क्रेडिट कार्ड धारक को आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में 50000 और किसी तरह की शारीरिक विकलांगता पर 25000 रुपए का बीमा दिया गया।

- किसानों को कर्ज मिलने के साथ ही यह भी जरूरी है कि उन्हें कर्ज पर ज्यादा ब्याज न चुकाना पड़े। इसे ध्यान में रखते हुए वाजपेयी सरकार ने कृषि कर्ज पर ब्याज दर घटाकर 9% कर दिया जो, पहले 14–18% थी।
- वाजपेयी सरकार में एक साथ 25 उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया, जिससे किसानों को अपनी उपज की सही कीमत पक्के तौर पर मिल सके।
- किसानों की उपज खराब होने से बचाने के लिए शीतगृहों को सरकारी लाभ दिया गया, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग शीतगृह बनाने के लिए आकर्षित हों।
- किसानों को लगातार सही सूचना समय पर दी जा सके, इसके लिए किसान कॉल सेंटर खोले गए। कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या तेजी से बढ़ी।
- खेती की बदलती जरूरतों को पूरा करने और किसानों को उनकी उपज की ज्यादा से ज्यादा कीमत दिलाने के लिए एक ऑनलाइन प्रतिस्पर्धी बाजार की सख्त जरूरत थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कृषि उत्पादों के लिए एक ऑनलाइन एक्सचेंज की शुरुआत की गई।
- 23 अप्रैल 2003 को नेशनल कमोडिटी एंड डेरीवेटिव्स एक्सचेंज की स्थापना कम्पनी एक्ट के तहत की गई। कई कमोडिटीज में वायदा कारोबार की इजाजत दी गई, जिससे किसानों को उपज का मूल्य मिलने का जोखिम कम हो सके।

- एनसीडीईएक्स ने ही कर्नाटक में ऑनलाइन बाजार तैयार किया, जिस पर राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना तैयार हुई है।
- किसानों के लिए वाजपेयी सरकार में कई योजनाएँ बनाई और लागू की गईं। लेकिन, एक बड़ी मुश्किल यह भी थी कि, देश के एक तिहाई से ज्यादा गाँव उस समय तक सड़कों से भी नहीं जुड़े थे।
- गाँवों को सड़कों से जोड़ने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने क्रान्तिकारी योजना बनाई। वाजपेयी सरकार ने सभी गाँवों को सड़क से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की और इसके लिए 60000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया।
- वाजपेयी सरकार ने 2000 में इस योजना की शुरुआत की और 3 सालों में राज्यों के सहयोग से 30000 किलोमीटर सड़कों से गाँवों को जोड़ गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर के गाँवों को जोड़ने पर खास ध्यान दिया गया।
- वाजपेयी सरकार में कृषि क्षेत्र में किए गए बड़े फैसलों ने आधुनिक कृषि अर्थव्यवस्था की मजबूत बुनियाद रखी। जिसे अब नरेंद्र मोदी की सरकार आगे बढ़ाने का काम कर रही है।
- अभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की हिस्सेदारी दुनिया के औसत से बहुत ज्यादा है। दुनिया की अर्थव्यवस्था में कृषि की औसत हिस्सेदारी 6% के आसपास रह गई है। भारत कृषि उत्पादन के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर है।
- कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है। भारत के जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी करीब 14% है लेकिन, अभी भी कुल रोजगार में आधी से ज्यादा हिस्सेदारी कृषि की ही है।
- भारत की दुनिया के कुल कृषि उत्पादन में 7.68% हिस्सेदारी है।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल, चावल, गेहूँ, मसाले का उत्पादक देश है। भारत फल और सब्जियों के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश है। पिछले दो दशक से भारत दुनिया का सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश बना हुआ है और दुनिया के कुल दूध उत्पादन में 19% की हिस्सेदारी है।

- भारत की कृषि अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की हो गई है। खेती और कृषि उत्पादों के लिहाज से भारत दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा उत्पादन वाली अर्थव्यवस्था है।
- नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद लगातार दो साल सूखे की वजह से खेती की तरक्की की रफ्तार काफी कम थी। लेकिन, मोदी सरकार की नीतियों की वजह से फिर खेती की तरक्की की रफ्तार 4% के ऊपर हो गई है। 2016-17 में देश में अनाज का उत्पादन रिकॉर्ड 275.68 मिलियन टन हुआ है। 2017-18 में भी रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान लगाया जा रहा है।
- इस साल खरीफ सत्र में भी पिछले साल से ज्यादा इलाके में बुवाई हुई थी। रबी सत्र में भी 8 दिसम्बर 2017 तक के आंकड़े बता रहे हैं कि 442.29 लाख हेक्टेयर इलाके में बुवाई हो चुकी है। भारतीय कॉफी दुनिया की पसन्द बनती जा रही है। अप्रैल से अगस्त 2017 के दौरान 177805 टन भारतीय कॉफी का निर्यात किया गया। झींगा निर्यात के मामले में भी भारत दुनिया में सबसे आगे है। कृषि निर्यात की कुल भारतीय निर्यात में 10% की हिस्सेदारी है।
- 2017-18 में 22000 करोड़ रुपए से ज्यादा के भारतीय बासमती चावल के निर्यात का अनुमान है। 2016-17 में कुल 7 लाख टन मूंगफली निर्यात का अनुमान लगाया गया है।
- मसालों के निर्यात में 9% की बढ़त देखने को मिली है। भारत

मसाले का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है।

- वाजपेयी सरकार के कामों को और आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कई बड़ी योजनाएँ लागू की हैं।

VI. केंद्र सरकार के अनूठे कदम

केंद्र सरकार ने 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। जिसकी चर्चा अलग अध्याय में की गई है। लेकिन एक योजना बहुत महत्त्वपूर्ण है और वह है राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना। जिसके तहत मार्च 2018 तक 585 मंडियों को एक साथ जोड़ दिया जाएगा। जिससे देश के किसी भी हिस्से में बैठा किसान, कारोबारी ऑनलाइन, पारदर्शी तरीके से उपज खरीद बेच सके और किसान को उसकी उपज का अधिकतम मूल्य बिना किसी बिचौलिये के मिल सके। किसान की आमदनी दोगुना करने के लक्ष्य को हासिल करने में यह योजना सबसे महत्त्वपूर्ण है।

- भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्त्वपूर्ण योगदान को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 2017-18 के बजट में गाँव, खेती और उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए प्रावधान 24% बढ़ाया है।
- 5000 करोड़ के शुरुआती बजट से खेती के लिए एक खास फंड बनाया गया है। नाबार्ड की देखरेख में यह योजना आगे बढ़ेगी।
- दूग्ध प्रसंस्करण के लिए 2000 करोड़ रुपए के डेयरी फंड की शुरुआत की गई है, जिसमें कुल 8000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है।
- नरेगा में 55% ज्यादा रकम का प्रावधान किया गया है। कुल 48000 करोड़ रुपए का प्रावधान नरेगा के तहत किया गया है।
- किसानों को सस्ता कर्ज मिले, इसके लिए कम ब्याज वाली योजना लागू की गई है। किसानों को 3 लाख रुपए तक का कर्ज 7% की

दर पर मिलेगा।

- समय से कर्ज भुगतान करने वाले किसानों को अतिरिक्त 3% की ब्याज छूट दी जाएगी, ऐसे किसानों के लिए ब्याज दर 4% ही रहेगी।
- कृषि क्षेत्र में नए प्रयोग (इनोवेशन) के लिए एग्री उड़ान योजना शुरू की गई है। इसके तहत एग्री स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- सूखे की समस्या पूरी तरह से मुक्ति के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की गई है। 50000 करोड़ रुपए के प्रावधान वाली इस योजना के जरिए हर खेत तक पानी पहुँचाने की योजना है।
- सरकार खेती से जुड़े उत्पादों को उद्योग में बदलने के लिए खाद्य प्रसंस्करण पर खास जोर दे रही है। सरकार की योजना खाद्य प्रसंस्करण की क्षमता तीन गुना बढ़ाने की है।
- सम्पदा (स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स) योजना के तहत 6000 करोड़ रुपए से मेगा फूड पार्क बनाए जाएंगे।
- अकुशल कृषि श्रमिक भी आसानी से मिलें और उनका जीवनस्तर उठाया जा सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने अकुशल कृषि श्रमिकों की मजदूरी मौजूदा 160 रुपए प्रतिदिन से बढ़ाकर 350 रुपए कर दी है।

VII. नीति आयोग के नए सुधार

किसानों की आमदनी दोगुना करने के लिए नीति आयोग ने कई नए सुधार लागू करने का सुझाव दिया है, जिस पर सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सुधार, किसानों से निजी

कारोबारियों को सीधे उपज खरीद की इजाजत, किसानों से ग्राहकों को सीधे खरीद की इजाजत, कृषि उत्पादों के कारोबार के लिए एक लाइसेंस जैसे कई कदम लागू करने का सुझाव नीति आयोग ने दिया है। कृषि से जुड़े सभी पक्षों से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार सुझाव ले रहा है।

भारत सरकार की मौजूदा नीतियों और आगे के सुझावों के आधार पर उम्मीद की जा सकती है कि भारत में किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी हो जाएगी।

बेहतर होती सिंचाई की सुविधा, किसानों का जोखिम कम होने, गाँव तक सड़कों का बेहतर सम्पर्क होने, शीतगृहों की संख्या बढ़ने और उपज की अधिकतम कीमत मिलने की सम्भावना बढ़ने से अगले कुछ सालों में भारतीय खेती में बड़े बदलाव की उम्मीद की जा सकती है।

भारतीय कृषि में अपार सम्भावनाओं के मद्देनजर कृषि क्षेत्र में विदेशी निवेश भी तेजी से बढ़ा है।

नरेंद्र मोदी सरकार की दाल के मामले में आत्मनिर्भर बनने की योजना कारगर दिख रही है। अगले कुछ सालों में दाल के मामले में पूरी तरह से भारत के आत्मनिर्भर होने का अनुमान है।

अप्रैल से जून 2017 की तिमाही के दौरान बेसिक कीमत परग्रॉस वैल्यू एडेड 5.7% बढ़ा है। 2015-16 में भारतीय किसान की औसत आमदनी 96,703 रुपए थी, जिसे 2022 तक दोगुना करके 2,19,724 रुपए करने का लक्ष्य सरकार का है।

भारत में पहली बार किसी सरकार ने इस तरह से तय करके एक तय समय सीमा में किसानों की आमदनी दोगुना करने का लक्ष्य रखा है।

VIII. भारतीय खेती से जुड़े कुछ ऐतिहासिक तथ्य

- भारतीय उप महाद्वीप में कृषि की शुरुआत 9000 वर्ष ईसा पूर्व

मानी जाती है। खेती पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर थी। इसलिए उसी पर आधारित फसलें साल में होती थी।

- 8000-4000 ईसा पूर्व तक खेती पर मानव सभ्यता प्रमुख रूप से निर्भर नहीं थी।
- पुरातत्व प्रमाणों से यह साबित होता है कि आधुनिक युग के 7000-2000 वर्ष पहले (7000-2000 BCE) मेहरगढ़ में खेती की अर्थव्यवस्था अस्तित्व में आ गई थी।
- आज के बलूचिस्तान में करीब 500 एकड़ इलाके में खेती की बात कही जाती है। 1974 से 1986 और 1991 से 200 के बीच हुई खुदाई में इसके प्रमाण मिले हैं।
- मेहरगढ़ को सिंधु घाटी की सभ्यता से ठीक पहले माना जाता है। आधुनिक युग के 3300-1300 वर्ष पहले हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता का समय माना जाता है। सिंधु नदी के इर्द गिर्द बसी यह सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं से है। आज का भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान इसमें शामिल है।
- शुरुआती उपज में गेहूँ और जौ के प्रमाण मिलते हैं। इसी दौरान पूर्वी भारत में चावल-दाल की खेती के भी प्रमाण मिलते हैं।
- सिंधु घाटी सभ्यता के समय भारत में सिंचाई की शुरुआत की बात कही जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता में ड्रेनेज और सीवर सिस्टम होने के भी प्रमाण मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जल संरक्षण के लिए कुंड और जलाशय के भी प्रमाण मिलते हैं।
- सिंधु घाटी सभ्यता के बाहर दक्कन पठार में भी खेती के प्रमाण मिलते हैं, जो आज बिहार और ओडिशा है।
- गुप्त और मौर्य शासनकाल में मौसम के लिहाज से खेती की बात सामने आती है। दाल, सब्जी, फल के अलावा दूध के इस्तेमाल का

प्रमाण इस समय से मिलने लगता है। खेती के लिए तकनीक और प्रयोग पर भी इस समय जोर देने के प्रमाण भी इस समय मिलते हैं।

- ग्रीक राजनयिक मेगस्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में मौर्य साम्राज्य के भारतीय खेती के बारे में खूब लिखा है। इसमें उन्होंने बैलगाड़ी और घोड़ागाड़ी के प्रयोग के बारे में बताया है।
- मुगलकाल से बहुत पहले ही तमिलनाडु के किसान चावल, गन्ना, काली मिर्च, तरह-तरह के अनाज, नारियल, कपास, हल्दी, चंदन, सुपारी और दूसरी खेती करने लगे थे। पहली-दूसरी शताब्दी में कावेरी नदी पर पहला बाँध बनाया गया, यह दुनिया के सबसे पुराने बाँधों में शामिल है।
- तमिलनाडु में खेती के लिए जलाशय का निर्माण किया गया। जुताई, बुआई करके खेती के प्रमाण इसी समय से मिलने लगते हैं।
- मुगलों के आने से पहले ही भारत में चीनी मिलें भी अस्तित्व में आ गई थीं। मुगलों के भारत में आने के बाद भारत में जनसंख्या तेजी से बढ़ी और उस जरूरत को पूरा करने के लिए मुगलकाल में खेती में उत्पादन भी बढ़ने के प्रमाण मिलते हैं।
- खाने की जरूरत को पूरा करने के लिए गेहूँ, चावल और जौ के साथ गैर खाद्य उपज कपास और अफीम की खेती भी इस समय होने लगी।
- 1556-1605 अकबर के शासन के दौरान टोडरमल के जमीन प्रबंधन के बारे में भी खूब लिखा गया है।
- 17वीं शताब्दी के मध्य तक मक्का और तम्बाकू की खेती भी होने लगी।

❍

9. भारत में कृषि का इतिहास

भोजन मनुष्य की प्राकृतिक आवश्यकता है और भोजन जुटाना श्रम साध्य कार्य। भोजन जुटाने के लिए मनुष्य कई प्रकार के कार्य करता है, जिसमें से सबसे प्रमुख कार्य है खेती या कृषि। कृषि से ही उसे अन्न, दालें, सब्जियाँ और फल मिलते हैं। कृषि से जुड़ा है पशुपालन और पशुओं से उसे दूध मिलता है। इस प्रकार दूध कृषि उत्पाद न होते हुए भी कृषि से जुड़ा उत्पाद ही है। स्वाभाविक ही है कि कृषि मनुष्य की सबसे प्रारंभिक आर्थिक गतिविधि रही होगी। इसलिए कृषि मानव इतिहास की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना मानी जाती है। प्रश्न उठता है कि आखिर कृषि कार्य कितना पुराना है?

I. खेती की पौराणिक कहानी

कहते हैं कि दुनिया को खेती करना भारत के राजा पृथु ने सिखाई। महाभारत के अनुसार राजा पृथु दुनिया के इतिहास के चौथे राजा थे। राजा पृथु से पहले मनुष्य अपने आप उग आए फल-फूल और गौओं से मिलने वाला दूध खा-पीकर जीवन गुजारता था। परंतु राजा पृथु ने अनाजों की खेती करने का तरीका विकसित किया और उसके बाद से दुनिया में खेती हो रही है। राजा पृथु का काल भारतीय कालगणना के अनुसार मानव सृष्टि के कुछ ही वर्षों के उपरांत का है यानी कि आज से करोड़ों वर्ष पूर्व का।

II. वेदों में खेती का उल्लेख

वेदों में न केवल खेती करने के तरीका का वर्णन है, बल्कि खेती से समृद्धि प्राप्त करने का भी वर्णन है। ऋग्वेद के एक मंत्र में कहा गया है - सम्पूर्ण पृथ्वी भूमि और सौर ऊर्जा द्वारा प्रकृति के सर्वव्यापी नियमों की व्यवस्था में सदैव उत्तम माधुर्य लिए हुए (अन्नादि) पौष्टिक

(स्वास्थ्य हितकारी) वीर्यवर्धक पदार्थों को प्रदान करने की अक्षय क्षमता रखती है। (ऋग्वेद 6/70/1) अथर्ववेद का एक मंत्र बताता है- समाज गौओं के दूध और गौओं की सहायता से प्राप्त कृषि-धान्य और अन्य पौष्टिक पदार्थों से समृद्ध तथा स्त्री-पुत्रादि के साथ सुखमय जीवन पाए। (अथर्ववेद 2/26/5)

ऋग्वेद के अनुसार गौ प्रत्यक्ष में तो केवल दूध देती है परंतु परोक्ष रूप से (भूमि को गोबर गोमूत्र के उर्वरक से जैविक कृषि द्वारा) विश्व को भोजन देती है। इस प्रकार वेदों में हम खेती के सर्वाधिक वैज्ञानिक और आधुनिक तरीके का विवरण पाते हैं। ऋग्वेद में ऋषि से सम्बन्धित जिस प्रणाली और जिन उपकरणों का उल्लेख है, आज भी उसी प्रणाली और उसी तरह के उपकरणों का प्रयोग काफी हद तक हो रहा है। उदाहरण के लिए ऋग्वेद में बैलों से हल जोतने का उल्लेख है। चौथे मंडल में बैल, हल, हलवाहा आदि का वर्णन है। कहा गया है-

हमारे बैल सुखपूर्वक भार वहन करें। कृषक सुखपूर्वक खेती का काम करें। हल सुखपूर्वक खेतों का काम करें, हल सुखपूर्वक खेत जोतें। रस्सियाँ सुखपूर्वक बँधें। बैलों को हांकने वाला पैना (छड़ी) सुखपूर्वक चलाया जाए। (ऋग्वेद 4.57.4)

हमारे हल की फाल सुखपूर्वक खेत को जोते। हलवाहे सुखपूर्वक खेत जोतने वाले बैलों के साथ चलें। बादल मधुर जल से धरती को सीचें। (ऋग्वेद 4.57.8)

हल से खेत को जोतो, जूए को तानो, यहाँ तैयार किए गए खेत में बीज बोओ। हमारी स्तुतियों के साथ खेती हरी-भरी हो। पकी फसल के पास हंसुए (सृणि) जाएं। (ऋग्वेद 10.101.3)

मोंट बनाओ, रस्सा रखो। सुन्दर सिंचाई वाले, अक्षय जल वाले कुएं के जल से हम खेत सींचते हैं। (ऋग्वेद 10.101.5)

इस प्रकार ऋग्वेद के सूक्त 101 में तैयार किए गए खेत में बीज बोने, खेत सींचने, फसल के पक जाने पर उसे काटने तथा दँवरी से अनाज को डंठल से अलग करने आदि से सम्बन्धित बातों का उल्लेख हुआ है। भारत में आज भी अधिकांश कृषि कार्य इसी पारम्परिक ढंग को प्रयोग में लाकर ही होता है। इसी तरह हल बनाने के लिए बढ़ई, लोहार जैसे लोगों के साथ इनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले औजारों का भी ऋग्वेद में उल्लेख है, जैसे बसूला, कुल्हाड़ी, लोहार की धौंकनी (भाथी), आदि का वर्णन है। सिन्धु-सरस्वती घाटी में किए गए उत्खनन में भी बसूला, कुल्हाडी, हँसिया, आरी, छुरी आदि औजारों के प्रमाण मिले हैं। इन उपकरणों का प्रयोग आज भी हमारे समाज में उसी प्रकार हो रहा है। ऋग्वेद वर्णन करता है कि लोहार भाथी (धौंकनी) के द्वारा धुएँ वाली आग को भड़काकर और धुआँ रहित करता है। (ऋग्वेद 5.9.5)

III. सिंधु सभ्यता में खेती के अवशेष

सिन्धु-सरस्वती सभ्यता के उत्खननों में कृषि कार्यों से सम्बन्धित अनेक ऐसे प्रमाण मिले हैं, जो कृषि की ऋग्वेद की इस परम्परा को आगे ही नहीं बढ़ाते, बल्कि वर्तमान प्रणाली से उसकी निरंतरता को स्पष्ट रूप से रेखांकित भी करते हैं। जैसे राजस्थान के कालीबंगा (2800 ई.पू.) के उत्खनन में एक ऐसा खेत मिला है जो उसी प्रकार से जोता गया है, जैसे आज भी फसल बोने के लिए जोते जाते हैं। इस खेत को लम्बाई में पूर्व-पश्चिम दिशा में जोता गया है, पर थोड़ी-थोड़ी दूरी पर उत्तर-दक्षिण दिशा में भी उसमें जोतने के निशान है। खेत सम्भवत: बुआई के लिए तैयार किया जा चुका था। कालीबंगा के क्षेत्र के साथ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह के खेत तैयार किए जाते हैं, जिनमें पूर्व-पश्चिम की लम्बाई वाले सँकरी पंक्तियों के जोत (हराई) में चना बोने तथा उत्तर-दक्षिण की चौड़ाई में

बनाई गई लाइनों में सरसों बोने का प्रचलन है। स्पष्ट है, यह प्रचलन पहले से ही चला आ रहा है।

सिंधु घाटी सभ्यता जिसे आज कई विद्वानों ने सरस्वती घाटी सभ्यता साबित किया है, का कालखंड आधुनिक कालगणना के अनुसार 1900 ईसापूर्व से अधिकतम 2600 ईसापूर्व माना जाता है। हालांकि यह कालगणना अशुद्ध साबित हो चुकी है। कालीबंगा में हुए उत्खननों ने साबित कर दिया है कि यह कालगणना अभी और पीछे जाएगी। 2800 से 3000 वर्ष ईसापूर्व तो यह वैसे भी साबित होने लगी है।

वेदों में बंजर भूमि को ऊपजाऊ बनाने के भी निर्देश हैं। ऋग्वेद के छठे मंडल के 47वें सूक्त के 20 से 24 तक के मंत्रों में अगव्यूति क्षेत्र यानी कि बंजर भूमि की चर्चा है। वहाँ कहा है ऐसी भूमि जहाँ गाएं नहीं जातीं, वे बंजर हो जाती हैं। वहाँ गौओं को ले जाने उनसे उस भूमि की चिकित्सा किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 27वें सूक्त के 20वें मंत्र में कहा है कि गौ (गोमूत्र और गोबर) से भूमि के हानिकारक कृमियों का विनाश होता है और भूमि को उर्वरकता प्राप्त होती है, जैसे सूर्य और वर्षा के जल से होता है। इसी प्रकार ऋग्वेद के ही आठवें मंडल के 72वें सूक्त के 12वें मंत्र में कहा है, गोपालन और यज्ञ (अग्निहोत्र) द्वारा पर्यावरण का संरक्षण होता है (जिससे वर्षा समय समय पर होती रहती है) गोबर गोमूत्र के कारण भूमि की आर्द्रता बनी रहती है।

गोमूत्र गोबर वर्षा से प्रभावित उर्वरा भूमि पर कृषि समाज को इतना सम्पन्न बना देते हैं कि साधारण जन कानों में स्वर्णाभूषण पहनते हैं।

वेदों के अलावा लगभग सभी ग्रंथों में कृषि का उल्लेख भरपूर मिलता है। इस क्रम में एक महत्त्वपूर्ण ग्रंथ कौटिलीय अर्थशास्त्र है। कौटिल्य यानी चाणक्य का काल आधुनिक कालगणना में केवल 325 वर्ष ईसापूर्व का माना जाता है। यह मिथ्या भ्रम सिकंदर से काल को

चंद्रगुप्त मौर्य के काल से जोड़ने के कारण बना है। अन्यान्य साक्ष्य विशेषकर भारतीय साक्ष्य साबित करते हैं कि चंद्रगुप्त और चाणक्य का काल न्यूनतम 1500 वर्ष ईसापूर्व रहा ही होगा। ऐसे में सिंधुघाटी सभ्यता और उसके प्रमाण कितने पीछे जाएंगे, यह कहना कठिन है या फिर वे मौर्यकालीन ही माने जाएंगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कृषि की आधुनिकतम प्रक्रियाओं का वर्णन है। चाणक्य ने सिंचाई के साधनों के विकास पर भी ध्यान दिया है और बंजर भूमि को पुनः ऊपजाऊ बनाने पर भी। किसानों को बीज, बैल कम न पड़ें, इसकी व्यवस्था भी राज्य की ओर से की जाती थी। इतना ही नहीं, किसानों को ऋण भी राज्य की ओर से प्रदान किया जाता था।

IV. कौटिल्य के अर्थशास्त्र में खेती

चाणक्य लिखते हैं कि सिंचाई के साधनों का विकास राज्य की जिम्मेदारी है। बाँध, जलाशय, कुएँ, नहरें बनवाना भी उसकी जिम्मेदारी थी। जो किसान स्वयं इस प्रकार के निर्माण करते थे, उन्हें नहर के लिए रास्ता और निर्माण के लिए आवश्यक अन्य सभी सामग्री राज्य देता था। देवालयों और बाग बगीचों के लिए भी भूमि आवंटित की जाती थी। बड़े-बड़े जलाशयों में मछली, जल पक्षी कमलदण्ड आदि व्यापार योग्य चीजें राज्य की सम्पत्ति माने जाते थे। कृषि पदार्थों की बिक्री आयात निर्यात और बड़े पैमाने के व्यापार के लिए मण्डियों की व्यवस्था भी सरकार करती थी।

कृषि की इतनी लंबी परंपरा के कारण ही भारत के अधिकांश त्योहार कृषि से ही जुड़ गए। अंग्रेजों के आने तक भारत में कृषि अत्यंत उन्नत अवस्था में थी। अंग्रेजों की लूट और स्थानीय राजाओं को महलों तक सीमित किए जाने से सिंचाई के साधनों के रख-रखाव की उपेक्षा होने लगी। अंग्रेजों द्वारा जो लूट मची उससे किसान तबाह हो गए और खेती चौपट। बाद में खेती की दशा सुधारने पर रिपोर्ट तैयार करने के

लिए डॉ. जॉन अगस्टस वोल्कर को लगा दिया गया। वोल्कर की रिपोर्ट आज उपलब्ध है। उस रिपोर्ट में भारतीय कृषि की तत्कालीन उन्नत दशा का पता चलता है। उदाहरण के लिए वर्ष 1832 में अंग्रेज कृषि विशेषज्ञों ने स्वीकार किया था कि भारतीय कृषि में बहुत सुधार की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि उदाहरण के लिए चावल की खेती में आने वाले हजार वर्षों में भी हम शायद ही कोई विकास करने की आवश्यकता पड़े। वोल्कर ने अपनी रिपोर्ट में कृषि उत्पादन का जो विवरण दिया है, वह कहीं से भी कमजोर नहीं कहा जा सकता। देश में सिंचाई की परंपरागत व्यवस्था पर भी इस रिपोर्ट में खासा प्रकाश डाला गया है। वोल्कर का सुझाव था कि सरकार सिंचाई के परंपरागत स्रोतों की देख-रेख में व्यय करे।

❍

10. भारतीय किसानों की समस्याएँ और समाधान

जिस देश में 'उत्तम खेती मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी भीख निदान' जैसा दोहा प्रचलित हो वहाँ की खेती बदहाली का शिकार बन जाए तो इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। बढ़ती लागत, कुदरती आपदाओं में इजाफा, मिट्टी की उर्वरा शक्ति में ह्रास, पानी की बढ़ती किल्लत, बाजार का शोषणकारी चरित्र, सस्तेव कृषि उपजों का आयात आदि के चलते खेती घाटे का सौदा बन चुकी है। लगभग डेढ़ दशक पहले राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) की रिपोर्ट में बताया गया था कि 40 प्रतिशत किसान इसलिए खेती कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अब तो यह अनुपात और भी बढ़ गया होगा।

सिंचाई की सीमित सुविधा, छोटी होती जोत, बिजली-पानी-बीज-उर्वरक की किल्लत जैसी परंपरागत समस्याएँ तो पहले भी थीं लेकिन ये समस्याएँ इतनी विकराल रूप नहीं धारण करती थीं कि किसान खुदकुशी जैसा कदम उठाएं। दरअसल पहले किसान विविध फसलों की खेती करता था और पशुपालन जीवन का अभिन्न अंग होता था, जिससे किसानों को नुकसान की भरपाई खेती-बाड़ी से ही हो जाती थी। फिर मुसीबत में संयुक्त परिवार का संबल रहता था। लेकिन अब किसान उन चुनिंदा नकदी फसलों की खेती करता है, जिनका अच्छा मूल्य मिलता हो। पशुपालन और संयुक्त परिवार अब अतीत हो चुके हैं। ऐसे में गृहस्थी का पूरा दारोमदार नकदी फसलों की बिक्री पर रहता है। जब किसान की उपज बाजार में आती है तब कीमतें धड़ाम से गिर जाती हैं, जिससे किसानों की लागत निकलनी कठिन हो जाती है। जैसे-जैसे विविधतापूर्ण खेती की जगह चुनिंदा फसलों की खेती की

प्रवृत्ति बढ़ रही है, वैसे-वैसे न केवल किसानों की समस्याओं का दायरा बढ़ रहा है बल्कि इसका दायरा किसानों की आत्महत्या तक पहुँच चुका हैं।

I. अत्यधिक जनसंख्या निर्भरता

कृषि पर अत्यधिक जनभार भारतीय किसानों की एक बड़ी समस्या है। दुनिया भर में यह देखा गया है कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी घटने के साथ ही उस पर निर्भर लोगों की तादाद घटने लगती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। 1950-51 में देश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान 55 फीसदी था जो कि आज घटकर 14 फीसदी रह गया है जबकि इस दौरान कृषि पर निर्भर लोगों की तादाद 24 करोड़ से बढ़कर 60 करोड़ हो गई है। यही कारण है कि खेती पर निर्भर लोगों की आमदनी घटती जा रही है।

कृषि क्षेत्र में कम आमदनी के कारण ही किसान खेती छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। इसकी पुष्टि 2011 की जनगणना के आंकड़ों से होती है जिसके मुताबिक पिछले एक दशक में किसानों की कुल तादाद में 90 लाख की कमी आई है। अर्थात् हर रोज 2460 किसान खेती छोड़ रहे हैं। हरित क्रांति के अगुआ रहे पंजाब में हर साल 10,000 किसान खेती छोड़ रहे हैं। इनमें से एक-तिहाई लोग अपनी जमीन बेचकर दूसरे के खेतों में या फिर छोटी मंडियों में मजदूरी कर रहे हैं। उदारीकरण के समर्थक भले ही इसे अपनी कामयाबी बताएं लेकिन सच्चाई यह है कि किसान मजदूर बन रहा है। इसे देश के किसी भी महानगर के दड़बेनुमा कमरों में देखा जा सकता है।

अविकसित कृषि बाजार

हमारे देश में किसानों की एक बड़ी समस्या अविकसित कृषि बाजार है। रिजर्व बैंक कई बार कह चुका है कि कृषि बाजार की प्रभावी उपस्थिति ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन का सशक्त हथियार है।

इसके बावजूद हम गरीबी उन्मूलन के लिए कृषि क्षेत्र की अनूठी क्षमता का दोहन नहीं कर पा रहे हैं। किसानों को उपज की लाभकारी कीमत दिलाने के लिए फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित तो होता है, लेकिन यह व्यरवस्था खामियों से भरी हुई है। सरकार 24 फसलों के लिए समर्थन मूल्य तय करती है, लेकिन सरकारी खरीद का दायरा गेहूँ, धान, गन्ना, कपास जैसी चुनिंदा फसलों से आगे नहीं बढ़ पाता है। इन उपजों की सरकारी खरीद भी केवल अग्रणी उत्पादक राज्यों तक सिमटी रहती है। इसी का नतीजा है कि देश के मात्र 6 फीसदी किसान समर्थन मूल्य का लाभ पाते हैं और 94 फीसदी किसान अपने उपज की बिक्री हेतु स्थानीय साहूकारों पर निर्भर रहते हैं। यही कारण है कि चुनिंदा फसलों को छोड़कर अधिकतर फसलों के लिए उपभोक्ता द्वारा चुकाई गई कीमत का 10 से 30 फीसदी ही किसानों तक पहुँचता है।

II. कृषि आयात में संतुलन जरूरी

अब तो विदेश से आयातित सस्ते कृषि उत्पाद भी भारतीय किसानों की बदहाली बढ़ा रहे हैं। गौरतलब है कि उदारीकरण के दौर में सरकार ने कृषि व्यापार का उदारीकरण तो कर दिया लेकिन भारतीय किसानों को वे सुविधाएँ नहीं मिली कि वे विश्व बाजार में अपनी उपज बेच सकें। दूसरी ओर विकसित देशों की सरकारें और एग्रीबिजनेस कंपनियाँ भारत के विशाल बाजार पर कब्जा करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती हैं।

भारी-भरकम सब्सिडी वाली विदेशी उपज इतनी सस्ती पड़ती है कि इसके आगे देसी उत्पाद ठहर ही नहीं पाते। कृषि उपज के बढ़ते आयात की एक बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ सरकारें जितनी चिंता महंगाई की करती हैं उसका दसवां हिस्सा भी किसानों के आमदनी की नहीं करतीं। यही कारण है कि बाजार में कीमतों में तनिक सी बढ़ोत्तरी

होते ही सरकार के माथे पर बल पड़ने लगता है और वह तुरंत आयात शुल्क में कटौती कर देती है जिसका सीधा खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है।

2015-16 में गेहूँ की सरकारी खरीद कम होने से कीमतें बढ़ने लगीं तब सरकार ने दिसंबर 2016 में गेहूँ पर लगने वाले आयात शुल्क को पूरी तरह हटा लिया। इसका नतीजा यह हुआ कि मार्च 2017 तक 35 लाख टन गेहूँ आयात के अनुबंध हो गए। घरेलू किसानों के बढ़ते दबाव और 2017 में गेहूँ की बढ़िया फसल को देखते हुए सरकार ने मार्च 2017 में गेहूँ पर 10 फीसदी आयात शुल्क लगाया। इसके बावजूद गेहूँ का आयात जारी रहा तब सरकार ने 8 नवंबर 2017 को आयात शुल्क 10 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया।

यही कहानी दालों के साथ दुहराई गई। दालों की महंगाई से परेशान सरकार ने घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए दलहनी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में भरपूर बढ़ोत्तरी की। इसका परिणाम यह हुआ कि 2016-17 में दालों का उत्पादन 260 लाख टन हो गया लेकिन इस दौरान 57 लाख टन आयात के कारण घरेलू बाजार में दालों की प्रचुरता हो गई जिससे किसानों को एमएसपी से भी कम कीमत पर दाल बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसे अरहर के उदाहरण से समझा जा सकता है। सरकार ने अरहर का समर्थन मूल्य 5050 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है लेकिन आयातित अरहर की भरमार और सरकारी खरीद के कमजोर नेटवर्क के चलते अधिकांश किसानों को 4200 रूपये प्रति क्विंटल से ज्यादा की कीमत नहीं मिल पाई। इसी तरह श्रीलंका से हुए मुक्त व्यापार समझौते की आड़ में वहाँ की सस्ती स्थानीय और वियतनाम से आयातित काली मिर्च भारत में धड़ल्ले से आ रही है जिससे भारतीय काली मिर्च किसानों को लागत निकालना कठिन हो गया है। प्याज के साथ तो यह वाकया लगभग हर साल

घटित होता है। जब प्याज की फसल मंडी में आती है तब सरकार उसके निर्यात की अनुमति दे देती है लेकिन जब कीमतें बढ़ने लगती हैं तो उसी प्याज का आयात किया जाता है। यहाँ पीली क्रांति की अकाल मौत का उल्लेख प्रासंगिक है। खाद्य तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 1980 के दशक में पीलीक्रांति शुरू की गई जो अपने लक्ष्य में कामयाब रही। लेकिन दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ हुए वरीयता व्यापार समझौतों (पीटीए) के कारण जब देश में सस्ते पामोलिव तेल का आयात बढ़ा तो सरकार ने तिलहनी फसलों की सरकारी खरीद बंद कर दी। इससे तिलहनी फसलों की खेती घाटे का सौदा बन गई और किसानों ने इनकी खेती करना ही छोड़ दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य तेल आयातक देश बन चुका है।

III. कारोबारी बाधाओं की भरमार

भारत में कृषि उपजों के कारोबार में हर कदम पर बाधाएँ मौजूद हैं। उदारीकरण-भूमंडलीकरण के दौर में उद्योग-व्यापार को सुगम बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम, ई-कॉमर्स जैसे सैकड़ों उपाय किए गए लेकिन कृषि उपजों का कारोबार ''जहाँ का तहाँ'' वाली स्थिति में ही है। इसी का नतीजा है कि जूता-चप्पल से लेकर हवाई जहाज तक बनाने वाली कंपनियाँ अपने सामान बेचने के लिए आजाद हैं लेकिन किसान नहीं। उसे अपनी उपज बेचने के लिए बिचौलियों का सहारा लेना ही पड़ता है और किसानों से पाँच रूपये किलो खरीदी गई प्याज के लिए उपभोक्ता को पचास रूपये चुकाना पड़ता है। कई बार तो किसान की लागत भी नहीं निकल पाती है। यही घाटे की खेती कई बार किसानों की जान तक ले लेती है।

कृषि उपजों के कारोबार में सबसे बड़ी बाधा 1953 में बना एग्रीकल्चरल प्रोडयूस मार्केटिंग कमेटी (एपीएमसी) कानून है। इसके

तहत किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बिचौलियों (आढ़तियों) को सहारा लेना ही होगा। इस कानून के कारण न तो नए व्यापारियों को आसानी से लाइसेंस मिलते हैं और न ही किसी नई मंडी का निर्माण हो पाता है। आज जिस देश में हर गली-कूचे में मोबाईल व बाइक शोरूम खुले हैं उसी देश में औसतन 435 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक मंडी है। इन मंडियों को भी अलग-अलग लाइसेंस की जरूरत होती है और उनकी फीस भी अलग-अलग होती है। यहाँ उत्पादों को बाजार के लिहाज से और बेहतर बनाने संबंधी सुविधाओं की कमी है। उत्पादों की मौजूदा कीमतों को दर्शाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड भी नहीं है। तकनीक के कम इस्तेमाल के चलते कारोबार में पारदर्शिता नहीं होती। यही कारण है कि इस कानून के तहत गठित बाजार समितियाँ राज्य सरकारों के लिए राजस्वी उगाही का जरिया बन चुकी हैं और वे लाइसेंस-परमिट राज बनाए रखना चाहती हैं। कृषि उपजों के कारोबार में बिचौलियों के बढ़ते वर्चस्व का ही नतीजा है कि जहाँ 1950-51 में उपभोक्ता द्वारा चुकाई गई कीमत का 89 फीसदी हिस्सी किसानों तक पहुँचता था वहीं आज यह अनुपात घटकर 34 फीसदी रह गया है। आज उपभोक्ता द्वारा चुकाई गई कीमत का 66 फीसदी उन नकली किसानों (बिचौलियों) की जेब में जा रहा है जो कभी खेत में गए ही नहीं। यदि पूरे देश के पैमाने पर देखें तो यह रकम सालाना 20 लाख करोड़ रूपये आएगी। यह रकम दिग्गज खुदरा कंपनी वॉलमार्ट के कुल सालाना कारोबार 21 लाख करोड़ रूपये के बराबर है।

सरकारों का ध्यान जरूरी

स्पष्ट है यदि केंद्र और राज्य सरकारें औद्योगिक उत्पादों की भाँति कृषि उपजों के भंडारण, प्रसंस्करण, विपणन के लिए नेटवर्क बनाएं तो वह दिन दूर नहीं जब भारतीय कृषि उत्पाद दुनिया के बाजारों में छा जाएँ। खेती में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अंधाधुंध

इस्तेमाल से होने वाली बीमारियों ने दुनिया में जैविक कृषि उत्पादों का एक बड़ा बाजार निर्मित किया है जहाँ उपभोक्ता कीमत की परवाह नहीं करते हैं। यदि भारत जैविक खेती के मानदंडों के अनुरूप कृषि उपजों के प्रसंस्कीरण-विपणन की नीति बनाए तो बहुत जल्दी प्रतिस्पर्धा में आ सकता है। राजग सरकार ने 2003 में एपीएमसी कानून में संशोधन कर मॉडल एपीएमसी कानून बनाया था। यह कानून निजी व कॉरपोरेट घरानों को विपणन नेटवर्क स्थापित करने की अनुमति देता है। इसमें थोक विक्रेताओं व आढ़तियों के नेटवर्क को खत्म करने का प्रावधान भी है। लेकिन राजस्व नुकसान और आढ़तियों की मजबूत राजनीतिक लॉबी के चलते अब तक बहुत कम राज्यों ने अपने एपीएमसी कानून में संशोधन किया है।

IV. मानसून का जुआ

इसे विडंबना ही कहा जाएगा जो देश अमेरिकी उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर रहा है वहाँ की खेती-किसानी अभी भी 'मानसून का जुआ' बनी हुई है। देश में कुल 14.2 करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में से 65 फीसदी में सिंचाई सुविधा नहीं है। आंकड़ों के मुताबिक तिलहनी फसलों की 26 फीसदी भूमि, दलहनी फसलों की 16.2 फीसदी और मोटे अनाज की 14.4 फीसदी भूमि के लिए ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। गेहूँ व धान की खेती के लिए सिंचाई की स्थिति थोड़ी बेहतर है। सिंचाई की सीमित सुविधा के कारण हर साल देश के कई इलाके सूखे की चपेट में रहते हैं तो कई इलाके बाढ़ के पानी में डूबे रहते हैं। सूखा-बाढ़ के अलावा हाल के वर्षों में वर्षा के प्रारूप में बदलाव आया है जिससे अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और बादल फटने जैसी मारक मौसमी घटनाएं आम होती जा रही हैं जो फसलों के लिए बेहद घातक हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी अदूरदर्शी नीतियों ने इन कुदरती आपदाओं को बढ़ाने का काम किया है। मानसून की अनिश्चित

प्रकृति और सिंचाई सुविधाओं की कमी के बावजूद देश में ऐसी कृषि प्रणाली को बढ़ावा दिया गया जिसमें पानी की बेहिसाब खपत होती है। इतना ही नहीं ज्यादा लाभ कमाने के मोह में पानी की कमी वाले इलाकों में भी अधिक पानी मांगने वाली फसलों की खेती धड़ल्ले से की जा रही है जैसे पंजाब, हरियाणा में धान और महाराष्ट्र में गन्ने की खेती। इसका परिणाम भूजल के अंधाधुंध दोहन और डार्क जोन के रूप में सामने आया। इतना ही नहीं नदी-नालों और धरती के नीचे जो पानी है भी वह औद्योगिक इकाइयों व शहरों से निकलने वाले कचरे की भेंट चढ़ता जा रहा है। इसके अलावा खेती में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशकों-रसायनों के घुलने से भी पानी की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। इसके साथ ही भूमि में नमी घटते जाने, जंगलों के कटने और पहाड़ी क्षेत्रों का विस्तार लगातार कम होते जाने से बंजर भूमि का विस्तार बढ़ता जा रहा है। फिर सड़कों, उद्योगों व शहरों की जरूरतों के लिए जिस तरह जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में अतिक्रमण हो रहा है उससे भूजल भंडार तेजी से कम हो रहा है। स्पष्ट है हमें पानी की कीमत पहचान कर स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप फसल प्रणाली का विकास किया जाए।

V. कर्ज का जाल

कर्ज का बढ़ता जाल भी किसानों की एक बड़ी समस्या है। देश के 9 करोड़ किसान परिवारों में 70 फीसदी परिवार हर महीने आमदनी से ज्यादा खर्च करते हैं। दरअसल महंगे बीज-उर्वरक-कीटनाशक, गिरता भूजल स्तर, बढ़ती मजदूरी के कारण खेती की लागत में बेतहाशा बढ़ोत्तरी हो चुकी है। ऐसे में बिना कर्ज लिए खेती संभव नहीं रह गई है। यद्यपि सरकार ने कृषि ऋणों में भरपूर इजाफा किया है लेकिन इससे दूरगामी कृषि विकास नहीं हुआ। गौरतलब है कि जहाँ 2004 में

86,000 करोड़ रूपये का कृषि ऋण आवंटित किया गया वहीं 2017-18 में यह बढ़कर दस लाख करोड़ रूपये हो गया। लेकिन कृषिगत आधारभूत ढांचा निर्माण पर ध्यान न दिए जाने से जितना अधिक कर्ज बंटा किसान उतने ही ज्यादा कर्ज में डूबते गए। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के 59वें सर्वे के मुताबिक 2003 में देश के 48 फीसदी किसान ऋणग्रस्त थे। एक दशक बाद 2014 में आई एनएसएसओ की 70वीं रिपोर्ट में यह अनुपात बढ़कर 52 फीसदी हो गया। कृषि ऋणों के साथ दूसरी समस्या यह हुई कि कृषि ऋणों की परिभाषा में इस तरह बदलाव किया गया कि इसका लाभ बड़े किसानों, कारोबारियों, शहरी लोगों को भी मिलने लगा। भारत के बैंक एम्प्लॉई यूनियन एसोसिएशन के आंकड़ों के मुताबिक पिछले कुछ सालों में दिल्ली और चंडीगढ़ में खेती के नाम पर हजारों करोड़ रूपये का कृषि ऋण वितरित किया गया। खेती-किसानी के नाम पर शहरों के कारोबारियों को बांटे जा रहे कृषि ऋणों का नतीजा यह निकल रहा है कि किसानों को मजबूरन साहूकारों-महाजनों की शरण में जाना पड़ रहा है। यही परिस्थिति फसल चौपट होने पर किसानों को आत्मघाती कदम उठाने पर मजबूर कर रही है।

VI. गलत प्राथमिकताएँ

किसानों की समस्यात कम नहीं हो रही हैं तो इसका कारण यह है कि हमारी प्राथमिकताँ गलत हैं। वोट बैंक की राजनीति के चलते किसानों के हित के लिए दूरगामी उपाय नहीं किए जाते हैं। कर्जमाफी की मांग करने वाले नेता-बुद्धिजीवी इस बात पर मंथन नहीं करते कि कैसे खेती को मुनाफे का सौदा बनाया जाए ताकि किसान खुशी-खुशी कर्ज वापस करें। इसी तरह का एक विवादित मुद्दा है जीएम फसलों की मंजूरी। एक ओर किसान उपज की वाजिब कीमत के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो दूसरी ओर नई तकनीक के समर्थक जीएम फसलों को मंजूरी

देने की मांग कर रहे हैं। जमीनी सच्चाई यह है कि किसानों को जीएम बीज की नहीं सिंचाई, उन्नत तकनीक, सूचना प्रौद्योगिकी, ग्रामीण सड़कों, बिजली, कोल्ड चेन, आधुनिक मंडी की जरूरत है ताकि उन्हें उपज की वाजिब कीमत पाने के लिए संघर्ष न करना पड़े। हालांकि मोदी सरकार राष्ट्रीय कृषि बाजार (नाम), ग्रामीण सड़क, बिजली, सिंचाई, फसल बीमा जैसी मूलभूत सुविधाओं की मौजूदगी बढ़ाने में जुटी है लेकिन कृषि क्षेत्र में तब तक क्रांतिकारी सुधार नहीं आएगा जब तक राज्य सरकारें ठोस जमीनी पहल नहीं करती हैं। कुछ साल पहले जब खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने की बात उठी थी तब राज्य सरकारों ने इसका पुरजोर विरोध किया था लेकिन ग्रामीण सड़कों, बिजली, सिंचाई, कोल्ड चेन, भंडारण, प्रसंस्करण, विपणन जैसे क्षेत्रों में निवेश आज भी दूर की कौड़ी बना हुआ है। राज्य सरकारों का पूरा जोर गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की तादाद बढ़ाने, कर्जमाफी जैसी योजनाओं पर रहता है। इसी का नतीजा है कि उदारीकरण का लाभ गाँवों की पगडंडी तक नहीं पहुँच पा रहा है। किसानों की बदहाली की असली वजह यही है।

VII. कॉर्पोरेट खेती का बढ़ता चलन

एग्रीबिजनेस कंपनियों का बढ़ता हस्तक्षेप भी भारतीय किसानों की समस्या बढ़ा रहा है। छोटी जोतों और स्थानीय खाद्य बाजार की जगह वैश्विक खाद्य आपूर्ति तंत्र स्थापित करने की जो प्रक्रिया दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप-अमेरिका में शुरू हुई थी वह अब तीसरी दुनिया को अपनी चपेट में लेती जा रही है। यह काम बडी-बड़ी एग्रीबिजनेस कंपनियाँ कर रही हैं। दरअसल ये कंपनियाँ तीसरी दुनिया की खेती-किसानी पर कब्जा करने की कुटिल चाल चल रही हैं। बीज, उर्वरक, रसायन, कीटनाशक, प्रसंस्करण आदि पर कब्जा जमा चुकी कंपनियों के सामने एक बड़ी चुनौती इन देशों में प्रचलित स्थानीय खाद्य पदार्थ हैं। इसीलिए

कंपनियाँ झूठे व आकर्षक प्रचार युद्ध के जरिए इन देशों के 'लोकल' खाद्य पदार्थों की जगह 'ग्लोबल' आहार को लोकप्रिय बनाने की मुहिम छेड़े हुए हैं। इसका सटीक उदाहरण है मैगी, मोमोज, चाउमिन, पीजा, बर्गर, चॉकलेट, शीतल पेय, बोतलबंद पानी आदि का बढ़ता प्रचलन। आज देश के किसी भी गाँव-गिरांव में चले जाइए वहाँ नींबू-पानी, गुड़, सत्तू आदि भले न मिले मैगी, मोमोज, चाउमिन जरूर मिल जाएंगे।

VIII. बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कब्जे में खेती, बदहाल भारती किसान

एग्रीबिजनेस कंपनियाँ स्थानीय खाद्य मंत्र को वैश्विक रूप देती जा रही हैं। यही कारण है कि आज खेत में पैदा होने से लेकर थाली की मेज तक पहुँचने में खाद्य पदार्थ औसतन 1500 मील की दूरी तय करते हैं और हर कदम पर मुनाफे की फसल लहलहाती है। जैसे अमेरिका में पैदा होने वाले 93 फीसदी सोयाबीन और 80 फीसदी मक्का पर इकलौती कंपनी मोनसेटो का आधिपत्य है। दुनिया के अनाज कारोबार को महज 4 कंपनियाँ नियंत्रित करती हैं। दूध के वैश्विक कारोबार के आधे हिस्से पर बीस कंपनियों का कब्जा है। कीटनाशकों के वैश्विक कारोबार पर भीमकाय निगमों का आधिपत्य है। जैसे-जैसे इन कंपनियों का एकाधिकार बढ़ रहा है वैसे-वैसे किसानों की आमदनी कम होती जा रही है क्योंकि खरीद-बिक्री पर एकाधिकार स्थापित कर ये कंपनियाँ किसानों के विकल्प कम कर देती हैं।

एग्रीबिजनेस कंपनियाँ खाद्य तंत्र पर कब्जे की शुरूआत खेती के मूल आधार (बीज) से करती हैं। पेटेंट और बौद्धिक संपदा अधिकार इनके लिए सीढ़ी का काम करते हैं। इससे वैश्विक बीज कारोबार एक जगह पर सिमटता जा रहा है। उदाहरण के लिए चार दशक पहले जहाँ हजारों कंपनियाँ बीज उत्पादन करती थीं वहीं आज दुनिया की दस चोटी की कंपनियाँ कुल बीज उत्पादन के 67 फीसदी हिस्से पर कब्जा

जमा चुकी हैं और इनका हिस्सा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसी प्रकार शीर्ष दस कंपनियाँ कीटनाशकों के 90 फीसदी कारोबार पर नियंत्रण कर चुकी हैं। जैसे-जैसे वाणिज्यिक बीज प्रणाली का आधिपत्य बढ़ रहा है वैसे-वैसे कृषि जैव विविधता खतरे में पड़ती जा रही है।

एग्रीबिजनेस कंपनियाँ और उनके पक्षधर यह तर्क देते हैं कि बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए न सिर्फ बड़े पैमाने पर उत्पादन जरूरी है बल्कि उस उत्पादन को लोगों तक पहुँचाने के लिए केंद्रीकृत आपूर्ति तंत्र भी जरूरी है। दूसरी ओर जमीनी सच्चाई यह है कि आज भी दुनिया की 70 फीसदी आबादी को खाद्यान्न आपूर्ति करने का कार्य छोटी जोतों और स्थानीय स्तर पर मौजूद राशन की दुकानें ही कर रही हैं। इसे एशिया में धान के उदाहरण से समझा जा सकता है। एशिया में पैदा होने वाले धान का 99 फीसदी हिस्सा दो हेक्टेयर से कम जोत वाले रकबे से आता है। इतनी छोटी जोत कोई एग्रीबिजनेस कंपनी नहीं रखती है। स्पष्ट है बढ़ती आबादी का पेट छोटी-छोटी जोतें ही भर सकती हैं।

IX. उम्मीद जगाती बागवानी

पानी की किल्लत और किसानों की कम आमदनी को देखते हुए विशेषज्ञ लंबे अरसे से बागवानी फसलों (फलों-सब्जियों) की खेती पर बल दे रहे हैं। गौरतलब है कि देश के 8.5 फीसदी फसली क्षेत्र पर बागवानी फसलों की खेती की जाती है लेकिन इनसे कृषि सकल घरेलू उत्पाद का 30 फीसदी प्राप्त होता है। इतना ही नहीं फलों व सब्जियों की खेती अन्य फसलों के मुकाबले चार से दस गुना ज्यादा रिटर्न देती है। शहरीकरण, मध्यवर्ग का विस्तार, बढ़ती आमदनी, खान-पान की आदतों में बदलाव के चलते दुनिया भर में अनाज के बजाए फलों-सब्जियों की मांग में तेजी से इजाफा हो रहा है। ऐसे में बागवानी फसलें किसानों की कई समस्याओं का समाधान कर देंगी।

लेकिन समस्या यह है कि चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फल व सब्जी उत्पादक होने के बावजूद भारत इस बाजार में भरपूर हिस्सेदारी नहीं बना पा रहा है। गौरतलब है कि भारत विश्व का 12.6 फीसदी फल व 14 फीसदी सब्जी उत्पादित करता है लेकिन फलों व सब्जियों के कुल वैश्विक बाजार में उसकी हिस्सेदारी क्रमशः 0.5 और 1.7 फीसदी ही है। इतनी कम भागीदारी के लिए कई परिस्थितियाँ जिम्मेदार हैं। सबसे बड़ी बाधा है परिवहन की ऊँची लागत। भारत में अन्य देशों की तुलना में माल ढुलाई लागत 20 से 30 फीसदी ज्यादा है। इससे भारतीय उत्पाद खुदरा बाजार में 10-15 फीसदी महंगे हो जाते हैं। उदाहरण के लिए कम लागत पर पैदा होने के बावजूद महंगी ढुलाई के कारण नीदरलैंड के फल-सब्जी आयात में भारत की हिस्सेदारी महज 3 फीसदी है जबकि सुदूर लैटिन अमेरिकी देश चिली की हिसेदारी 23 फीसदी है। यह केवल विदेशी बाजारों में ही घटित नहीं होता बल्कि घरेलू बाजार में भी फल-सब्जी महंगे होने के चलते आयातित फल-सब्जी से प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाते हैं। अब तो स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि आयातित फलों-सब्जियों की वजह से भारतीय उत्पादक मुसीबत से घिरते जा रहे हैं। दूसरे, देश में मांग के अनुरूप क्वालिटी निर्धारण सुविधाओं की भारी कमी है। यहाँ फल, फूल, सब्जी आदि के लिए जरूरी प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और कोल्ड स्टोरेज जैसे बुनियादी ढांचे की यहाँ भारी कमी है। इसके चलते कुल पैदावार का एक-चौथाई हिस्सा हर साल बरबाद हो जाता है।

स्पष्ट है हमारी बागवानी फसलें घरेलू व विदेशी बाजारों में तभी ज्यायदा हिस्सेदारी बना पाएंगी जब कम लागत वाले परिवहन-विपणन ढांचे का निर्माण हो। यह तभी होगा जब हम सड़क, रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डों की स्थिति सुधारें और प्रसंस्करण, भंडारण व कोल्ड चेन में भारी निवेश करें। बागवानी क्षेत्र के विकास पर गठित सौमित्र चौधरी

समिति ने भी बीज विकास से लेकर भंडारण-विपणन की अत्याधुनिक व्यवस्था करने की सिफारिश की थी लेकिन यूपीए सरकार ने उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था। अब मोदी सरकार जिस ढंग से ग्रामीण आधारभूत ढांचे व ई-मंडी का विकास कर रही है उससे न केवल किसानों की बदहाली दूर होगी बल्कि भारतीय फल व सब्जी दुनिया भर में अपनी धाक जमाने में कामयाब होंगे।

किसानों की समस्याओं का समाधान की दिशा में पहला काम है पानी की कीमत पहचानकर क्षेत्र विशेष की पारिस्थितिकीय दशाओं के अनुरूप फसलें उगाई जाएं। इसके अलावा किसानों को सिंचाई की उन्नत तकनीक से लैस किया जाए ताकि कम पानी से ज्यादा उत्पादन हासिल किया जा सके। दूसरे, कृषि आय में बढ़ोत्तरी की सीमित संभावनाओं को देखते दूग्ध उत्पादन, मुर्गी-मछली पालन, डेयरी जैसी गैर-कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देकर किसानों की गैर-कृषि आय के स्रोतों को बढ़ाने के उपाय बढ़ाए जाएं। इससे न सिर्फ किसानों की आमदनी में बढ़ोत्तरी होगी बल्कि मिट्टी, पानी पर दबाव भी कम पड़ेगा। तीसरे, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा दिया जाए इससे न केवल ग्रामीण इलाकों में कृषि आधार उद्योगों का विकास होगा बल्कि जल्दी खराब होने वाली कृषि उपजों की बरबादी भी रूकेगी। देश के अलग-अलग इलाकों में पैदावार में भारी अंतर है। अतः जिन इलाकों में पैदावार कम है वहाँ इनपुट मुहैया कराया जाए। जलवायु परिवर्तन ने जो चुनौती पेश की है उसे देखते हुए खेती को ढालना होगा। सिंचाई, भंडारण, विपणन, छोटे कृषि उपकरणों की सुविधा बढ़ाने के साथ हमें भूमि को पट्टे पर देने के नियमों में प्रगतिशील सुधार करना होगा ताकि बंटाईदारी पर खेती को बढ़ावा मिले। किसानों को सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे दुनिया की बदलती मांग के अनुरूप उत्पादन करें।

लंबे अरसे बाद देश में ऐसी सरकार आई है जो खेती-किसानी संबंधी बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रही है। मोदी सरकार ने जहाँ सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना शुरू की है वहीं कृषि उपजों के बेहतर दाम दिलाने हेतु देश भर की मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार (नाम) से जोड़ा जा रहा है। किसानों को संकट में सहारा देने हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा की शुरूआत की गई है। नीम कोटेड यूरिया से जहाँ उर्वरकों की कालाबाजारी दूर हुई वहीं सरकार मिट्टी स्वास्थय कार्ड जारी कर रही है ताकि किसान जरूरत के मुताबिक ही उर्वरकों का इस्तेमाल करें। 2018 तक देश के सभी गाँवों तक बिजली पहुँचाने के लक्ष्य के साथ-साथ किसानों को सिंचाई के उन्नत साधनों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि हर बूंद से अधिक उत्पादन हासिल किया जा सके। सरकार ग्रामीण सड़कों के निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।

❍

11. भाजपा राज्य सरकारों की किसान कल्याण योजनाएँ

'किसानों को जब तक अपनी फसल का अच्छा दाम नहीं मिलेगा, तब तक न तो देश की पैदावार बढ़ेगी, न ही मूल्य स्थिर होंगे।'

-पंडित दीनदयाल उपाध्याय

भारतीय जनसंघ के महामंत्री और बाद में अध्यक्ष रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन दर्शन पर भारतीय जनता पार्टी को पूरा भरोसा है। इसीलिए किसानों के हर मुमकिन विकास के लिए केंद्र सरकार के साथ ही राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही हैं।

I. गुजरात

भूकंप ग्रस्त गुजरात में जब माननीय नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री का दायित्व संभाला तो उनके सामने बड़ी चुनौतियाँ थीं। सूखा, तफ़ान एवं बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण विकास की राज्य में रफ्तार धीमी पड़ गयी थी। लेकिन श्री नरेन्द्र मोदी एवं उनकी टीम ने प्रशंसनीय कार्य करते हुए न केवल बिगड़े हुए हालात को सुधारा बल्कि विकास की नयी रफ्तार भी प्रदान की। जिसे गुजरात का विकास मॉडल कहा जाता है। इस गुजरात मॉडल का भी देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का एक हद तक श्रेय है। इस मॉडल में अर्थव्यवस्था के तीनों प्रमुख क्षेत्रों कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में समान रूप से फोकस किया गया। राज्य में कृषि महोत्सव जैसे वार्षिक आयोजनों से किसानों को उन्नत तकनीक एवं बाजार की संभावनाओं का ज्ञान अर्जित हुआ है। राज्य सरकार ने उत्पादकता बढ़ाने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है

एवं भूमि की स्थिति पर वैज्ञानिक आधार पर परीक्षण कर कार्ड बनाये जाते है। पशुपालन का भी राज्य सरकार की प्राथमिकता में अहम स्थान रहा है।

राज्य सरकार की कुछ प्रमुख योजनाएँ

सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई (SAUNI) योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन के बाद शुरू इस इस योजना के तहत बाँधों को पाइपलाइनों के जरिए एक दूसरे से जोड़ा गया है। पहले चरण में 10 बाँधों को जोड़कर एक पाइपलाइन नेटवर्क बनाया जाएगा। 2019 तक इस प्रोजेक्ट के पूरा होने की उम्मीद है। अनुमान है कि इस योजना के कंप्लीट होने पर करीब सवा 10 लाख एकड़ जमीन पर सिंचाई सुविधा दी जा सकेगी।

सुजलाम सुफलाम योजना

राज्य सरकार की यह बेहद महत्त्वाकांक्षी योजना है। इसे खासकर उत्तर गुजरात के लिए बनाया गया है। जो श्रेष्ठ जल व्यवस्थापन का अद्भुत उदाहरण है। इसके तहत सिंचाई और पीने के पानी के लिए नदियों को आंतरिक रूप से जोड़ा गया है। नर्मदा मुख्य नहर में से उत्तर गुजरात की विभिन्न नदियों से छोड़ा जाता है। इसमें नर्मदा मुख्य नहर आधारित 9 उदवहन पाइप लाइनों के साथ पाटन, बनासकांठा, मेहसाणा, साबरकांठा और गाँधीनगर जिले के कुल 174 तालाबों और सुजलाम सुफलाम स्प्रेंडिंग नहर द्वारा 36 सहित 210 तालाबों को जोड़ा गया है।

किसानों के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज ऋण योजना

राज्य सरकार ने राज्य के किसानों के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज ऋण योजना शुरू की है। इसके तहत, राज्य सरकार किसानों को शून्य प्रतिशत यानी बिना किसी ब्याज दर के ऋण प्रदान करेगी। इसके तहत तीन लाख रुपये तक की राशि प्रदान की जाएगी। यह योजना गुजरात

के गाँधीनगर में गौरव महासम्मेलन में राज्य सरकार द्वारा 16 अक्टूबर, 2017 को घोषित की गई थी। इसके पहले से ही राज्य सरकार एक प्रतिशत के प्रभावी ब्याज दर पर तीन लाख रूपये का ऋण दे रही थी। हालांकि इसके पहले यह दर पहले सात प्रतिशत और फिर बाद में तीन प्रतिशत कर दी गई है। मौजूदा केंद्र सरकार तीन प्रतिशत के ब्याज दर से किसानों को कर्ज देने की योजना चला रही है। जबकि गुजरात सरकार पहले से ही एक प्रतिशत की ब्याज दर पर किसानों को कर्ज दे रही थी, अब वह भी घटा कर शून्य प्रतिशत कर दिया गया है।

इस योजना से राज्य के करीब 25 लाख किसानों को फायदा होगा। 600-650 रूपये के बाजार मूल्य के मुकाबले राज्य सरकार मूंगफली 900 रुपये प्रति 20 किलोग्राम की दर से मूंगफली खरीद रही है।

बजट में किसानों का विशेष ध्यान

गुजरात विधानसभा में 20 फरवरी को 2018-19 के लिए पेश बजट में कोई अतिरिक्त कर नहीं है। 1.83 लाख करोड़ रुपये के बजट में किसानों के लिए 6755 करोड़ रुपये और पानी के लिए 3311 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पर्याप्त मात्रा में किसानों को उर्वरक प्रदान करने के लिए 28.50 करोड़ रुपये, ग्रामीण दूध उत्पादक सहकारी समितियों के लिए विभिन्न उपकरणों की खरीद और सब्सिडी वाले मवेशी प्रजनकों को भी सहायता प्रदान करने के लिए 36 करोड़ रुपये, राष्ट्र लाइव स्टॉक मिशन के लिए 34 करोड़ रुपये और मुख्यमंत्री नि:शुल्क पशु उपचार योजना के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही आधुनिक इंजन की खरीद पर मछुआरों के लिए नई योजना के तहत 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। नई मछली झील के निर्माण के लिए 3 करोड़ रुपये और मछुआरा परिवार समूह दुर्घटना सहायता योजना के लिए 60 लाख रुपये का बजट राज्य सरकार ने निर्धारित किया। इसके साथ ही युवाओं को स्वरोजगार

के अवसर प्रदान करने के लिए 12 दुग्ध पशु क्षेत्रों की स्थापना के लिए सरकार ने 3 लाख रुपए का अनुदान देने का भी ऐलान किया है।

II. हरियाणा

किसान आयोग का गठन

हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जहाँ किसानों के लिए किसान आयोग का गठन किया है। जिसे राज्य के किसानों की वास्तविक स्थिति पर अध्ययन रिपोर्ट पेश करनी है जो किसानों की समस्याओं, खेती में लगातार आ रही गिरावट आदि का अध्ययन करके किसानों के हित में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी। जिसके बाद सरकार किसान हित में फैसला लेगी।

सब्जियों के लिए भावांतर योजना

हरियाणा सरकार ने फसलों की कीमतों में कमी को कवर करने और किसानों के घाटे की भरपाई के लिए भावान्तर भरपाई योजना शुरू की है। यह योजना सुनिश्चित करेगी कि सब्जी के लिए आधार मूल्य (न्यूनतम समर्थन मूल्य) तय हो। योजना के तहत सरकार किसानों को मुआवजा (भरपाई) मुहैया कराएगी यदि वे अपनी सब्जियों को निश्चित कीमत से बाजार से कम कीमत हासिल करते हैं। इसमें आलू, टमाटर और प्याज जैसी सब्जियों को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत आने वाली सब्जियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर लिया है। इसके तहत फायदा लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

कृषि कर्ज की आसान व्यवस्था

कृषि उपकरणों की खरीद पर राज्य सरकार पहले से ही पचास प्रतिशत की छूट दे रही है। राज्य में एक लाख तक के कृषि कर्ज के लिए किसी भी तरह की सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही राज्य सरकार सात प्रतिशत की दर पर किसानों को कर्ज दे रही है।

इसके अलावा किसानों को पचास हजार रूपए तक के लिए किसान क्रेडिट कार्ड दिए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय फसल बीमा योजना

इसके तहत हरियाणा सरकार अधिसूचित खाद्य फसलों, तिलहन, वार्षिक बागवानी और वाणिज्यिक फसलों के लिए बीमा सुरक्षा देती है। इसके तहत प्रीमियम दर नौ प्रतिशत से लेकर 11 प्रतिशत तक तय कर दी है। जबकि बागवानी और वाणिज्यिक फसलों के लिए यह दर 13 प्रतिशत है। प्रीमियम स्लैब पर निर्भर करने वाले सभी किसानों को प्रीमियम का 75 प्रतिशत तक अनुदान के मद में प्रदान किया जाता है।

III. उत्तर प्रदेश

दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश में बंजर/बीहड़/जल जमाव क्षेत्रों के उपचार एवं सुधार हेतु पं. दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना शुरू की है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या स्थिर गति से ही सही परन्तु लगातार बढ़ रही है। इस अनुपात में कृषि उत्पादकता में वृद्धि नहीं हो पा रही है। आवश्यकता इस बात की है कि जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में ही खाद्यान्न उत्पादन में भी वृद्धि हो। प्रति वर्ष 25-30 हजार हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि गैर-कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित हो रही है। इस वजह से बढ़ती हुई जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध कराना और भी मुश्किल हो जायेगा। इसी वजह से दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना के तहत कम उपजाऊ भूमि को सुधार कर अधिक उपजाऊ बनाने की तैयारी है। इसी सिलसिले में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बीहड़/बंजर/जलजमाव क्षेत्रों को सुधारने, कृषि मजदूरों को आवंटित भूमि का उपचार कराने तथा उन्हें आजीविका उपलब्ध कराने के लिए पं. दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना चलायी जानी है। योजना के तहत लाभार्थी के चयन में परियोजना क्षेत्र के

समस्त कृषक एवं कृषि श्रमिक पात्र होंगे। परियोजना का चयन जल समेट क्षेत्र के आधार पर किया जायेगा। इसके तहत उन क्षेत्रों को वरीयता दी जा रही है, जहाँ आवंटी अनुसूचित जाति/जन जाति का हो या लघु तथा सीमांत कृषक हो। कुल 171186 हेक्टेयर भूमि का उपचार या सुधार किया जाना है। योजना की समीक्षा और जांच के लिए राज्य स्तर पर कृषि उत्पादन आयुक्त, मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त, जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समितियाँ होंगी।

किसानों के कर्ज माफ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऋण माफी के जरिए बड़ी संख्या में ऐसे किसानों को राहत दी है, जिनकी मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। उत्तर प्रदेश के 1.5 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को कुल मिलाकर 36,359 करोड़ रुपये की ऋण माफी दी गई है जो किसी भी राज्य में दी गई अब तक की सबसे बड़ी माफी है। प्रत्येक किसान को 1 लाख रुपये की ऋण माफी दी गई है, लेकिन इसमें सहकारी बैंकों सहित किसी भी बैंक से लिए गए समस्ता ऋण शामिल हैं। इस योजना के तहत ऐसे ऋणों को माफ किया जा रहा है जिनका वास्ता धान, गेहूँ, उर्वरकों और कीटनाशकों से है। वहीं, दूसरी ओर उपभोग हेतु लिए गए ऋणों को माफ नहीं किया गया है। इसके तहत केवल उन्हीं ऋणों पर विचार किया जाएगा जो 31 मार्च 2016 से पहले लिए गए हैं। किसानों की कर्ज माफी के इस फैसले से राज्य सरकार के खजाने पर करीब 36,359 करोड़ रुपये बोझ आएगा। इनमें से 5,630 करोड़ रुपये का कर्ज जो गैर-निष्पादित अस्तियां (एनपीए) बन गया है, वह तत्काल माफ होगा। इससे प्रदेश के 2.15 करोड़ से ज्यादा किसानों को लाभ मिलेगा। हालांकि कर्ज माफी की अधिकतम सीमा एक लाख रुपये रखी गई है।

गाँव-किसान केंद्रित बजट

उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने साल 2018-19 के लिए किसान और गाँव केंद्रित बजट पेश किया है। इसके तहत किसानों को खाद के लिए 100 करोड़ रुपए का जहाँ प्रावधान किया गया, वहीं गेहूँ खरीद के लिए 5500 केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही सिंचाई के मद में सरयू नहर परियोजना के लिए 1 हजार 614 करोड़ रुपये का बजट का प्रावधान किया गया। वहीं पंचायती राज स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 5000 हजार करोड़ रूपए की व्यवस्था की गई है। इस बजट में अर्जुन सहायक परियोजना हेतु 741 करोड़ का के साथ ही मध्य गंगा नहर परियोजना हेतु 1701 करोड रुपए का आवंटन किया गया है। वहीं नहर सिंचाई परियोजना हेतु 500 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया तो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हेतु 1 हजार 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी तरह इस बजट में राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हेतु 120 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।

IV. उत्तराखंड

पंडित दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना

उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने राज्य के छोटे और सीमांत किसानों के लिए 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना' शुरूआत की है। यह एक कृषि ऋण योजना है जो कि राज्य के किसानों को 2% की ब्याज दर पर 1 लाख रुपये तक की राशि प्रदान करेगी। सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सहकरिता किसान कल्याण योजना की घोषणा राज्य के 18 वें स्थापना दिवस 9 नवंबर 2017 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने की थी। इस योजना के तहत पात्र

किसान 3 वर्षों की अवधि के भीतर ऋण वापस कर सकते हैं। ऋण राशि का भुगतान न करने पर एक वर्ष के बाद लिए किसान पर कंपाउंडिंग चॉर्ज लगाया जाएगा। यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ पहाड़ियों को छोड़ने के लिए मजबूर किसानों को भी मदद करेगी। यह कृषि ऋण योजना किसानों की वित्तीय स्थिति को भी सुधारने में मदद करेगी। राज्य सरकार चेक के माध्यम से ऋण राशि को वितरित करने के लिए कई शिविरों का आयोजन करेगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सीमांत किसानों को सस्ती ब्याज दरों पर 1 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करना है। किसानों को डाइरेक्ट ट्रांस्फर स्कीम के माध्यम से इस योजना का लाभ मिलेगा। यह योजना केंद्र सरकार के 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के दृष्टिकोण को पूरा करेगी। इस योजना के माध्यम से, इच्छुक किसान ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे-छोटे कृषि आधारित इकाइयाँ स्थापित कर आजीविका के विकल्पों में सुधार कर सकते है।

V. मध्य प्रदेश

भावांतर योजना

मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से बाजार में कम कीमत मिलने की स्थिति में उनके घाटे को पूरा करने के लिए भावांतर योजना शुरू की है। किसानों के हित में शुरू हुए इस कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश में किसानों को बाजार मूल्य से उपज के लिए हो रहे घाटे को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही पिछले साल मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के प्याज उत्पादकों को बाजार मूल्य पर बिक्री से हो रहे घाटे को पाटने के लिए खुद प्याज की खरीददारी की थी। उसके जरिए किसानों को राहत देने की कोशिश की गई थी।

मुख्यमंत्री कृषि उत्पादकता प्रोत्साहन योजना

इसके तहत राज्य में किसानों को धान और गेहूँ पर दो सौ रूपए प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके साथ ही 150 कृषि उपज मंडियों में प्रदेश तथा बाहर की मंडियों की दरों को प्राइस ट्रेकर के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। 50 कृषि उपज मंडियों में ग्रेडिंग एवं पैकेजिंग प्लांट लगाए जाएंगे। 25 कृषि उपज मंडियों में कलर सोर्ट्रेक्स प्लांट लगाए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के सदस्यों के कालातीत बकाया ऋणों की समाधान योजना लागू होगी। फिलहाल 4523 समितियों में यह व्यवस्था होगी। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा खरीफ 2017 में वितरित अल्पकालीन फसल ऋण की देय तिथि 28 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल की जाएगी।

रूपे कार्ड की सहायता

सहकारी क्षेत्र के सदस्य किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड को रूपे कार्ड में बदला जाएगा। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में माइक्रो एटीएम मशीन स्थापित की जाएगी। पशुपालकों को पशुपालन से संबंधित गतिविधियों के लिए पशुपालन क्रेडिट कार्ड प्रदान किए जाएंगे।

आचार्य विद्यासागर गौ-संवर्धन योजना

इसके तहत पहले 1500 हितग्राहियों को फायदा मिलता था, लेकिन अब प्रतिवर्ष 15 हजार हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा। राज्य में बटाईदार किसानों को भी सभी योजनाओं का लाभ राज्य में दिया जा रहा है। खुद ट्रांसफार्मर गाँव में लाने पर किसानों को ट्रांसफार्मर का किराया नहीं लगेगा। ट्रांसफार्मर कनेक्शन पर ब्याज नहीं लगेगा। तीन महीने में ट्रांसफार्मर जल गया हो, तो चार्ज नहीं लगेगा। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए अब डिफाल्टर किसानों को भी कर्ज मिलेगा।

किसानों को बिना ब्याज के कर्ज का ऐलान

कर्ज न चुका पाने वाले किसानों को फिर से शून्य प्रतिशत ब्याज पर कर्ज मिलेगा। बकाया ब्याज सरकार की ओर से दिया जाएगा। मूलधन को किसान दो किस्तों में जमा करेंगे। एक किस्त चुकाने के तत्काल बाद उन्हें दूसरा कर्ज मिल सकेगा। सरकार किसानों के हित में 2600 करोड़ रुपये से ज्यादा का ब्याज भरेगी।

VI. छत्तीसगढ़

किसानों को ब्याजमुक्त कर्ज

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों के लिए सहकारी समितियों में ब्याज मुफ्त ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके कृषक जीवन ज्योति योजना के तहत किसानों को हर साल बिजली नि:शुल्क दी जा रही है। इस योजना के तहत 3 हॉर्स पावर पर 6000 यूनिट और 3 से 5 हॉर्स पावर पर 7500 यूनिट बिजली सिंचाई पम्पों के लिए दी जाएगी। राज्य सरकार ने समर्थन मूल्य नीति के तहत किसानों को धान खरीदी की कंप्यूटरीकृत पारदर्शी व्यवस्था की है। राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत साल 2016 में राज्य के करीब 13.66 लाख किसान शामिल हुए, जिनमें से 12 लाख 9 हजार ऋणी और 1 लाख 56 हजार अऋणी किसान हैं। राज्य में 32 लाख से ज्यादा किसानों के खेतों की मिट्टी की जाँच और स्वॉयल हेल्थ कार्ड का वितरण किया जा चुका है। राज्य सरकार शाकम्भरी योजना के तहत किसानों को खेती के लिए कुआं निर्माण पर 50 प्रतिशत और सिंचाई पंप की खरीद पर 75 प्रतिशत अनुदान दे रही है। सरकार किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत सभी वर्ग के किसानों को अनुदान दे रही है। इसके तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को जहाँ 43000 रुपये वहीं पिछड़ा वर्ग के किसानों को 35000 और सामान्य वर्ग के किसान को 25000 रुपये का अनुदान दे रही है।

किसान केंद्रित बजट

छत्तीसगढ़ सरकार ने साल 2018 के बजट में कृषि के लिए 4,452 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये पिछले साल के मुकाबले अधिक है। रमन सिंह ने कहा कि सरकार ने 14 सालों में किसानों की प्राकृतिक संकट में भरपूर मदद की है। प्रधानमंत्री फसल बीमा प्रीमियम के लिए 136 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। कृषि की समृद्धता को बढ़ाने के लिए सौदा मंडियों को कंप्यूटरीकृत किया गया है। बजट में सिंचाई योजना के लिए अलग-अलग प्रावधान रखा गया है। इस बजट में सिंचाई के लिए 91 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, वहीं कृषि क्षेत्र के लिए 13,480 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसके साथ ही राज्य में पशु एंबुलेंस शुरू करने की घोषणा की गई है। बजट में फसलों की क्षति के लिए 533 करोड़ रुपए के साथ ही गन्ना किसानों को 40 करोड़ रुपए का बोनस का भी ऐलान किया गया है।

VII. राजस्थान

राजस्थान सरकार जल प्रबंधन के लिए व्यक्तिगत लाभार्थी कृषक योजना के किसान द्वारा न्यूनतम चार लाख लीटर एवं इससे अधिक क्षमता की पक्की डिग्गी निर्माण करने पर लागत की 50% राशि (रु. 350 प्रति घन मीटर भराव क्षमता की दर से) तथा प्लास्टिक लाइनिंग (कच्ची) डिग्गी पर लागत की 50% (राशि रु. 100 प्रति घन मीटर भराव क्षमता की दर से) अथवा अधिकतम रु. 2 लाख जो भी कम हो, अनुदान दे रही है। इसी तरह खेतों में तालाब के निर्माण के लिए न्यूनतम 600 घन मीटर क्षमता की खेत तलाई निर्माण पर इकाई लागत का 50% अथवा अधिकतम राशि रु. 52,500 कच्चे फार्म पॉण्ड पर तथा राशि रु. 75000 प्लास्टिक लाइनिंग के साथ (300 माइक्रोन, बी.आई.एस. मापदण्ड) जो भी कम हो अनुदान देय है। राज्य में पाइपलाइन निर्माण में भी राज्य सरकार लागत का 50% या अधिकतम राशि रु. 50 प्रति

मीटर एच.डी.पी.ई. पाइप या राशि रु. 35 प्रति मीटर पीवीसी पाइप या राशि रु. 20 प्रति एच.डी.पी.ई. लेमिनेटेड ले-प्लैट ट्यूब पाइप या अधिकतम राशि रु. 15000 अनुपातिक रूप से, जो भी कम हो, अनुदान दे रही है।

तकनीकी और अन्य सहायता

राज्य सरकार किसानों को तकनीकी जानकारी से रूबरू कराने के लिए अन्तर्गत राज्य के बाहर व राज्य में कृषक भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं, जो 5-7 दिन का होता है। जिसमें 40-50 किसान हिस्सा लेते हैं। इसके साथ कृषि विषय लेकर 10+2 (सीनियर सेकेण्डरी) कृषि, स्नातक एवं स्नातकोत्तर कृषि तथा पीएचडी में अध्ययन करने वाली छात्राओं को क्रमशः 5000, 12000 तथा 15000 रूपये प्रति छात्र प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि राज्य योजना के अंतर्गत दी जा रही है। वृक्ष जनित तिलहन के पौधारोपण हेतु नीम पर प्रति हेक्टेयर रु. 17000, जोजोबा पर रु. 35000, जेट्रोफा पर रु. 41000 एवं जैतून पर रु. 48000 प्रति हेक्टेयर का अनुदान राज्य सरकार दे रही है। इनके संरक्षण के लिए नीम, करंज एवं महुआ के लिए दूसरे वर्ष 2000 तथा जोजोबा, जैतून एवं जेट्रोफा के लिए रु. 3200 प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष अनुदान देय है। जिप्सम वितरण कार्यक्रम क्षारीय भूमि सुधार योजना के तहत जिप्सम का उपयोग मृदा सुधारक के रूप में मिट्टी की जाँच रिपोर्ट में जिप्सम की आवश्यक मात्र (जी.आर.वेल्यू.) के अनुसार अधिकतम 5 मीट्रिक टन प्रति हेक्टयर प्रति कृषक अधिकतम 2 हेक्टेयर तक अनुदान दिया जा रहा है।

परंपरागत कृषि विकास योजना

इसके तहत पर्यावरण व उपभोक्ता के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कृषि में रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग को कम करने हेतु जैविक खेती गतिविधियों के लिए सहायता दी जा रही

है। योजना क्लस्टर (50 एकड़ क्षेत्र) आधारित है। योजना के अन्तर्गत जैविक बीज, वर्मी कम्पोस्ट इकाई, रिकार्ड संधारण, मृदा नमूना, संग्रहण एवं जाँच भूमि का जैविक परिवर्तन, तरल जीव उर्वरक, जीव कीटनाशी, नीम खली, कृषक प्रशिक्षण, ढेंचा/सनई प्रयोग, वानस्पतिक काढ़ा इकाई एवं परिवहन सुविधा आदि गतिविधियों हेतु कृषकों को तीन वर्ष की अवधि तक अनुदान सहायता देय है।

राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन (एन.एम.एस.ए.)

यह योजना वर्षा आधारित क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही हैं। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि से अधिक उत्पादन प्राप्त करना तथा टिकाऊ खेती पर जोर देना हैं। यह मिशन प्राकृतिक जल स्त्रोतों, मृदा संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन एवं कृषक की क्षमता बढ़ाने पर केंद्रित हैं। जिसके तहत उद्यान के आधारित कृषि पद्धति की लागत का 50% अथवा अधिकतम रु. 25,000 प्रति हेक्टेयर अनुदान देने का प्रावधान है। पेड़ आधारित कृषि पद्धति हेतु लागत का 50% अथवा अधिकतम रु. 15,000 प्रति हेक्टेयर अनुदान देय है। पशुपालन आधारित कृषि पद्धति के तहत गाय/भैंस/डेयरी हेतु कीमत का 50% अथवा अधिकतम रु. 40,000 प्रति हेक्टेयर अनुदान देय है। इसी तरह बकरी/भेड़/मुर्गी/बत्तख आधारित पद्धति में पशु/मुर्गी की कीमत का 50% अथवा अधिकतम रु. 25,000 प्रति हेक्टेयर अनुदान देय है।

किसानों का कर्ज माफ

राजस्थान सरकार ने तीस सितंबर 2018 तक के किसानों के पचास हजार रूपए तक के कर्ज माफ करने की घोषणा भी की है। इसके तहत राज्य सरकार का करीब बीस हजार करोड़ रूपए का खर्च आने का अनुमान है। इसके साथ ही राज्य सरकार साठ साल से ज्यादा उम्र वाले किसानों को दो हजार रूपए प्रति महीने पेंशन देने पर भी विचार कर रही है।

VII. महाराष्ट्र

किसानों का कर्ज माफ

महाराष्ट्र सरकार ने कर्ज माफी योजना के पात्र किसानों के नाम ऑनलाइन जारी किए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने प्रदेश में गरीब किसानों का 1 लाख 50 हजार तक का कर्ज माफ कर दिया है। इससे करीब 90 प्रतिशत किसानों को लाभ प्राप्त होगा। महाराष्ट्र किसान कर्ज माफी सूची 2017 योजना का लाभ छत्रपति शिवाजी महाराज कृषि सम्मान के अंतर्गत दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसके साथ ही नियमित रूप से कर्ज का भुगतान करने वाले किसानों को 25 प्रतिशत रिटर्न भी दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने करीब 34 हजार करोड़ रूपए की राशि जारी की है। महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या के मामलों को देखते हुए इस कदम को राज्य सरकार ने उठाया है। इसके तहत फायदा पाने वाले किसानों की जिला स्तर पर महाराष्ट्र किसान कर्ज माफी सूची 2017 जारी की है। इस सूची में महाराष्ट्र सरकार ने उन किसानों के नाम जारी किए हैं, जिनका इस योजना के अंतर्गत कर्ज माफ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत कर्ज माफी के लिए आवेदन करने वाले किसान अपना नाम अपने जिले की सूची में चेक कर सकते हैं।

भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए ये महत्त्वपूर्ण कदम हैं, जिन्हें किसानों के हित के लिए उठाया गया है। ये कदम उन योजनाओं के अलावा हैं, जो स्थानीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की हर सरकार अपने तरह से लागू कर रही है और जारी रखे हुए है। इसमें बागवानी, मात्स्यिकी और पशुपालन से जुड़ी योजनाओं के साथ ही कृषि उत्पादन, गन्ना खरीद, दलहन खरीद और तिलहन खरीद की भी योजनाएँ हैं।

❍

12. किसानों के लिए केंद्र सरकार की योजनाएँ

'मीडिया सलाहकार, आकाशवाणी समाचार किसानों और गाँवों की स्थिति में बदलाव लाना भारत सरकार की प्राथमिकता है। परम्परागत कृषि के साथ आधुनिक तकनीक का उपयोग कर किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर बनायी जायेगी। डिजिटल इंडिया का फायदा किसानों को दिलवाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं।'

-नरेंद्र मोदी

कृषि प्रधान देश में जब तक किसान सुखी नहीं रहेगा, उसके दुख-दर्द को देखा-समझा नहीं जाएगा, तब तक देश सुखी नहीं रह सकता। यह बात भारतीय संस्कृति और परंपरा में आस्था रखने वाली भारतीय जनता पार्टी बखूबी समझती है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अन्नदाता को ही भारत का असली भाग्य विधाता मानते हैं। प्रधानमंत्री का साफतौर पर मानना है कि बिना खेती-किसानी का विस्तार किए ना सिर्फ गाँवों, बल्कि देश की समृद्धि की मजबूत बुनियाद नहीं रखी जा सकती। यही वजह है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले तीन साल में सरकार ने किसानों के लिए कई ऐसी योजनाएँ शुरू की हैं, जिनका फायदा सीधे तौर पर किसानों को मिल सके। उनकी दृष्टि ही है कि उन्होंने कृषि मंत्रालय को किसानों के कल्याण से जोड़ने के लिए सीधे इस मंत्रालय का नाम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय कर दिया है। इसका मतलब यह कि कृषि मंत्रालय खेती-किसानी के विकास के साथ ही किसानों के कल्याण के लिए सही मायने में काम कर सके। उन्होंने ऐसा करके एक तरह आजादी के दिनों से ही कृषि को लेकर चली आ रही सोच को ही बदलने की कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री का मानना है कि जब तक खेती-किसानी को लेकर सरकार की सोच नहीं बदलेगी,

सरकारी तंत्र का नजरिया नहीं बदलेगा, तब तक किसानों को जमीनी स्तर पर सही मायने में फायदा नहीं मिल सकेगा और न ही भारत की शस्य संस्कृति के गौरव को लौटाया जा सकेगा।

I. 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य

प्रधानमंत्री नरेंद्र मेदी ने लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान ही देश से वादा किया था कि साल 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के प्रयास किए जाएंगे। इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने पहले ही दिन से काम करना शुरू किया है। निश्चित तौर पर इस दिशा में नोडल मंत्रालय होने के चलते कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय अपनी योजनाओं के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। मंत्रालय ने इसके तहत नई तकनीक की खोज के साथ ही उसके इस्तेमाल को बढ़ाने, फसल चक्र में बदलाव लाने और मौसम के मुताबिक कम लागत में उचित फसल की खेती करने की जानकारी देने की दिशा में काम करने की शुरूआत की है। जिसका फायदा जमीनी स्तर पर दिख रहा है। सरकार का चूंकि लक्ष्य है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी की जाए। इस लिहाज से सरकार ने कई बुनियादी योजनाएँ लागू की हैं, जिनके जरिए खेती-किसानी में जमीनी स्तर पर फायदा नजर आ रहा है। सॉइल हेल्थ कार्ड (मृदा स्वास्थ्य कार्ड), फसल बीमा योजना, ई-नाम, जैविक खेती, नीम कोटिंग यूरिया, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना और पशु-धन की योजनाओं के जरिए खेती को फायदेमंद काम में बदलने की दिशा में लगातार बड़ा काम हो रहा है।

II. मिट्टी की सेहत के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड

खेती की जमीन की उर्वरा शक्ति को बनाए और बढ़ाए रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने फसलों के अनुसार सॉइल हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत की है। इसकी मदद से किसान अपनी भूमि पर उचित मात्रा में उर्वरकों का उपयोग करके अच्छी पैदावार

बनाये रखने में सफल हो सकें। अभी तक 6.5 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिये जा चुके हैं। यह योजना स्थाई आधार पर विशिष्ट फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए पेश की गई है। इसके तहत देश के सभी 14 करोड़ भूमि खातों को जोड़ा जा रहा है। सरकार ने तीन वर्ष के चक्र में करीब 248 लाख नमूनों के विश्लेषण का लक्ष्य रखा था। जिस पर तेजी से काम हो रहा है। इस योजना के जरिए किसकी भूमि को किस तरह के उर्वरक की जरूरत है या कितने पानी में कौन सी फसल उगाई जा सकती है, इसकी जानकारी संबंधित किसान को दी जा रही है। इससे देश की खेती को बदला जा रहा है।

III. न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि

सरकार को पता है कि जब तक किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य नहीं मिलेगा, तब तक उन्हें खेती का उचित फायदा नहीं मिल पाएगा। फसली पैदावार के मार्फत किसानों की आय को बेहतर करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में सरकार ने अच्छी खासी बढ़ोत्तरी की है। सरकार ने इसी सोच के तहत जहाँ 2016-17 में अरहर के समर्थन मूल्य को 4,625 रुपये से बढ़ाकर 5,050 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया, वहीं उड़द का समर्थन मूल्य 4, 625 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति क्विंटल और मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,850 रुपये से बढ़ाकर 5,250 रुपये तक कर दिया गया।

'देश के इतिहास में पहली बार किसानों की भलाई के लिये नई फसल बीमा योजना बनायी गई है। यदि किसान इस योजना से जुड़ गये तो कोई भी प्राकृतिक आपदा डरा नहीं पायेगी।'

-नरेंद्र मोदी

IV. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

अतीत में किसानों को प्राकृतिक आपदा आदि से नुकसान होने के बाद कुछ ही हासिल नहीं होता था। इससे किसान की कमर ही टूट

जाती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों को इससे बचाने के लिए फसल बीमा योजना लागू की, जिसमें बेहद कम प्रीमियम पर अधिकतम बीमा का लाभ मिलता है। इस योजना में सभी फसलें, तिलहन आदि के साथ ही साग सब्जी का सालाना या व्यावसायिक बीमा होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले की योजनाओं में सिर्फ कुछ फसलों और तिलहन का ही बीमा होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। नए नियमों के मुताबिक जहाँ खरीफ की सभी फसलों और तिलहन के लिए अधिकतम 2 प्रतिशत एवं 1.5 प्रतिशत की दर से बीमा होता है, वहीं रबी की फसलों और तिलहन के साथ ही व्यावसायिक फसलों और फल व सब्जियों के लिए 5 प्रतिशत का वार्षिक प्रीमियम पर बीमा होता है। दिलचस्प यह है कि चूंकि कृषि राज्य सूची का विषय है, इसलिए सरकार ने इस कार्यक्रम में राज्यों को भी जोड़ा है और प्रीमियम की बाकी राशि का भुगतान केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकारें भी भरती हैं और उसमें उनकी हिस्सेदारी बराबर-बराबर की होती है। हाल में हुई बेमौसम बारिश को देखते हुए केंद्र सरकार ने तेजी से कार्रवाई करते हुए फैसला किया कि यदि 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसल नष्ट हुई है तो किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। इससे पहले किसानों को मुआवजा तभी मिलता था, जब प्राकृतिक आपदा, बेमौसम बरसात आदि से पचास फीसद या उससे ज्यादा नुकसान होता था।

V. गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान

उत्तरी भारत के राज्यों के गन्ना उत्पादक किसानों का कई सालों से चीनी मिल मालिकों के ऊपर बकाया था, जिससे किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। किसानों का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 4,305 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद दी गयी, जिससे 32 लाख किसानों को फायदा हुआ। इस तरह से 2014-15 के 99.33 प्रतिशत और 2015-16 के 98.21 प्रतिशत

किसानों को अपना बकाया रुपया वापस मिल चुका है।

VI. धान की खरीद में लेवी प्रणाली

किसानों के हित में सरकार ने सबसे बड़ा फैसला लेते हुए धान की खरीद में लेवी प्रणाली को खत्म कर दिया, जिससे किसान अब अपनी उपज सीधे सरकारी केन्द्रों पर बेच सकते हैं जहाँ पर उन्हें धान की अच्छी कीमत मिलती है।

VII. नीम कोटिंग यूरिया से कालाबाजारी पर रोक

घरेलू उत्पादन और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने नई यूरिया नीति की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने सरकार बनाने के पहले ही वादा किया था कि यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए बंद पड़े गोरखपुर, बरौनी तथा तलचर के खाद कारखानों का उद्धार किया जाएगा। जिसे अब पूरा कर लिया गया है और तीनों खाद कारखाने पुनरोद्धार के बाद खाद उत्पादन का कार्य शुरू कर चुके हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने अपने अनूठे प्रयास से खेती के लिए यूरिया की कमी को खत्म कर दिया। पहले यूरिया के लिए लंबी लाइनें लगाने के बावजूद किसानों को यूरिया नहीं मिल पाता था। सब्सिडी पर मिलने वाली यूरिया को कालाबाजारी औद्योगिक इकाइयों को बेच देते थे। मोदी सरकार ने यूरिया पर नीम कोटिंग को अनिवार्य बनाकर इसकी कालाबाजारी को खत्म कर दिया है। अब किसानों को समय पर पर्याप्त मात्र में यूरिया मिलती है।

भारतीय कृषि में अगली क्रांति प्रौद्योगिकी और आधुनिकीकरण का उपयोग करते हुए लानी होगी।

-नरेंद्र मोदी

VIII. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और ग्राम ज्योति योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू ग्राम ज्योति योजना का

लक्ष्य बिना कटौती के बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है। जिससे ना सिर्फ कृषि उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि खेती-किसानी के सहयोगी कुटीर उद्योगों और शिक्षा सहित इसका किसानों के पूरे जीवन पर भी भारी असर होगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के मार्फत सिंचाई की सुविधाएँ सुनिश्चित कर उपज को बढ़ाने की कोशिश में सरकार जुटी हुई है। इस योजना का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक खेत को किसी ना किसी तरह की सुरक्षात्मक सिंचाई का साधन मिले। किसानों को सिंचाई के आधुनिक तरीकों के बारे में शिक्षित किया जा रहा है ताकि पानी की 'प्रत्येक बूंद के बदले अधिक पैदावार' मिले। इस योजना ने खेती के लिए पानी की समस्या का समाधान किया है। इस योजना से 28.5 लाख हेक्टेयर खेत में पानी पहुँचा है। इस प्रकार 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' यानी हर बूंद से ज्यादा फसल योजना लागू की गई है। जिसके तहत 15.86 लाख हेक्टेयर खेतों को सिंचाई के अन्तर्गत 2016-17 में लाया गया है।

IX. किसानों के लिए आर्थिक योजनाएँ

आसानी से और रियायती दरों पर कर्ज उपलब्ध कराने के लिए कृषि ऋण लक्ष्यों को बढ़ाकर केंद्र सरकार ने 8.5 लाख करोड़ रुपये कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपये के कॉर्पस वाले मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना की है। इसके जरिए जल्दी खराब होने वाली कृषि और बागवानी फसलों की कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों को सस्ता कर्ज मुहैया कराने के एक प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके तहत अब किसानों को सिर्फ चार प्रतिशत ब्याज दर पर कर्ज मिलेगा। अब तक यह नौ प्रतिशत ब्याज दर पर मिलता था। इसके तहत मिलने वाले कर्ज की अधिकतम सीमा तीन लाख रखी गई है। दरअसल सरकार बैंकों को पहले की तरह किसानों को मिलने वाले कर्ज के लिए नौ प्रतिशत की ब्याज दर से ही भुगतान करेगी। जिनमें से

किसानों को सिर्फ चार प्रतिशत की दर से ही ब्याज देना पड़ेगा। जबकि पाँच प्रतिशत का ब्याज सरकार चुकाएगी। सरकार ने साल 2017-18 के लिए इस कर्ज के ब्याज पर सब्सिडी के रूप में 20,339 करोड़ रुपये के कुल खर्च को मंजूरी दी है।

खेती के लिए दिए जाने वाले कर्ज के लिए अपनी निजी निधि का इस्तेमाल करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वित्तपोषण के लिए नाबार्ड को ब्याज अनुदान दिया जाएगा। ब्याज अनुदान योजना 1 वर्ष के लिए जारी की गई है। जिसे नाबार्ड तथा भारतीय रिजर्व बैंक कार्यान्वित कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की इस योजना का उद्देश्य देश में कृषि उत्पादकता और उत्पादन पर जोर देने के लिए किफायती दर पर लघुकालिक फसल ऋण के लिए कृषि ऋण उपलब्ध कराना है।

X. डिजिटल इंडिया की पहलः ''ई-नाम''

सरकार ने किसानों के फसल उत्पादन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए तो योजनाएँ लागू की हैं बल्कि उपज की सही कीमत मिल सके इसके लिए भी आधुनिक तरीके से मंडियों को विकसित किया है। ई-नाम के तहत देश की सभी कृषि मंडियों को एक दूसरे से जोड़ दिया गया है, जहाँ किसान अपनी उपज को बेच सकता है। ई-नाम पर 250 मंडियां जुडी हुई हैं, जिस पर 36.43 लाख किसान को सीधा फायदा हो रहा है। इनके अलावा 84,631 व्यापारी और 42,109 कमीशन एजेंट भी जुड़े हैं।

XI. कृषि में तकनीकी इस्तेमाल पर जोर

डब्ल्यूटीओ वार्ता में एनडीए सरकार के मजबूत और सैद्धान्तिक रुख ने खाद्य सुरक्षा मुहैया कराने में किसानों के दीर्घावधि हितों को सुरक्षित किया। तकनीक बड़े स्तर पर किसानों को ताकत दे रही है।

किसान पोर्टल के माध्यम से मौसम की रिपोर्ट से लेकर खाद की जानकारी, सबसे बढ़िया तौर-तरीकों आदि की जानकारी मिल रही है। कृषि में मोबाइल गवर्नेंस के उपयोग को प्रोत्साहित किया गया। एक करोड़ से अधिक किसानों को सचेत करने और सूचना देने के लिए 550 करोड़ से अधिक एसएमएस भेजे गए।

XII. जैविक खेती पर जोर

किसान समूहों को जैविक खेती के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत की गई। पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैविक खेती और जैविक उपज के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष योजना शुरू की गई हैं। जैविक उत्पादों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए सरकार जैविक खेती के विकास के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रही है। 2015 से 2018 तक 10000 समूहों के अन्तर्गत 5 लाख एकड़ क्षेत्र को जैविक खेती के दायरे में लाने का काम चल रहा है। अब तक राज्य सरकारें 7186 समूहों के माध्यम से 3.59 लाख एकड़ भूमि को जैविक खेती के दायरे में ला चुकी हैं। देश के उत्तरी पूर्वी राज्यों की भौगोलिक दशा को देखते हुए जैविक खेती पर विशेष बल दिया जा रहा है, जिसके लिए 2015 से 2018 तक 400 करोड़ की परियोजना चल रही है। 2015-17 तक 143.13 करोड़ रुपये दिये जा चुके हैं जिनसे 2016-17 तक 1975 समूहों के माध्यम से 39,969 किसान जैविक खेती का काम कर रहे हैं।

XIII. मत्स्य उत्पादन के लिए नीली क्रांति

देश में नीली क्रांति के जरिए किसानों को आय के अन्य स्रोत उपलब्ध कराने के संकल्प से केंद्र सरकार ने मत्स्य प्रबंधन और विकास के लिए पाँच साल के लिए 3000 करोड़ रुपये की योजना दी है। 15000 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र विकसित किया गया है। 2012-14 में मत्स्य उत्पादन जहाँ 186.12 लाख टन था, वहीं 2014-16 में 209.59 लाख टन हो गया।

XIV. राष्ट्रीय गोकुल मिशन

खेती और पशुपालन प्राचीन काल से ही एक-दूसरे के पूरक रहे हैं। लेकिन अतीत की सरकारों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन भारतीय संस्कृति में गहरी आस्था रखने वाली नरेंद्र मोदी सरकार ने पशुपालन पर भी विशेष ध्यान दिया है। सरकार ने पशुधन विकास को बढ़ावा देने के लिए गोकुल मिशन लांच किया है। जिसका उद्देश्य देश की पशुधन संपदा को संवर्धित करके किसानों की आर्थिक स्थिति को और अधिक मजबूत करना है। इस योजना के जरिए भारतीय नस्लों के पशुधन का जेनेटिक स्टॉक बनाना और उसे विकसित करने के साथ ही देश में दूध उत्पादन को बढ़ावा देना है। इस योजना में 14 गोकुल गाँव स्थापित किये गये हैं। 41 सांड़ केंद्रों का भी इस योजना के तहत आधुनिकीकरण किया गया है। इसका फायदा दिखने भी लगा है। देश में दूध उत्पादन करीब 15.5 करोड़ टन हो रहा है। पशुधन में विकास और पशुपालन में रोजगार देने की अपार संभावनाएँ हैं। इसे देखते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने इस क्षेत्र में युवाओं को शिक्षित और प्रशिक्षित करने के लिए पशुविज्ञान कॉलेजों की संख्या 36 से बढ़ाकर 52 तक कर दिया है। केंद्र सरकार के प्रयासों का ही असर है कि देश में साल 2013-14 में प्रति व्यक्ति जहाँ 307 ग्राम दूध उपलब्ध था, वहीं साल 2015-16 में यह बढ़कर 340 ग्राम हो गया।

XV. खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा

फल और सब्जियों में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, 254 मिलियन टन का उत्पादन करता है। चावल उत्पादन में भी भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। मत्स्य उत्पादन में भी भारत का स्थान विश्व में दूसरा है। अंडों के उत्पादन में तीसरे और मांस के उत्पादन में भारत पाँचवें स्थान पर है। इसलिए देश में खाद्य प्रसंस्करण की अपार संभावनाएँ हैं, जिन्हें देखते हुए मोदी सरकार ने पिछले सालों

में कई नीतिगत निर्णय लिये हैं जिनके परिणाम आशा के अनुसार आ रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश की छूट है। देश में खाद्य उत्पादों के उत्पादन और खुदरा बिक्री में भी 100 प्रतिशत विदेशी निवेश की छूट है। कई प्रकार के करों में भी छूट का प्रावधान किया गया है। जनवरी 2017 तक देश में 42 मेगा फूड पार्कों पर विभिन्न स्तरों पर काम चल रहा था। जनवरी 2017 तक 200 से कोल्ड चेन विकसित किये जा रहे थे।

XVI. किसानों के लिए खासतौर पर किसान चैनल

भारत को गाँवों का देश कहा जाता है। कहा जाता है कि गाँव को जाने बिना देश की आत्मा को नहीं समझा सकता। पंडित दीन दयाल उपाध्याय ने तो मंत्र ही दिया था, हर खेत को पानी और हर हाथ को काम। भारतीय जनता पार्टी अपने हर कदम में दीनदयाल जी के इस मंत्र को याद रखी है। इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों और खेतिहर मजदूरों की समस्याओं पर केंद्रित किसान चैनल की परिकल्पना की। इस तरह देश को किसान चैनल मिला, जिसकी शुरूआत 26 मई 2015 को हुई। 24 घंटे चलने वाला यह टेलीविजन चैनल आधुनिक कृषि तकनीक के प्रसार के साथ ही जल संरक्षण और जैविक खेती जैसे विषयों की जानकारी देने के साथ ही किसानों के लिए गाइड का काम कर रहा है।

XVII. कृषि मौसम विज्ञान सेवा की शुरुआत

मौसम विज्ञान से किसानों को मिलने वाली सीधी सूचनाओं से बहुत फायदा हुआ है। मौसम के बारे में किसानों को एसएमएस से मिलने वाली सूचना से हर दिन के काम को सही ढंग से करने में बड़ी मदद मिलती है। 2014 में 70 लाख किसानों तक एसएमएस के माध्यम से ये सूचनाएँ पहुँचती थीं वहीं आज 2 करोड़ 10 लाख किसानों तक सूचनाएँ पहुँच रहीं हैं।

❍

13. भावी योजनाएँः अगला कदम

भारत में खेती की स्थिति कमाल की है। राजनीति में इसका जितना ऊँचा स्थान है, नीति-निर्माण में इसे उतना ही नजरअंदाज किया गया है। आजीविका के लिहाज से यह जितनी व्यापक है, अर्थव्यवस्था में योगदान के लिहाज से इसका स्थान उतना ही गौण है। इस विरोधाभासी स्थिति का ही नतीजा है किसान से करीबी का दावा करने वाले नेताओं और मंत्रियों से भरे इस देश में आजादी के 70 साल बाद भी जब खेती का जिक्र आता है, तब किसानों की आत्महत्या सबसे बड़ा मुद्दा बन जाती है।

I. खेती की कीमत पर औद्योगीकरण को बढ़ावा

दरअसल इस विरोधाभास की कहानी आजादी के तुरंत बाद ही शुरू हो गई थी। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में उस समय उद्योगों को आधुनिक भारत का मंदिर करार दिया था, जब देश की तीन-चौथाई से ज्यादा आबादी आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर थी। यह महज एक जुमला नहीं था, बल्कि आने वाले दशकों में भारत की सरकारों के नीतिगत फोकस का एक स्टेटमेंट था। नतीजा यह हुआ कि किसानों के बेटों से भरी सरकारों में किसान कभी सरकारी नीतियों के केंद्र में नहीं आ सका। कहते हैं भविष्य की इमारत यदि अतीत की नींव पर खड़ी की जाए, तो वह भव्य होने के साथ मजबूत भी होती है। अतीत की नींव पर रखने का मतलब अतीत का सही विश्लेषण कर उसके सकारात्मक पक्षों को नींव में समाहित करना और नकारात्मक व अधोगामी बातों को बाहर करना। इसलिए हम भारतीय कृषि के भविष्य का खांचा खींचने की तैयारी शुरू करें, इससे पहले स्वतंत्रता के बाद से अब तक की कृषि की स्थिति पर एक दृष्टि डालना उचित रहेगा।

II. उपज बढ़ती गई, खेती से आमदनी घटती गई

जब देश स्वतंत्रत हुआ, उस समय देश की कुल राष्ट्रीय आय का 50 प्रतिशत केवल कृषि से आता था और कुल जनसंख्या का 72 प्रतिशत अपनी आजीविका के लिए कृषि और उससे संबंधित कार्यों पर आश्रित था। बाद के करीब 6 दशकों में धीरे-धीरे बाकी सेक्टरों का विकास हुआ और 2007-08 तक राष्ट्रीय आय में कृषि की भागीदारी 18 प्रतिशत रह गई, लेकिन इस पर आश्रित जनसंख्या की हिस्सेदारी में केवल 12 प्रतिशत कमी आई। इस स्थिति का एक नतीजा खेतों के घटते रकबे के रूप में आया। 1970-71 में प्रति किसान औसत रकबा जो 2.30 हेक्टेयर का था, 2015-16 तक ठीक आधे पर यानी 1.15 हेक्टेयर पर आ गया। उस पर बेहद कम कृषि वृद्धि दर ने किसान को गरीबी के स्थाई दुष्चक्र में फंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 20वीं सदी के पहले 50 वर्षों में जहाँ कृषि वृद्धि की औसत दर 1 प्रतिशत रही थी, वहीं आजादी के बाद यह कुछ सुधर कर 2.6 प्रतिशत पर आई। हालांकि यदि महंगाई दर से इसकी तुलना करें, तो 1970 से 2010 के बीच यह औसत 7.99 प्रतिशत रही। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। आजादी के बाद के 70 सालों में देश ने अनाज उत्पादन में कई गुने की बढ़ोत्तरी की, खेतों की उत्पादकता भी अच्छी-खासी बढ़ी। सबसे ज्यादा उत्पादन वाले अनाज धान का उदाहरण ले लें, तो 1950 से 2014 के दौरान इसक उत्पादन 2 करोड़ टन से 10.6 करोड़ टन तक पहुँच गया और इस दौरान इसका उत्पादन प्रति हेक्टेयर 668 किलो से बढ़कर 2424 किलो तक पहुँच गया। कुछ इसी तरह की प्रगति गेहूँ और दूसरी उपजों में भी देखी गई।

III. खेती को मजबूत करने की जगह खेतों का शोषण

लेकिन फिर सवाल यही है कि आखिर चूक कहाँ हुई? क्यों बढ़ती महंगाई की तुलना में खेती से होने वाली आमदनी पीछे छूटती गई और

कैसे भारतीय किसान गरीबी के दलदल में धंसता गया? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आजादी के बाद आई अलग-अलग सरकारों की भारतीय कृषि के प्रति नीति और सोच को समझने की जरूरत है। स्वतंत्रता के बाद मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने, मानसून पर पूरी तरह आश्रित भारतीय खेतों तक पानी पहुँचाने, किसानों को उपज का सही भाव दिलाने, प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में किसानों को बरबाद होने से बचाने, किसानों को उत्तम गुणवत्ता के बीज उपलब्ध करवाने, उन तक कृषि क्षेत्र की आधुनिकतम शोध और जानकारियाँ पहुँचाने जैसे मूलभूत विषय न तो नीति-निर्माताओं की प्राथमिकता सूची में जगह पा सके और न ही देश की इंटेलिजेंसिया के बौद्धिक विचार-विर्मश का हिस्सा बन सके। यह स्थिति दो तरह से देश के लिए बेहद नुकसानदेह रही। पहली की चर्चा तो गाहे-बगाहे हम करते रहते हैं कि जब देश में आजादी के केवल ढाई दशकों के भीतर भीषण अन्न संकट आया, जिसके कारण देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को जय जवान-जय किसान के नारे के साथ हरित क्रांति की शुरुआत करनी पड़ी। लेकिन इसका दूसरा नतीजा यह हुआ कि खेती और इसलिए, पूरा ग्रामीण भारत विकास की दौड़ में पिछड़ गया। शहर विकास और रोजगार का केंद्र बन गए और गाँवों से शहरों की ओर पलायन शुरू हो गया। गाँव और खेती गरीबी का पर्याय बन गए। बहरहाल, हरित क्रांति की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं कि हरित क्रांति देश की अन्न सुरक्षा के लिहाज से मील का पत्थर साबित हुई। भारत ने अनाज के मामले में आत्मनिर्भर होने की दिशा में बड़ी छलांग लगाई। लेकिन हरित क्रांति की नींव में पड़ी सोच ने एक भयानक वातावरण को जन्म दिया।

IV. जमीन को माँ की जगह साधन मानने की ट्रेनिंग

यह सोच थी उपभोग केंद्रित व्यवस्था निर्माण की। हमने खेती को

केवल एक माध्यम यानी रिसोर्स के तौर पर चुना। पहले किसान जमीन को माँ मानता था। लेकिन उसे समझाया गया कि जमीन तो केवल साधन है, ज्यादा उपज पाने का, ज्यादा उत्पादन लेने का। साधन देश की भूख मिटाने का, साधन विदेशी मुद्रा बचाने का, साधन अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भरता पाने का और इस सोच के कारण ही खेत, मिट्टी, पानी और किसान, इस सबके दोहन से अधिकतम फायदे की प्रवृत्ति ने जन्म लिया। इन सबमें खेती, मिट्टी, किसान की भलाई और उन तमाम मुद्दों को कहीं जगह नहीं मिली, जिनका ऊपर जिक्र किया गया है। हरित क्रांति के बाद ज्यादा उत्पादन खेती का मूलमंत्र हो गया और खेती पूरी तरह रासायनिक खादों और कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग पर निर्भर हो गई। हालांकि बीजों पर अनुसंधान भी हुए और ज्यादा पैदावार देने वाले उन्नत किस्म के बीज आम किसानों तक पहुँचे, लेकिन उनमें भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बोलबाला होने से कुल मिलाकर खेती की लागत लगातार बढ़ती रही और फिर आई मशीनों की बारी। मिट्टी तैयार करने से लेकर, कुड़ाई, गुड़ाई, बुवाई और कटाई तक में बड़ी-बड़ी मशीनों के इस्तेमाल को खेती में सफलता का रामबाण बताया गया और उसी लिहाज से बैंक ऋण की नीतियाँ बनाई गईं। हालांकि इस पूरी कवायद में इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया गया कि देश के 86 प्रतिशत से ज्यादा किसान छोटे या सीमांत किसान हैं, जिनके खेतों की जोत 5 एकड़ (2 हेक्टेयर) से भी कम है। इन किसानों के लिए बड़ी मशीनों का इस्तेमाल न केवल ज्यादा खर्चीला है, बल्कि अव्यावहारिक भी है। किसान खाद, कीटनाशक, महंगे बीजों और बड़ी मशीनों के चक्कर में कर्जदार बनता गया। खेती की लागत पहुँच गई आसमान पर, लेकिन कृषि उपज की सही कीमत दिलाने के मोर्चे पर कोई काम नहीं हुआ। लागत और आमदनी का अंतर कुछ ऐसा बढ़ा कि उसके नतीजे लाखों किसानों की खुदकुशी के तौर पर सामने आई है।

V. पारिस्थितिक संतुलन के लिए अनिवार्य हैं किसान व जमीन

तो सवाल ये है कि इन भयानक परिस्थितियों का समाधान क्या है? समाधान ढूँढ़ने के लिए पहले तो खेती को देखने का नजरिया बदलना होगा। खेती और किसान दूसरों की सेवा में लगे साधन नहीं हैं। ये एक जिंदा इकाई हैं, जो पारिस्थितिक संतुलन और मानव अस्तित्व के लिए अनिवार्य हैं। इसलिए इन्हें स्वस्थ और सुखी रखने की सोच से शुरुआत करनी होगी। खेती स्वस्थ तभी रहेगी जब मिट्टी स्वस्थ होगी, पानी स्वस्थ होगा और किसान सुखी तभी रहेगा जब एक ओर तो उसकी खेती की लागत कम होगी और दूसरी ओर उसे उसकी उपज का सही भाव मिलेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने मई 2014 में सत्ता की बागडोर संभालने के बाद इस सोच के साथ भारतीय खेती की दशा-दिशा ठीक करने की दिशा में कदम उठाना शुरू किया है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जैविक खेती को बढ़ावा, यूरिया पर नीम की परत चढ़ाने की शुरुआत, खाद और कीटनाशकों का तार्किक प्रयोग जैसे कदम खेती को स्वस्थ रखने के लिहाज से महत्त्वपूर्ण हैं। वहीं दूसरी ओर छोटे किसानों की आमदनी बढ़ाने में एकीकृत खेती जैसी पद्धतियाँ अहम है।

VI. मोदी सरकार ने की बुनियादी सुधारों की शुरुआत

राष्ट्रीय कृषि बाजार : बाजार सुधारों के लिहाज से नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से ई-नामयानी राष्ट्रीय कृषि बाजार की स्थापना का जिक्र होना चाहिए, जो कि हालांकि बहुत ही कठिन और लंबी प्रक्रिया है, लेकिन यदि इसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया जा सका तो ये किसानों को उनकी उपज का अधिकतम भाव दिलाने में युगांतकारी कदम साबित हो सकता है। ई-नाम के तहत केंद्र सरकार मार्च 2018 तक देश की 585 बड़ी मंडियों को एक कम्प्यूटर नेटवर्क से जोड़ने की योजना पर काम कर रही है। ऐसा होने के बाद देश के किसी भी एक हिस्से

में बैठा कारोबारी किसी भी अन्य हिस्से की किसी भी मंडी में आए माल को अपने सामने रखे कम्प्यूटर टर्मिनल पर न केवल देख सकेगा, बल्कि उसके लिए बोली भी लगा सकेगा। ऐसा होने से किसी भी मंडी में माल लेकर आने वाले किसान को पूरे देश के कारोबारियों से बोलियां मिलेंगी। इससे जहाँ एक ओर किसानों को उनकी उपज के लिए अधिकतम भाव मिल सकेगा, वहीं कृषि कमोडिटी की देश के अलग-अलग हिस्सों में पैदा की जाने वाली कृत्रिम कमी अपने-आप समाप्त हो जाएगी।

पूरा ट्रेड ऑनलाइन हो जाने से मंडियों में होने वाली कालाबाजारी पर भी रोक लग सकेगी क्योंकि इसमें सारा लेन देन पूरी तरह पारदर्शी होगा। कर्नाटक के एकीकृत बाजार प्लेटफॉर्म (यूएमपी) ने किसानों की आमदनी बढ़ाने में इस मॉडल की सफलता को पहले ही साबित कर दिया है। इसी विषय पर नीति आयोग की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे ऑनलाइन मार्केटिंग के कारण 2013-14 के मुकाबले 2015-16 में किसानों को खेती से 38 प्रतिशत ज्यादा आमदनी हुई है। हालांकि राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) की सफलता का दारोमदार देश भर में कृषि कमोडिटी के लिए निश्चित गुणवत्ता मानक तय करना होगा। इसके लिए ई-नाम में शामिल हर मंडी में किसानों को उपज की नि:शुल्क गुणवत्ता जांच की सुविधा देनी होगी। 2017-18 के बजट में इस मद में वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने प्रति मंडी 75 लाख रुपये का आवंटन भी किया है। लेकिन इसे व्यावहारिक धरातल पर उतारना सरकार के लिए एक चुनौती होगी और यदि यह प्रक्रिया सफल हुई तो यह आजादी के बाद कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ी नीतिगत क्रांति होगी।

1 फरवरी 2018 को पेश 2018-19 के बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसी दिशा में एक और अहम प्रस्ताव की घोषणा की। सरकार 22000 हाटों को कृषि बाजारों के तौर पर मान्यता देगी। यह कदम

किसानों को बाजार दिलाने के लिहाज से एक अहम कदम है, जिससे सुदूर मंडियों तक माल पहुँचाने में खर्च होने वाले उनके पैसे बचेंगे और वे स्थानीय मांग और मूल्य का बेहतर फायदा उठा सकेंगे।

एपीएमसी अधिनियम में सुधार : किसानों को कारोबारियों के शोषण से बचाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 2003 में कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) कानून लागू किया था। हालांकि पिछले डेढ़ दशकों के अनुभव के बाद इस कानून की बहुत सी कमियां सामने आई हैं और यह भी ध्यान में आया है कि मंडियों में ही किसानों के लिए अपनी उपज बेचने की बाध्यता फायदे की जगह नुकसान ज्यादा कर रही हैं। तमाम अनुभवों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार एपीएमसी, एक्ट 2003 में भी सुधार लाने जा रही है और किसानों की आमदनी बढ़ाने में सहयोग देने वाली एक सुरक्षित व्यवस्था तैयार करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मॉडल एक्ट भी जल्दी ही आने वाला है। ये सारे कदम किसानों को उनकी उपज का ज्यादा भाव दिलाने पर केंद्रित हैं और इन्हीं कदमों के बल पर केंद्र सरकार 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का इरादा रखती है।

एफपीओ को बढ़ावा : भारत में ज्यादातर किसान छोटे और सीमांत हैं, इसलिए कृषि उपज की मार्केटिंग में उनके सामने सबसे बड़ी समस्या मात्रा की होती है। 10, 15 या 20 बोरी कृषि उपज को लेकर मंडियों में जाने से एक ओर तो उसकी परिवहन, हमाली इत्यादि की लागत बढ़ती है, दूसरी ओर उसे व्यापारी की ओर कुल मात्रा में वैध और अवैध कटौती का नुकसान झेलना पड़ता है और सबके बाद वह अपने माल पर किसी तरह के मोलभाव की स्थिति में भी नहीं रहता है।

इस चुनौती का सामना करने के लिए किसानों के सामने एक ही

रास्ता है–किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ। एफपीओ में कई किसान एक साथ मिलकर एक संगठन बनाते हैं, जिसे कंपनी एक्ट, 1951 में रजिस्टर कर किसान उत्पादक कंपनी (एफपीसी) का स्वरूप दिया जाता है। एफपीसी में इसके सदस्य किसान ही शेयरधारक होते हैं और उनके जमा किए गए फंड (सीड मनी) के बराबर उन्हें सरकारी मदद मिलती है। 2018–19 के बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एफपीओ की आय को 100 प्रतिशत कर मुक्त करने की भी घोषणा की है। एफपीओ या एफपीसी का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि छोटे और सीमांत किसानों के हाथ में भी मोलभाव की ताकत आ जाती है। उनके पास उपज की बड़ी मात्रा होती है, जिसे लेकर वे मंडी जाते हैं। इससे उनके परिवहन और अन्य संबंधित खर्चों में भी कटौती होती है और बड़ी मात्रा हाथ में होने से वे अपनी फसल वेयरहाउस में रख पाते हैं और पारंपरिक मंडियों के अलावा वायदा बाजार का भी इस्तेमाल कर पाते हैं।

फिलहाल भारत ससकार की कई संस्थाएँ, जिनमें नाबार्ड, एसएफएसी और इफको प्रमुख हैं, एफपीओ तैयार करने के काम में लगी हैं। इस प्रक्रिया को और तेज करने की जरूरत है, जिससे ज्यादा से ज्यादा किसानों को समूह की शक्ति का फायदा मिल सके।

ऑप्शंस की लॉन्चिंग : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 14 जनवरी 2018 को कृषि कमोडिटी बाजार एनसीडीईएक्स के प्लेटफॉर्म पर ऑप्शंस की लॉन्चिंग की। इस मौके पर श्री जेटली ने कहा कि वायदा बाजार किसानों की आमदनी बढ़ाने का एक बड़ा जरिया साबित हो सकता है। इसका इस्तेमाल कर किसान अपना मूल्य जोखिम कम कर सकते हैं और उपज की कीमतों में गिरावट के बावजूद वायदा प्लेटफॉर्म पर पहले से तय कीमत पर अपनी उपज बेच सकते हैं। यहाँ तक कि

उन्होंने बजट भाषण में भी किसानों को वायदा बाजार से ज्यादा से ज्यादा जोड़ने की बात कही। सरकार की प्रेरणा और एनसीडीईएक्स के प्रयासों से पिछले 3 साल में करीब 70 एफपीओ वायदा बाजार से जुड़ कर अपनी उपज की बेहतर कीमत हासिल करने में सफल हुए हैं, जिसका फायदा उनके करीब-करीब 75,000 सदस्य किसानों को मिला है। बिहार के पूर्णिया जिले में धमदाहा ब्लॉक के किसानों ने आरण्यक एफपीओ के तहत कृषि कमोडिटी एक्सचेंज एनसीडीईएक्स के वायदा प्लेटफॉर्म पर मक्के की हेजिंग कर बाजार से ज्यादा कीमत हासिल की है। इसी तरह जयपुर के नजदीक जमवा रामगढ़ के एक एफपीओ और कोटा जिले में राजस्थान सरकार के आजीविका कार्यक्रम के तहत एक अन्य किसान संघ ने सरसों में हेजिंग के जरिए खुले बाजार के मुकाबले बेहतर भाव हासिल किया है। देश के अन्य हिस्सों में भी कई एफपीओ ने एनसीडीईएक्स के वायदा बाजारों का इस्तेमाल कर अपने सदस्य किसानों की आमदनी बढ़ाई है।

एकीकृत खेती

एकीकृत खेती यानी इंटीग्रेटेड फार्मिंग किसानों की आमदनी बढ़ाने का एक और नायाब तरीका है। खासतौर पर छोटे किसानों के लिए यह बहुत प्रभावी है। इसके तहत दो से ढाई एकड़ जमीन का प्रबंधन कुछ इस तरह किया जाता है कि उसमें पशुपालन, पोल्ट्री, फिशरी, फार्म पॉन्ड और खेती, सब होती है। गायों और भैंसों के गोबर से गोबरगैस की व्यवस्था हो जाती है, जिससे किसान की रसोई की जरूरत पूरी हो जाती है। पोल्ट्री या बकरीपालन में जो मल निकलता है, वो फिशरीज में चारे के काम आता है। खेती में फसलों का चुनाव इस तरह किया जाता है, जिससे अधिकतम आमदनी हासिल हो। ये नकदी फसलें होती हैं। देश के कई हिस्सों में एकीकृत खेती के सफल प्रयोग चल रहे हैं, जिन्हें और ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है।

जियोमैपिंग/प्रेसिजन फार्मिंग

खेती में तकनीक के प्रयोग को बढ़ा कर उपज की गुणवत्ता और उत्पादकता दोनों में शानदार बढ़ोत्तरी की जा सकती है। जियो टैगिंग इन्हीं में से एक तकनीक है, जिसमें हर छोटे से छोटे खेत के को-ऑर्डिनेट यानी अक्षांश और देशांतर को उपग्रहों से चिह्नित किया जाता है। इन खेतों की पूरी मॉनिटरिंग दूर बैठे कंट्रोल रूम से की जाती है। इस तकनीक में उपग्रह चित्रों के आधार पर खेती में नमी से लेकर नाइट्रोजन, पोटेशियम इत्यादि की स्थिति ठीक-ठीक पता चल जाती है। इन सूचनाओं के आधार पर किसानों को यह पता चल सकता है कि उन्हें अपने खेतों में कब सिंचाई करनी है, कब कौन सा और कितना खाद इस्तेमाल करना है और कब किस तरह के कीटनाशक का इस्तेमाल होना है। इन सूचनाओं का बहुत बड़ा असर खेती की लागत पर पड़ती है और सही समय पर सिंचाई होने से खेत की उत्पादकता भी बढ़ती है।

सोलर ड्रायर तकनीक

बहुत जल्दी खराब होने वाली कमोडिटी, जैसे सब्जियों के किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सोलर ड्रायर तकनीक बहुत मददगार साबित हो सकती है। इस तकनीक में बहुत सस्ते दाम पर उपलब्ध एक सरल मशीन में सब्जियों को काट कर डाल दिया जाता है और सब्जियाँ उसमें सूखती हैं। सूखने के बाद उनकी शेल्फ-लाइफ में 6 महीने तक की बढ़ोत्तरी हो जाती है। इस तकनीक से न केवल किसान को बहुत फायदा हो सकता है, बल्कि सरकार को भी प्राथमिक महंगाई दर से निपटने में खासी मदद मिल सकती है। नासिक के निकट गोवर्धन कुलकर्णी और उनके साथी किसानों ने कृषि तकनीक प्रबंधन एजेंसी (आत्मा) की मदद से इस तकनीक पर लंबे समय तक काम करते हुए

अपनी पैकेजिंग और ब्रांडिंग तक शुरू कर ली है, जिसे वे सीधे मुंबई और नासिक के स्टोर में बेच रहे हैं।

प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना

इन तमाम उपायों के बाद आखिर में किसानों को मौसम में बदलाव या किसी भी तरह की दूसरी प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित करना बहुत आवश्यक है। तमाम विशेषज्ञों ने माना है कि नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से पेश की गई प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना आजादी के बाद से लागू तमाम बीमा योजनाओं में सबसे शानदार है। लेकिन सरकार के लिए इसके कार्यान्वयन पर कड़ी निगरानी रखना और तमाम फायदों को किसानों तक पहुँचाना एक कड़ी चुनौती है।

जैविक खेती पर जोर : मौजूदा केंद्र सरकार ने जैविक खेती को सिद्धांत रूप में भविष्य की राह के तौर पर स्वीकार किया है। 18 जनवरी 2016 को माननीय प्रधानमंत्री ने स्वयं सिक्किम को पूर्ण जैविक राज्य घोषित किया और इसके कुछ ही समय बाद केंद्र सरकार ने पूरे पूर्वोत्तर के लिए एक अति महत्त्वाकांक्षी योजना की घोषणा की जिसमें 8 राज्यों की 50,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि को जैविक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें सिक्किम में 14,000 हेक्टेयर और बाकी राज्यों में से हर एक की 5000-5000 हेक्टेयर जमीन को शामिल किया गया है। सरकार की योजना इन जमीनों के किसानों को बुवाई से लेकर उपज की पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग तक हर स्तर पर पूरा सहयोग देने की है। पूर्वोत्तर की सफलता पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन सकती है, जिसके आधार पर दूसरे राज्य भी अपनी परिस्थितियों के अनुकूल मॉडल तैयार कर सकते हैं। 2018-19 के बजट में भी सरकार ने देश की और 10,000 हेक्टेयर जमीन पर जैविक खेती शुरू करने का लक्ष्य रखा है।

जैविक के अलावा पारंपरिक खेती में भी किसानों को पैकेजिंग,

ब्रांडिंग और मार्केटिंग का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। साथ ही खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए और उपाय किए जाने की आवश्यकता है। केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद इस दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश को अनुमति दे दी है। इन उद्योगों को ग्रामीण क्षेत्रों में ही स्थापित करने के लिहाज से और कदम उठाने की आवश्यकता है। सरकार खेती की उपज से तैयार उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए 42 फूड पार्क भी तैयार कर रही है।

VII. सारांश

कुल मिलाकर यह समझना जरूरी है कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए पूरी कृषि को एक साथ बढ़ाने की जगह अलग-अलग क्षेत्रों में वहाँ की स्थानीय परिस्थितियों और किसानों की अपनी आर्थिक स्थिति के लिहाज से रणनीति बनाने की जरूरत होगी, जिसमें तकनीक का भरपूर इस्तेमाल करना होगा। यही भारत में कृषि का भविष्य है और यहीं से किसानों के समृद्ध भविष्य का रास्ता भी निकलेगा।

❍

14. मीडिया/सोशल मीडिया संवाद

जैसा कि आप सब जानते हैं कि समाज जीवन के अन्य क्षेत्रों की तरह राजनीतिक क्षेत्र में भी मीडिया के प्रभाव का विस्तार हुआ है। हर घर में समाचार पत्रों की दस्तक हो गई है। हर घर में टीवी और हर हाथ में लैपटॉप है। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक के साथ सोशल मीडिया/डिजिटल मीडिया का हस्तक्षेप प्रभावकारी भूमिका में है। इसमें अपना दखल बढ़े, इसकी कोशिश होनी चाहिए। संचार की आधुनिक तकनीकों में दक्षता जरूरी है, **गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्वीटर** जैसे दसियों लोकप्रिय वेबसाइटों का इस्तेमाल कर पार्टी की छवि में चार चांद लगा सकते हैं।

I. नियमित संपर्क में रहें

भाजपा के हर कार्यकर्ता को मीडिया से न केवल निकट का संपर्क रखना जरूरी है वरन पार्टी और अपनी छवि को जनता के बीच चमकाने के लिए उसका अधिकतम इस्तेमाल करना है। इसके लिए मीडिया से नियमित संपर्क अपने स्वभाव का हिस्सा बनाएं। आप सब जानते हैं कि भाजपा अन्य दलों से भिन्न है। विचारधारा आधारित पार्टी है। पार्टी के विस्तार के साथ ही उसकी वास्तविक छवि जनता के सामने आये, इसके लिए जरूरी है कि आप सभी व्यक्तिगत स्तर पर अपनी विचारधारा, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के कामकाज के बारे में गहराई से जानें। उतना ही जरूरी यह भी है कि अपने विरोधी राजनीतिक दलों के बारे में भी जानें ताकि उनको तार्किक जवाब देकर अपनी पार्टी को आगे बढ़ा सकें। सबसे पहले प्रिंट मीडिया पर ध्यान देना इसलिए जरूरी है ताकि मीडिया की आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। मसलन प्रेस को भेजी जाने वाली सामग्री बिल्कुल तथ्य पर आधारित हो, कम शब्दों में हो, प्रेस विज्ञप्ति बनाते

समय कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहने का अभ्यास जरूरी है। पत्रकार वार्ता करते समय सभी छोटे-बड़े मीडिया संस्थानों के साथ ही टीवी चैनलों और डिजिटल मीडिया से जुड़े पत्रकारों को सही सूचना भेजे और पत्रकार वार्ता में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करें। यदि ऐसा कर सके तो मानिए आपका आधा काम हो गया।

II. पत्रकारों से वार्ता में सतर्कता बरतें

यह भी सुनिश्चित करें कि सभी पत्रकारों को उनकी जरूरत के अनुसार प्रेस विज्ञप्ति, फोटोग्राफ, ऑडियो, वीडियो वीजुअल्स, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव आदि समय पर पहुँच जाए। जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर यह काम बेहद जरूरी है। समाचार चैनलों से बातचीत करते समय अति सावधानी की जरूरत है। ऑफ दि रिकॉर्ड तो कतई बात नहीं करनी चाहिए। बातचीत करते समय पार्टी लाइन का अवश्य ध्यान रखें। व्यक्तिगत विचार जैसी कुछ भी न बात करें। चैनल पर शब्दों का चयन करते समय बहुत सावधानी बरतें। सजीव प्रसारण (लाइव) में तो अति सतर्कता की जरूरत है। उत्तेजित तो कतई न हों। पूरे आत्मविश्वास से बात करें। मीडिया का सहयोग पाने के लिए इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि आपको क्या कहना है, उतना ही जरूरी है इस बात का ध्यान रखना कि क्या नहीं कहना है। इस मामले में पत्रकारों या मीडिया संस्थानों से परिचय या दोस्ती बहुत लाभकारी होती है। पत्रकार को अपना नंबर, मोबाइल नंबर, घर का नंबर, ई मेल आदि बेहिचक दे दें। सदैव मीडिया के साथ हमारा सौहार्द बना रहे इसकी हर कोशिश करनी होगी ।

III. तथ्यों पर ध्यान दें

सामान्य रूप से पत्रकार तथ्यों की खोज में रहता है। लिहाजा इस आदत का आप लाभ ले सकते हैं। अपनी पार्टी के बारे में सभी सकारात्मक सूचनाएँ सही और तथ्यों के साथ उसको उपलब्ध करा

सकते हैं। इससे संबंधित पत्रकार के साथ आपके निजी रिश्ते भी मजबूत होंगे। आंकड़ों पर विशेष ध्यान दें। सरकारी रिकॉर्ड को संजोकर रखें। केंद्र और राज्यों द्वारा समय-समय पर जारी विषय विशेष पर रिपोर्टें, संवैधानिक संस्थाओं की रिपोर्ट और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की रिपोर्ट पर ध्यान रखें। सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करने में अधिक से अधिक रुचि रखें। इंटरनेट की मदद सबसे अधिक कारगर होगी लिहाजा उसके माध्यम से हर समय अपने आपको अपडेट रखें। गूगल से जुड़े रहें। आपका काम सरल हो जाएगा। मीडिया में प्रकाश्य सामग्री (कंटेंट) को 'राजा' (किंग) कहा जाता है। यह जितना मजबूत होगा, आपका समर्थन उतना ही बढ़ेगा और राजनीतिक विस्तार में उतना ही मददगार हो सकता है। इसलिए पार्टी से संबंधित कोई भी विषय चलताऊ तरीके से न लें, उसकी पूरी पृष्ठभूमि समझें, गहराई से अध्ययन करें, फिर उसे मीडिया के सामने परोसें। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना होगा कि कौन आपका श्रोता है, कौन पाठक है, कौन आपका लक्ष्य (टारगेट) है।

IV. डिजिटल मीडिया पर करें फोकस

कंटेंट (सामग्री) तैयार करने के लिए एक शोध टीम का भी गठन किया जा सकता है। इस टीम में सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया में रुचि लेने वाले युवाओं को अवश्य जोड़ें। सोशल नेटवर्किंग साइट पर आपका ध्यान हर समय रहना चाहिए। इसके माध्यम से पार्टी और आपकी खुद की छवि देश-विदेश में निखरेगी। सोशल मीडिया जगत में आप सभी ऑडियो-वीडियो टूल्स को ट्वीट या पोस्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। टैगिंग आपके लिए एक महत्त्वपूर्ण औजार है जो आपके संदेश को कई गुणा प्रसारित कर सकता है, वीडियो आने वाले समय में इंटरनेट की दुनिया में 80 प्रतिशत उपभोक्ताओं के बीच लोकप्रिय हो सकता है। ऑनलाइन वीडियो सोशल मीडिया संवाद का

सबसे महत्त्वपूर्ण माध्यम बन गया है। मानकर चलिए कि फेसबुक जैसी लोकप्रिय फ्री सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट का उपयोग कर अपना संदेश पूरी दुनिया में मुफ्त में पहुँचा सकते हैं। इसी के साथ **ट्वीटर** जैसी फ्री माइक्रोब्लॉगिंग सोशल मीडिया साइट का इस्तेमाल करें, ध्यान रखें कि वहाँ सधे शब्दों में अपनी बात कहनी होती है। **गूगल या गूगल+** साइट को अपना मित्र बना लें, आपका काम सरल हो जाएगा। इसका उपयोग कर अपने दल की बात को विस्तार से बता सकते हैं। **वाट्सएप** सुविधा हर एंड्रायड और अन्य स्मार्ट फोन पर उपलब्ध है। संदेश देने का प्रभावी माध्यम है। इसका बहुतायत में इस्तेमाल करें। आपके लिए **यू-ट्यूब** का इस्तेमाल एक साथ हजारों लोगों से जुड़ने का माध्यम बन सकता है। सोशल मीडिया जनता के बीच अधिकाधिक लोकप्रिय हो रहा है। इसे हमारी नीतियों को जनता तक पहुँचाने का माध्यम बनाना ही होगा। सोशल मीडिया प्रायः मुफ्त होता है। न्यूनतम लागत में आप अधिकतम लोगों तक पहुँच सकते हैं। कभी-कभी मुख्य मीडिया में आपकी या पार्टी की कवरेज ठीक से नहीं हो पाती है। ऐसे में आप सोशल मीडिया का उपयोग कर उसकी भरपाई कर सकते हैं। आजकल लोग हर समय ताजा खबरों की इच्छा रखते हैं। ऐसे में पार्टी के बारे में ताजा समाचार देकर उनकी इस आदत का उपयोग अपने हित में कर सकते हैं।

V. ग्रामीण इलाकों पर ध्यान देने की जरूरत

मीडिया में स्थान बनाने के लिए ग्रामीण इलाकों में काम करने वाले कार्यकर्ताओं के सामने बड़ी कठिनाई होती है। कारण साफ है। मीडिया की पहुँच अभी गाँवों तक कम है और कार्यकर्ता भी अभी उससे दूर ही रहते हैं। वहाँ अपनी पहुँच बढ़ाने की जरूरत है। त्रिस्तरीय पंचायतों की भूमिका बढ़ने के साथ ही पार्टी का दखल भी वहाँ बढ़ा है। इसलिए कार्यकर्ता अपने को तैयार करें। पंचायतें (ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत) तीसरी सरकार कही जाती हैं। विकास में उनकी

बड़ी भूमिका होने वाली है। विकास को पटरी पर लाने के लिए मीडिया का सहारा लें। जरूरी है कि जिले से लेकर कस्बों तक फैले मीडिया से जुड़े रिपोर्टरों को निजी तौर पर साधें, उनको महत्त्व दें। भाजपा की विकास योजनाओं और पार्टी के कार्यक्रमों को उन तक पहुँचाएँ। गाँवों और कस्बों में भी हर हाथ में एंड्रायड फोन हैं, सोशल मीडिया का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजिटल मीडिया भी आपकी पहुँच से बाहर नहीं है

VI. शहरी क्षेत्रों को केंद्र बनाएँ

शहरी निकायों तथा नगर निगम, नगरपालिका और नगर पंचायतों में भाजपा का बहुत तेजी से प्रवेश हो रहा है। लिहाजा कार्यकर्ता यहाँ भी पूरी गंभीरता से लगें। बढ़ते शहरीकरण के कारण इनका विस्तार होना ही है लिहाजा भविष्य को ध्यान में रखते हुए इन पर फोकस करने की जरूरत है। शहरी इलाकों में पत्रकार काफी सक्रिय रहते हैं। हमें भी सक्रियता से उनसे संपर्क बनाकर लाभ लेना चाहिए। कार्यशैली वही कि उनसे रिश्ते मजबूत करें और अपने तथा अपने दल के बारे में उन्हें अपडेट करते रहें। उनको किसी तरह की जानकारी की जरूरत हो तो तत्काल उपलब्ध कराएँ। यहाँ भी सोशल और डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल कारगर होगा ही। ❍

भारतीय जनता पार्टी
6 ए, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली- 110002
फोन : 011-23500000, फैक्स : 011-23500190